₹ 25

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

क्रान्ति

फ़रवरी 2017



- शांति का आवाहक इस्लाम
  –डॉ॰ रज़ीउल इस्लाम नदवी
- विश्व शांति और इस्लाम
  –अबू नस्र फ़ारूक़
- आत्मा के प्रति इस्लाम की धारणा
  –मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां
- बुज़ुर्गों का सम्मान करें
  –सीताराम गुप्ता



Shop No 3- 4, Ground Floor, Karma Empress Bldg., Near K.T.C Bus Stand, Vasco-da-Gama, Goa.

Ph: 0832 2500823 / 2514134 Cell: 9326127351 / 9823577351

Sales: 9637888409 Email: amanbuilders4u@gmail.com

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिविम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 26 अंक 8 फ़रवरी 2017

जब समुद्र में तुम पर कोई आपदा आती है तो उसके सिवा वे सब जिन्हें तुम पुकारते हो, गुम होकर रह जाते हैं ! किन्तु फिर जब वह तुम्हें बचाकर थल पर पहुंचा देता है तो तुम उससे मुंह मोड़ जाते हो । मानव बड़ा ही अकृतज्ञ है। -कुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

* * *

फ़ोन संपादकीय एवं प्रबंधकीय

011-26949430, 09818799223

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 25/- विशेषांक रु० 50/-

वार्षिक रु० 270/-, दो वर्ष 500/-

पांच वर्ष 1100/-, आजीवन रु० 6000/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–110 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–40 US डॉलर

वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट 'मासिक कान्ति' के नाम से बनवाएं

ग़ज़ल

चाहे तन मन सब जल जाए
सोज़े-दरूं[1] पर आंच न आए

शीशा टूटे गुल मच जाए
दिल टूटे आवाज़ न आए

बहरे-मुहब्बत[2] तौबा-तौबा !
तैरा जाए न डूबा जाए

ऐ वाए मजबूरी-ए इन्सां
क्या सोचे और क्या हो जाए

हाय वो नग़मा जिसका मुग़न्नी[3]
गाता जाए रोता जाए

दुनिया का अपनाना ही क्या !
कांटे अपने फूल पराए

इज़्ज़त-दौलत आनी-जानी
मिल-मिल जाए छिन-छिन जाए

ज़र्फ़[4] है ये तो अपना-अपना
कोई बिगाड़े कोई बनाए

जिसको हो कहनी दिल की कहानी
सर ता पा[5] धड़कन बन जाए

काश हमारा फ़र्ज़े-मुहब्बत
ऐशे-मुहब्बत पर छा जाए ।

● **हफ़ीज़ मेरठी**

---

1. दिल की जलन 2. प्रेम-सागर 3. गानेवाला, गायक 4. सलाहियत, हौसला 5. सिर से पांव तक ।



कहां क्या है ?

ग़ज़ल	–हफ़ीज़ मेरठी	3
क़ुरआन ज्योति		5
अल्लाह का भय (हदीस मंजरी)		6
उत्तर प्रदेश में सत्ता छल ! (संपादकीय)		7
'वैलेंटाइन दिवस' को 'पारिवारिक एकता दिवस' के रूप में मनाएं (आपके पत्र)		11
इस्लाम के गुण और लाभ (आस्था)	–अबू मुहम्मद इमामुद्दीन रामनगरी	15
आत्मा के प्रति इस्लाम की धारणा (आस्था)	–मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां	19
बड़े बुजुर्गों की उपेक्षा नहीं... (घर-परिवार)	–सीताराम गुप्ता	23
कितना स्वच्छ भारत अभियान (सामयिक)	–शाहिद इलियास	25
शांति का आवाहक इस्लाम (विशेष आयोजन)	–डॉ॰ रज़ीउल इस्लाम नदवी	26-27
जन-सरोकारों के शायर-हफ़ीज़ मेरठी (साहित्यिकी)	–सुरेश सलिल	31
नोटबंदी क्या एक 'अनाड़ी' फ़ैसला था ? (ज्वलंत सामयिक)	–क़मर वहीद नक़वी	33
2016 : खेलों में कोई ख़ास नहीं रहा भारत का प्रदर्शन (खेल-खिलाड़ी)	–ए॰ एन॰ शिब्ली	37
मां को बेसहारा न छोड़ें (फेसबुक उवाच)	–नवनीत सिकेरा	39
निवेदिता (कहानी)	–शंकरलाल माहेश्वरी	41
फिर हो एक तमाशा ! (कविता)	–इन्तिज़ार नईम	42
क़र्ज़ में फंसाकर शोषण (अर्थ-उपभोक्ता)	–मुहम्मद यूसुफ़ 'मुन्ना'	43
ब्याज-मुक्त इस्लामी अर्थव्यवस्था (पुस्तक-समीक्षा)	–मुहम्मद इलियास हुसैन	44
विश्व शांति और इस्लाम (विविधा)	–अबू नस्र फ़ारूक़	45
चिंताग्रस्त होने से बचाएं (महिला जगत)	–डॉ॰ विभा सिंह	47
अंधविश्वास के सिवा कुछ भी नहीं है दिशा शूल (विचार)	–विद्या प्रकाश	48
कैसा है आकाश का रंग ? (बालवीथी)	–विद्या प्रकाश	49

क़ुरआन ज्योति

(17) फिर उससे बढ़कर ज़ालिम और कौन होगा जो एक झूठी बात बढ़कर अल्लाह से जोड़े या अल्लाह की आयतों को झूठा क़रार दे ।[22] निश्चित रूप से अपराधी कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते ।''[23]

(18) ये लोग अल्लाह के सिवा उनकी उपासना कर रहे हैं जो उनको न हानि पहुंचा सकते हैं, न लाभ, और कहते यह हैं कि ये अल्लाह के यहां हमारे सिफ़ारिशी हैं । ऐ नबी ! इनसे कहो, ''क्या तुम अल्लाह को उस बात की ख़बर देते हो जिसे वह न आसमानों में जानता है, न ज़मीन में ?[24] पाक है वह और उच्च है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं ।

–क़ुरआन, 10 : 17,18

---

22. अर्थात अगर ये आयतें अल्लाह की नहीं हैं और मैं उन्हें स्वयं रचकर अल्लाह की आयतों की हैसियत से पेश कर रहा हूं तो मुझसे बड़ा अत्याचारी कोई नहीं, और अगर यह सच में अल्लाह की आयतें है। और तुम इनको झुठला रहे तो तो फिर तुमसे बड़ा भी कोई ज़ालिम नहीं ।

23. यह बात कि ''अपराधी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते।'' यहां इस अर्थ में कही गयी है कि ''मैं पूरे विश्वास के साथ जानता हूं कि अपराधियों को सफलता नहीं प्राप्त हो सकती, इसलिए मैं स्वयं तो यह अपराध नहीं कर सकता कि नुबूवत का झूठा दावा करूं, अलबत्ता तुम्हारे बारे में मुझे विश्वास है कि तुम सच्चे नबी को झुठलाने का अपराध कर रहे हो, इसलिए तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी ।'' 'फ़लाह' (सफलता) एक क़ुरआनी शब्द है और इससे तात्पर्य वह सुदृढ़ सफलता है जिसमें किसी प्रकार के घाटे की संभावना न हो, इससे हटकर कि दुनिया की ज़िन्दगी के इस आरंभिक मरहले में उसके सफलता का कोई पहलू हो या न हो । हो सकता है कि एक गुमराही का बुलावा देने वाला दुनिया में ख़ूब फले-फूले और उसकी गुमराही को बड़ी तरक़्क़ी मिले, मगर यह क़ुरआन के शब्दों में 'फ़लाह' नहीं, मात्र घाटा है । और यह भी हो सकता है कि सत्य की ओर बुलाने वाला एक व्यक्ति दुनिया में भारी विपदाओं का शिकार हो, कष्टों की तीव्रता से निढाल होकर या ज़ालिमों के जुल्म का शिकार होकर दुनिया से जल्दी विदा हो जाए और कोई उसे मानकर न दे, मगर यह क़ुरआन की भाषा में घाटा नहीं, साक्षात सफलता है ।

24. किसी चीज़ का अल्लाह के ज्ञान में न होना यह अर्थ रखता है कि वह सिरे से मौजूद ही नहीं है । इसलिए कि सब कुछ जो मौजूद है, अल्लाह के ज्ञान में है, अतएव सिफ़ारिशियों का न होना सिद्ध करने के लिए यह एक सूक्ष्म वर्णनशैली है कि अल्लाह तो जानता नहीं कि ज़मीन या आसमान में कोई उसके समक्ष तुम्हारी सिफ़ारिश करने वाला है, फिर यह तुम किन सिफ़ारिशियों की उसको ख़बर दे रहे हो ?



अल्लाह का भय

● हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि॰) कहते हैं कि हमसे अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने जो सच्चे और माने हुए सच्चे हैं–बयान किया : "तुममें से प्रत्येक व्यक्ति की संरचना इस प्रकार होती है कि अपनी मां के पेट में चालीस दिन तक वह वीर्य रूप में रहता है फिर उतने ही दिन वह लोथड़े के रूप में रहता और फिर उतने ही दिनों वह मांस की बोटी के रूप में रहता है । फिर फ़रिश्ता भेजा जाता है, तो वह उससे रूह फूंकता है, फिर उसे चार बातों को लिखने का आदेश होता है : उसकी रोज़ी, उसकी आयु, उसका कर्म और यह कि वह अभागा है या भाग्यवान । तो उसकी सौगन्ध जिसके सिवा कोई पूज्य नहीं, तुममें से एक व्यक्ति जन्नत वालों जैसा कर्म करता रहता है यहां तक कि उसके और जन्नत के बीच केवल एक हाथ की दूरी रह जाती है, तो तक़दीर का लिखा उससे आगे हो जाता है और वह दोज़ख़ (नरक) वालों जैसा कर्म करने लगता है और दोज़ख़ में दाख़िल हो जाता है । और तुममें से एक व्यक्ति दोज़ख़ वालों जैसा कर्म करता रहता है यहां तक कि उसके और दोज़ख़ के बीच केवल हाथ भर की दूरी रह जाती है । तो तक़दीर का लिखा उससे आगे हो जाता है और वह जन्नत वालों जैसा कर्म करने लगता है और वह जन्नत में दाख़िल हो जाता है ।"

–बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत अदी बिन हातिम (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "तुममें से प्रत्येक व्यक्ति से उसका रब बात करेगा इस तरह कि अल्लाह के और उसके बीच कोई दुभाषिया न होगा । वह अपनी दायीं ओर देखेगा, तो उसे वही दिखायी देगा जो उसने आगे भेजा है । और वह अपनी बायीं ओर देखेगा, तो उसे बस वही दीख पड़ेगा जो उसने आगे भेजा है । वह अपने सामने देखेगा, तो उसे अपने सम्मुख बस आग ही दिखायी देगी । अत: आग से बचो चाहे खजूर के आधे टुकड़े के द्वारा ही सही ।"

–बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत अबू बरज़ह नजलह बिन उबैद अल-असलमी (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "बन्दे के क़दम (क़ियामत के दिन) अपनी जगह से हिल नहीं सकते जब तक कि उससे उसके जीवनकाल के विषय में न पूछ लिया जाए कि उसे उसने किन कामों में समाप्त किया ? और उसके प्राप्त किये हुए ज्ञान के विषय में कि उसने उसका उपयोग कैसे किया ? उसके धन के विषय में कि उसने उसको कहां से कमाया और कहां ख़र्च किया ? और उसके शरीर के विषय में कि उसको उसने किस काम में घटाया ।"

तिरमिज़ी । तिरमिज़ी ने कहा कि यह हदीस 'हसन सहीह' है ।

● हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "जो डरता है वह रात के शुरू ही में चल पड़ता है और जो रात के पहले हिस्से में चल पड़ता है वह मंज़िल तक पहुंच जाता है । जान लो, कि अल्लाह का पण्य पदार्थ बहुमूल्य है । जान लो कि अल्लाह का पण्य पदार्थ जन्नत है ।

–तिरमिज़ी । तिरमिज़ी ने कहा कि यह हदीस 'हसन' है ।

(रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय : हिन्दी वेबसाइटें

www.islamdharma.org
www.islamic videos.com
www.islamicwebdunia.com
www.quranhindi.com

संपादकीय

उत्तर प्रदेश में सत्ता-छल !

पारिवारिक कलह का शिकार बनी सपा के लिए ताज़ा विधानसभा चुनाव किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं हैं । यह सभी को पता है कि सपा ने अपने वर्तमान सत्ताकाल में मुसलमानों के हितार्थ कुछ नहीं किया है । 2012 में उत्तर प्रदेश में जब सपा ने सरकार बनाई थी, तब मुसलमानों से अनेकानेक वादे किये गये थे । अखिलेश सरकार ने मुसलमानों के कल्याण के लिए जो वादे किये थे और जिन योजनाओं की घोषणा की, उनमें से किसी पर भी सुचारू रूप से पहल नहीं की और न ही गंभीरता के साथ अमल किया गया । अखिलेश सरकार ने जिन अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को लागू करने का फ़ैसला मंत्रिमंडल की 14 अगस्त 2013 को हुई बैठक में लिया था, इसके बाद इनके क्रियान्वयन की समीक्षा-बैठक लगभग तीन वर्ष बाद 11 मई 2016 को हुई ! वह भी इस बैठक को ही मात्र आधा घंटे में निबटा दिया गया !! मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने अल्पसंख्यकों के 'सर्वांगीण' विकास के लिए 30 सरकारी विभागों की 85 योजनाओं के ज़रिए लाभांवित करने का फ़ैसला किया था । इन योजनाओं को लागू करने और उस पर निगरानी के लिए प्रदेश में मुख्य सचिव और ज़िलों में ज़िलाधिकारी की अध्यक्षता में समितियां गठित करने का फ़ैसला भी किया गया था । इन समितियों में अल्पसंख्यक समुदाय के दो-दो सदस्यों को नामित करने का प्रावधान भी किया गया था । प्रस्तावित योजना में पारदर्शिता बरतने के लिए हिंदी और उर्दू में वेबसाइट शुरू करने और धूमधाम से इसका प्रचार करने का निर्णय किया गया था । धूमधाम से प्रचार तो ख़ूब हुआ और उस पर करोड़ों रुपये फूंक डाले गये । लेकिन मुसलमानों के कल्याण का कोई काम सिरे से नहीं हुआ । अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने क्या किया, इस सवाल का मुख्यमंत्री सचिवालय के पास भी कोई जवाब नहीं । आर॰टी॰आई॰ कार्यकर्ता सलीम बेग ने सूचना के अधिकार के तहत मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से इस बारे में सूचना मांगी थी, लेकिन मुख्यमंत्री सचिवालय उन सवालों का जवाब नहीं दे पाया । मुख्यमंत्री सचिवालय ने उन सवालों को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कंधे पर डाल दिया । जवाब में लिखा कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ही इन सवालों का जवाब देने में सक्षम है । उधर सवाल देखकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के हाथ-पैर फूल गये । उसके पास भी जवाब नहीं था । लंबे अर्से तक फाइल वहीं दबी रही । जवाब हासिल करने के लिए जब दूसरी अपील दाख़िल हुई और क़ानूनी घेरा बढ़ा, तब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने कुछ जवाब जुटाया, जो आंकड़ों का खेल मात्र है । उत्तर प्रदेश में उर्दू, अरबी और फ़ारसी भाषाओं के उन्नयन की ओर भी अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है । बताया जाता है कि अल्पसंख्यक विभाग की इस्लामिक शोध से जुड़ी संस्था की ज़मीन और इमारत आज़म ख़ान की निजी संस्था को कौड़ियों के मोल लीज पर दे दी गयी । दूसरी ओर लखनऊ के ख़्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी, फ़ारसी विश्वविद्यालय भी उपेक्षा का शिकार है । उत्तर प्रदेश में दूसरी राजभाषा के रूप में स्थापित उर्दू को विकसित करने के उद्देश्य से लखनऊ में उर्दू अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी थी, लेकिन यहां उन्हीं भाषाओं की प्राथमिकता समाप्त कर दी गयी । अजीबोग़रीब पहलू यह है कि उर्दू, अरबी और फ़ारसी के अकादमिक विकास के लिए जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी थी, उसके सभी शीर्ष पदों पर बैठे लोग उर्दू, अरबी या फ़ारसी भाषाओं की शैक्षिक योग्यता तक नहीं रखते । जामिया मिल्लिया के प्रोफ़ेसर ख़ान मसऊद अहमद ने 2014 में ख़्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय का कुलपति बनते ही उर्दू भाषा की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी ! अखिलेश सरकार के चार साल पूरे होने पर सामाजिक संस्था रिहाई मंच ने सपा सरकार के समक्ष 41 सवाल रखे थे । सरकार की तरफ़ से अब तक उन सवालों का कोई जवाब सामने नहीं आया है ।

ये सवाल इस प्रकार हैं–1. निर्दोष मुस्लिम नवजवान जो आतंकवादी होने के नाम पर जेलों में बंद हैं, उन्हें चुनावी वादे के अनुसार रिहा क्यों नहीं किया गया ? 2. अदालतों द्वारा बरी हुए बेगुनाहों को चुनावी वादे के अनुसार पुनर्वास और मुआवज़ा क्यों नहीं दिया गया ? 3. सांप्रदायिक हिंसा के दोषियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की गयी ? 4. मुसलमानों को 18

फ़ीसदी आरक्षण देने का वादा पूरा क्यों नहीं किया गया ? 5. यू॰पी॰ में सांप्रदायिक हिंसा बिल लाने के लिए सरकार ने गंभीरता क्यों नहीं दिखाई ? 6. सच्चर, रंगनाथ और कुंडू कमेटी की सिफ़ारिशों पर अमल क्यों नहीं किया गया ? 7. मुज़फ़्फ़रनगर सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ित परिवारों को इंसाफ़ दिलाने का वादा पूरा क्यों नहीं किया गया ? 8. सांप्रदायिक उन्माद और हिंसा फैलाने वालों के ख़िलाफ़ सरकार ने क़ानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की ? 9. राजनीतिक विरोधियों और अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ भड़काऊ भाषण देकर अराजकता फैलाने वाले नेताओं पर क़ानून के मुताबिक़ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती ? 10. प्रदेश के राज्य अल्पसंख्यक आयोग में वार्षिक रिपोर्ट तैयार नहीं होती, मामलों का कोई केस स्टडी नहीं होता । सांप्रदायिक हिंसा से ग्रस्त मुज़फ़्फ़रनगर, दादरी तक में आयोग ने कोई दौरा नहीं किया । इसकी स्थापना के गाइडलाइन के अनुसार जनपदों में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पदों पर तैनात अधिकारी अल्पसंख्यक नहीं हैं । सरकार की इस उदासीनता की वजह क्या है ? 11. प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्री कार्यक्रम के क्रम संख्या 14 व 15 में उल्लिखित है कि जो भी नवजवान दहशतगर्दी के तहत जेलों में बंद किये जाएंगे और अदालती प्रक्रिया से बरी होंगे, उन्हें पुनर्वास, मुआवज़ा और सरकारी नौकरी दी जाएगी । परन्तु इस पर अमल क्यों नहीं किया गया ? 12. प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्री कार्यक्रम के मुताबिक़, आतंकवाद के नाम पर जेलों में बंद किये गये नवजवानों को फ़र्ज़ी तरीक़े से फंसाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई उन्हीं धाराओं के तहत किये जाने की बात के बावजूद ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गयी ? 13. मुसलमानों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए राजकीय सुरक्षा बलों में मुसलमानों की भर्ती का विशेष प्रावधान करने और कैम्प आयोजित करने का वादा पूरा क्यों नहीं किया गया ? 14. सभी सरकारी कमीशनों, बोर्डों और कमेटियों में कम से कम एक अल्पसंख्यक प्रतिनिधि को सदस्य नियुक्त करने के सरकार के वादे का क्या हुआ ? 15. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से अखिलेश सरकार ने 3 दिसंबर 2015 को सूचना अधिकार नियमावली 2015 से उर्दू भाषा में आवेदन/अपील देने पर पाबंदी क्यों लगाई ? 16. बुनकरों की क़र्ज़ माफ़ी क्यों नहीं हुई ? 17. किसानों की तरह ग़रीब बुनकरों को मुफ़्त बिजली देने के वादे का क्या हुआ ? 18. जिन औद्योगिक क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की बहुलता है, जैसे हथकरघा, हस्तकला, हैंडलूम, कालीन उद्योग, चूड़ी, ताला, जरी, जरदोजी, बीड़ी, कैंची उद्योग उन्हें राज्य द्वारा सहायता देकर प्रोत्साहित करने, करघों पर बिजली के बक़ाया बिलों पर लगने वाले दंड और ब्याज को माफ़ कर बुनकरों को राहत देने, छोटे और कुटीर उद्योगों में कुशल कारीगरों की कमी को पूरा करने के लिए प्रत्येक विकास खंड स्तर पर एक-एक आई॰टी॰आई॰ की स्थापना करने का वादा पूरा क्यों नहीं हुआ ? 19. प्रदेश के अल्पसंख्यक बहुल ज़िलों में संचालित मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान के तहत संचालित अधिकांश योजनाएं अपूर्ण क्यों हैं ? 20. 20 अगस्त 2013 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय को उनका वाजिब हक़ दिलाने के लिए अल्पसंख्यकों को 30 विभिन्न विभागों में संचालित 85 योजनाओं में 20 प्रतिशत मात्राकृत लाभांवित किये जाने का जो वादा किया था, उसे क्यों नहीं पूरा किया गया ? 21. 25 अक्तूबर 2013 की घोषणा के अनुसार स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना के अंतर्गत मुस्लिमों को 20 प्रतिशत लाभांवित किया जाना था, जिसमें से स्वर्ण जयंती शहरी योजना अंतर्गत 6 उपयोजनाएं संचालित तो हुईं लेकिन 31 मार्च 2014 को समाप्त कर दी गयीं । इस मद के लिए जो पैसा था वह कहां ख़र्च हुआ ? 22. उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा मानने के बावजूद अखिलेश सरकार के कार्यकाल में सरकारी कामकाज में महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों, सरकारी आदेशों समेत गजट का अनुवाद उर्दू भाषा में क्यों नहीं होता ? 23. ख़्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी, फ़ारसी विश्वविद्यालय लखनऊ की प्रथम परिनियमावली में उर्दू/अरबी/फ़ारसी के अंक अन्य विषयों की तरह अंक-पत्र में न जोड़े जाने के निर्णय से उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के मक़सद को ही ख़त्म कर दिया गया । ऐसा क्यों किया गया ? 24. ख़्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय लखनऊ की प्रथम परिनियमावली में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ़ की नियुक्ति में उर्दू की अनिवार्यता को क्यों समाप्त कर दिया गया ? 25. ख़्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय लखनऊ में एक भी नयी फैकल्टी क्यों नहीं खोली गयी ? 26. ख़्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय लखनऊ से मदरसों को जोड़ने के बजाय उसे मदरसों से दूर क्यों किया गया ? 27. ख़्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति, रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर, ओ॰एस॰डी॰, फाइनेंसर कोई भी उर्दू भाषा की डिग्री प्राप्त क्यों नहीं है ? 28. ख़्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय लखनऊ की प्रथम परिनियमावली उर्दू भाषा में क्यों नहीं ? 29. रफ़ीकुल मुल्क मुलायम सिंह यादव आई॰ए॰एस॰ उर्दू स्टडी

सेंटर में मात्र 50 सीट जबकि प्रदेश में 75 ज़िले हैं । पढ़ाई का माध्यम उर्दू भाषा नहीं और कोई पद स्थाई नहीं, आख़िर ऐसा क्यों ? 30. उर्दू की प्रोन्नति के लिए मुस्लिम बहुल इलाक़ों में प्राइमरी, मिडिल व हाईस्कूल स्तर पर सरकारी उर्दू मीडियम स्कूलों की स्थापना क्यों नहीं की गयी ? 31. अखिलेश सरकार के कार्यकाल में यू०पी० में एक भी यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना क्यों नहीं की गयी ? 32. यू०पी० के किसी भी यूनानी चिकित्सालय में नर्स और फार्मासिस्ट की नियमित नियुक्ति क्यों नहीं ? 33. यूनानी चिकित्सा पद्धति जिसका कोर्स उर्दू भाषा में है, उसके नर्स और फार्मासिस्ट के कोर्स से उर्दू को क्यों बाहर किया गया ? 34. यूनानी चिकित्सा पद्धति की 2008 से आज तक कोई भी नियमावली नहीं बनी व स्थाई निदेशक क्यों नहीं नियुक्त हुआ ? 35. मुसलमानों के वह शैक्षिक संस्थान जो विश्वविद्यालय की शर्तों पर पूरा उतरते हैं, उन्हें क़ानून के तहत यूनीवर्सिटी का दर्जा देने का वादा पूरा क्यों नहीं किया गया ? 36. अखिलेश सरकार ने आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से अधिक पिछड़ा मानते हुए दलितों की तरह दलित मुस्लिमों को जनसंख्या के आधार पर अलग से आरक्षण क्यों नहीं दिया ? 37. सपा सरकार द्वारा बनाए गये मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की सभी क़ानूनी बाधाएं समाप्त करने की बात तो की गयी थी, लेकिन क्या अच्छा होता कि इस विश्वविद्यालय को सरकारी विश्वविद्यालय के रूप में बनाया गया होता, क्योंकि यह विश्वविद्यालय भी डोनेशन की बुनियाद पर ही प्रवेश देता है, जिससे ग़रीब जनता को सीधा लाभ नहीं पहुंच रहा है । उक्त क्षेत्र में प्राइवेट कई विश्वविद्यालय मौजूद हैं, जबकि बरेली से लेकर मेरठ तक 200 किमी के परिक्षेत्र में एक भी सरकारी विश्वविद्यालय नहीं है । सरकार ने उक्त क्षेत्र में कोई सरकारी विश्वविद्यालय क्यों नहीं बनवाया जिससे जनता को सीधा लाभ पहुंचता ? 38. मुस्लिम बहुल ज़िलों में नये सरकारी शैक्षिक संस्थानों की स्थापना क्यों नहीं की गयी ? 39. क़ब्रिस्तानों की भूमि पर अवैध क़ब्ज़े को रोकने व भूमि की सुरक्षा के लिए चारदीवारी के निर्माण पर कार्य क्यों नहीं किया गया ? 40. दरगाहों के संरक्षण व विकास हेतु दरगाह एक्ट का वादा क्यों पूरा नहीं किया गया और स्पेशल पैकेज के वादे का क्या हुआ ? 41.वक़्फ़ डाटा कंप्यूटरीकृत स्कीम के तहत वक़्फ़ के सारे डाटा कंप्यूटरीकृत क्यों नहीं किये गये ?

अब रिहाई मंच के महासचिव राजीव यादव ने विगत सात जनवरी 2017 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र भेजकर आतंकवाद के नाम पर अदालती प्रक्रिया द्वारा रिहा हुए बेक़सूरों के ख़िलाफ़ उच्च न्यायालय में अपील दायर करने पर सवाल उठाया है । पत्र में लिखा गया है कि 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय समाजवादी पार्टी द्वारा चुनाव घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों ख़ासकर मुसलमानों से यह वादा किया गया था कि आतंकवाद के नाम पर जेलों में क़ैद बेक़सूर मुस्लिम नवजवानों को पार्टी की सरकार बनने पर रिहा कर दिया जाएगा । 31 अगस्त 2013 को आर०डी० निमेष एकल सदस्यीय जांच कमीशन की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद आपको एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था कि आतंकवाद के नाम पर बेगुनाह मुस्लिम नवजवानों को गिरफ़्तार करने वाले पुलिस अधिकारियों की निशानदेही करके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते और उस रिपोर्ट के सहारे बेक़सूर बंदियों को रिहा करते, लेकिन आपने ऐसा न करके वादाख़िलाफ़ी की, यहां तक कि आप द्वारा ख़ालिद मुजाहिद की मृत्यु के बाद आपने यह बयान देकर उनके हत्यारों को प्रश्रय दिया कि उनकी प्राकृतिक मृत्यु हुई । यही नहीं जलालुद्दीन, नौशाद, मुहम्मद अली अकबर हुसैन, नूर इस्लाम मंडल, शेख़ मुख़्तार हुसैन और अज़ीज़ुर्रहमान जिस अपराध संख्या 281 से 285 थाना क़ैसरबाग लखनऊ तथा मुक़दमा अपराध संख्या 281/2007 थाना मोहन लालगंज, लखनऊ क्रमशः सत्र परीक्षण संख्या 159 से 163 सन 2007 तथा 854/2009 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय दिनांक 29 अक्तूबर 2015 के विरुद्ध आपकी सरकार ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ पीठ में 29 फ़रवरी 2016 को अपील दायर कर दिया, जिससे आपकी पार्टी तथा आपकी सरकार की मंशा उजागर हुई । आपकी पार्टी द्वारा किये गये वादे के मुताबिक़ रिहा हुए युवकों का पुनर्वास किया जाना आवश्यक था किन्तु अब आपने ऐसा न करके उन्हें पुनः दंडित कराने का प्रयास किया है । उत्तर प्रदेश के अपर महाधिवक्ता श्री जफ़रयाब जीलानी ने वादा किया था कि 'लीव टू अपील' वापस लेकर संबंधित युवकों को राहत दिलाएंगे । सपा विधायक आलमबदी व कुछ मंत्रियों ने मीडिया में भी बयान देकर कहा था कि सरकार मुक़दमा वापस लेगी । फिर भी आपने ऐसा न करके पुनः जान-बूझकर अपील को उच्च न्यायालय में 8 नवंबर 2016 को मंज़ूर कराया और 10 दिसम्बर 2016 को उनके ख़िलाफ़ ग़ैर-ज़मानती वारंट जारी करवा कर उन्हें पुनः नारकीय जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर किया और उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में विचाराधीन क्रिमिनल अपील संख्या 1815 सन 2016 को वापस न लेकर आपने अपना वादा नहीं निभाया ।

قال اللہ تعالیٰ

احل اللہ البیع وحرم الربوا (القرآن)

اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام فرمایا۔

HALAL
INVESTMENT & FINANCE

Eat Halal Earn Halal

HALAL
INVESTMENT & FINANCE

Best Concept For Bright Future & Best Economic Conditions

Nihal Co-Operative Credit Society Ltd.

Eat Halal Earn Halal
INTEREST FREE INVESTMENT & FINANCE

Regd No. TNA/(TNA)/RSR/1029 Year : 1998/99
Regd. Office : 3rd Floor, Nihal House,
N. H. School Road, Opp. Ideal Tower, Mira Road (E)
Mumbai (Maharashtra)

Chairman : Janab Imammuddin Nihaluddin Shaikh

Contact Us : 9022665544, 9869641648

'वैलेंटाइन दिवस' को 'पारिवारिक एकता दिवस' के रूप में मनाएं

संसार को 'परिवार बसाने' एवं 'पारिवारिक एकता' का संदेश देने वाले महान संत वैलेंटाइन के 'मृत्यु दिवस' को आज जिस 'आधुनिक स्वरूप' में भारतीय समाज में स्वागत किया जा रहा है, उससे हमारी भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता प्रभावित हो रही है । संत वैलेंटाइन ने तो युवा सैनिकों को विवाह करके परिवार बसाने एवं पारिवारिक एकता की प्रेरणा दी थी । इस कारण अविवाहित युवा पीढ़ी का अपने प्रेम का इज़हार करने का 'वैलेंटाइन डे' से कोई लेना-देना ही नहीं है । आज वैलेंटाइन डे के नाम पर समाज पर बढ़ती हुई अनैतिकता ने हमारे समक्ष असामंजस्य तथा सामाजिक पतन की स्थिति पैदा कर रखी है । नैतिक मूल्यों की कमी के कारण आज लड़कियों तथा महिलाओं के विरुद्ध अपराध, छेड़छाड़, अश्लीलता, बलात्कार, हत्या आदि जैसी जघन्य घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रहीं हैं ।

'वैलेंटाइन डे' का दिन हमें संदेश देता है कि अविवाहित स्त्री-पुरुष के बीच किसी प्रकार का अनैतिक संबंध नहीं होना चाहिए । विवाह के पवित्र बंधन को 'वैलेंटाइन डे' पूरी तरह से स्वीकारता एवं मान्यता देता है । आज महान संत वैलेंटाइन की मूल, पवित्र एवं शुद्ध भावना को भुला दिये जाने के कारण यह दिवस मात्र युवक-युवतियों के बीच रोमांस के विकश्त स्वरूप में देखने को मिल रहा है ।

वैलेंटाइन डे को मनाने के पीछे की जो कहानी प्रचलित है उसके अनुसार रोमन शासक क्लाडियस (द्वितीय) किसी भी तरह अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था । इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह संसार की सबसे ताक़तवर सेना को बनाने के लिए जी-जान से जुटा था । राजा के मन में स्वार्थपूर्ण विचार आया कि विवाहित व्यक्ति अच्छे सैनिक नहीं बन सकते हैं । इस स्वार्थपूर्ण विचार के आधार पर राजा ने राजाज्ञा जारी करके अपने राज्य के सैनिकों के शादी करने पर पाबंदी लगा दी ।

रोम के एक चर्च के पादरी महान संत वैलेंटाइन को सैनिकों के शादी करने पर पाबंदी लगाने संबंधी राजा का यह क़ानून ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध प्रतीत हुआ । कुछ समय बाद उन्होंने महसूस किया कि युवा सैनिक विवाह के अभाव में अपनी शारीरिक इच्छा की पूर्ति ग़लत ढंग से कर रहे हैं । सैनिकों को ग़लत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए पादरी वैलेंटाइन ने रात्रि में चर्च खोलकर सैनिकों को विवाह करने के लिए प्रेरित किया । सम्राट को जब यह पता चला तो उसने पादरी वैलेंटाइन को गिरफ़्तार कर माफ़ी मांगने के लिए कहा अन्यथा राजाज्ञा का उल्लघंन करने के लिए मृत्यु दंड देने की धमकी दी । सम्राट की धमकी के आगे संत वैलेंटाइन नहीं झुके और उन्होंने प्रभु निर्मित समाज को बचाने के लिए मृत्यु दंड को स्वीकार कर लिया । संत वैलेंटाइन की मृत्यु के बाद लोगों ने उनके त्याग एवं बलिदान को महसूस करते हुए प्रतिवर्ष 14 फ़रवरी को उनकी पुण्य तिथि पर प्रार्थनाएं आयोजित करना प्रारंभ कर दिया । इसलिए ऐसे महान संत के 'शहीद दिवस' पर ख़ुशियां मनाकर उनकी भावनाओं का निरादर करना सही नहीं है ।

'वैलेंटाइन डे' मनाने को तेज़ी से प्रोत्साहित करने के पीछे छिपी एकमात्र भावना धन कमाना अर्थात 'वैलेंटाइन डे' कार्डों की ब्रिकी का एक बड़ा बाज़ार विकसित करना, फुहड़ डांसों तथा मंहगे होटलों में डिनर के आयोजनों की प्रवृत्तियों को बढ़ाकर अनैतिक ढंग से अधिक से अधिक लाभ कमाने वाली शक्तियां इसके पीछे सक्रिय हैं । विज्ञापन के आज के युग में वैलेंटाइन बाज़ार को भुनाने का अच्छा साधन माना जाता है । मल्टीनेशनल कंपनियां अपने उत्पादों को बेचने के लिए अपना बाज़ार बढ़ाना चाहती हैं और इसके लिए उन्हें युवाओं से बेहतर ग्राहक कहीं नहीं मिल सकते। अत: 'वैलेंटाइन डे' आधुनिक तरीक़ों से मनाने को प्रोत्साहित करना भावी पीढ़ी एवं मानवता के प्रति अपराध है । अंतिम

विश्लेषण यह साफ़ संकेत देते हैं कि 'वैलेंटाइन डे' के आधुनिक स्वरूप का भारतीय समाज एवं छात्रों में किसी प्रकार का स्वागत नहीं होना चाहिए क्योंकि यह मात्र सस्ती प्रेम भावनाओं को प्रदर्शित करने की छूट कम उम्र में छात्रों को देकर उनकी अनैतिक वृत्ति को बढ़ावा देता है ।

हम संत वैलेंटाइन के इन विचारों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं कि विवाह के बिना किसी स्त्री-पुरुष में अनैतिक संबंध होने से समाज में नैतिक मूल्यों में गिरावट आ जाएगी और समाज ही भ्रष्ट हो जाएगा । इस समस्या के समाधान का एकमात्र उपाय है, बच्चों को बचपन से ही भौतिक, सामाजिक, मानवीय तथा आध्यात्मिक सभी प्रकार की संतुलित शिक्षा देकर उनका सर्वांगीण विकास किया जाए । किसी भी बच्चे के लिए उसका परिवार, स्कूल तथा समाज ये तीन ऐसी पाठशालाएं हैं जिनसे ही बालक अपने संपूर्ण जीवन को जीने की कला सीखता है । इसलिए यह ज़रूरी है कि परिवार, स्कूल तथा समाज को ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित किया जाए । एक स्वच्छ व स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए हमारा कर्तव्य है कि हम विश्व के बच्चों की सुरक्षा व शांति के लिए आवाज़ उठाएं और पूरे विश्व के बच्चों तक संत वैलेंटाइन के सही विचारों को पहुंचाएं जिससे प्रत्येक बालक के हृदय में ईश्वर के प्रति, अपने माता-पिता के प्रति, भाई-बहनों के प्रति और समाज के प्रति भी पवित्र प्रेम की भावना बनी रहे ।

दिल्ली गैंगरेप कांड जैसी बढ़ती घटनाएं चरित्र निर्माण, नैतिकता, क़ानून व जीवन मूल्यों की शिक्षा के अभाव में राह भटक गये लोगों के कारण ही हो रहीं हैं । वास्तव में किसी भी मनुष्य के संपूर्ण जीवन को तीन प्रकार के चरित्र निर्धारित करते हैं । पहला प्रभु प्रदत्त चरित्र, दूसरा माता-पिता के माध्यम से प्राप्त वांशिक चरित्र तथा तीसरा परिवार, स्कूल तथा समाज से मिले वातावरण से विकसित या अर्जित चरित्र । इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण चरित्र तीसरा अर्थात 'अर्जित चरित्र' होता है । बालक को जिस प्रकार की शिक्षा परिवार, विद्यालय तथा समाज से मिलती है वैसा ही उसका चरित्र निर्मित हो जाता है । इसलिए आज संसार में बढ़ते अमानवीय कृत्य जैसे हत्या, बलात्कार, चोरी, भ्रष्टाचार, अन्याय आदि शैतानी सभ्यता इन्हीं तीनों क्लास रूमों से मिल रही उद्देश्यविहीन शिक्षा के कारण ही है ।

आइए, वैलेंटाइन डे पर हम सभी लोग यह प्रतिज्ञा ले कि हम अपने मस्तिष्क से भेदभाव हटाकर सारी मानवजाति से प्रेम करेंगे व समानता की भावना पैदा करेंगे । भारत की संस्कृति व सभ्यता ही आज की ज़रूरत है । प्रेम तो ईश्वर से होना चाहिए क्योंकि यही जीवन का शाश्वत सत्य है । अगर ईश्वर से हमारा तार कट गया तो कोई अन्य प्रेम हमें नहीं बचा पाएगा । इसलिए हमें वैलेंटाइन डे पर भाई-बहन का प्रेम, दादा-दादी का प्रेम, माता-पिता का प्रेम, गुरुजनों का प्रेम भी शामिल करना चाहिए तभी हम इस त्योहार का सही मूल्यांकन कर सकेंगे । संत वैलेंटाइन के प्रति सच्ची श्रद्धा यही होगी कि हम 14 फ़रवरी 'वैलेंटाइन डे' को पवित्र भावना से 'पारिवारिक एकता दिवस' के रूप में मनाएं और संसार के सभी बच्चों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को यह संदेश भेजें कि सभी लोग एक-दूसरे से समान रूप से प्रेम करें, आदर करें, तभी एक आध्यात्मिक विश्व की स्थापना हो सकेगी ।

डॉ॰ जगदीश गांधी
संस्थापक/प्रबंधक
सिटी मोंटेसरी स्कूल, लखनऊ

आतंकवाद : हक़ीक़त क्या है ?

आज विश्व का अधिकांश भाग आतंकवाद से ग्रस्त है। रोज़ाना बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, अरबों रुपयों की संपत्तियां नष्ट हो रही हैं, देश के देश तबाह किये जा रहे हैं । आख़िर कौन लोग हैं जो स्वयं मनुष्य होते हुए भी मनुष्यों की जान के दुश्मन बने हुए हैं ? क्या चीज़ है जो उन्हें ऐसे घृणित कृत्य करने पर उकसाती हैं ? क्या वे धार्मिक हैं ?

अमेरिकी फ़ेडरल क़ानून के अनुसार "लोगों अथवा संपत्ति के विरुद्ध बल अथवा हिंसा के प्रयोग द्वारा राज्य, जनता या किसी समुदाय विशेष पर दबाव बना कर अपने राजनीतिक अथवा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति आतंकवाद है ।" समस्या यह है कि किसी एक देश अथवा समुदाय का आतंकवाद किसी अन्य के लिए स्वतंत्रता संग्राम है । किसी समूह द्वारा की गयी हिंसा को कभी पूर्व में की गयी हिंसा की 'प्रतिक्रिया' कहकर न्यायोचित ठहरा दिया जाता है । ऐसी स्थिति में आतंकवाद को ठीक-ठीक परिभाषित करना कठिन है । परन्तु यह निश्चित है कि पीड़ित व्यक्ति, समूह या देश के लिए तो उसके विरुद्ध की गयी हिंसा आतंकवाद ही है ।

यह भी सत्य है कि आये दिन बम धमाके, आम लोगों

को गोलियों से भून दिया जाना, आत्मघाती हमले आदि लोगों के मन में दहशत पैदा करते हैं। लोग अपने और अपने बच्चों के भविष्य के प्रति आशंकित हो जाते हैं। लोगों का आपसी विश्वास ध्वस्त हो जाता है और वे एक-दूसरे पर संदेह करने लगते हैं। दूसरी इससे भी भयावह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब राज्य एवं प्रशासन आतंकवाद के निबटने की प्रक्रिया में असंख्य लोगों को मात्र संदेह के आधार पर पकड़ कर जेलों में बंद कर देते हैं। अब उनके विरुद्ध 'सबूत' तलाश करने या 'बनाने' की क़वायद शुरू हो जाती है। वर्षों बाद कुछ के बारे में यह साबित किया जाता है कि ये वास्तव में आतंकवादी हैं। और अन्य अपने जीवन के सबसे सुनहरे और अमूल्य वर्ष जेलों में बिताने के बाद अंत में निर्दोष पाये जाते हैं तब उन्हें रिहा कर दिया जाता है। तब जबकि वे अपना मान-सम्मान और समाज में सर उठा कर चलने का अधिकार खो चुके होते हैं। उनकी इस अपूरणीय क्षति के बदले उन्हें इतना भी मुआवज़ा नहीं दिया जाता जिससे वे अपना जीवन नये सिरे से शुरू कर सकें।

न्याय, लोकतंत्र की मूल भावना है। यदि किसी देश के लोकतंत्र को मापना हो तो उसके न्यायालयों में चले जाइए, वहां पता चलता है कि वह देश कितना लोकतांत्रिक है। कई बार आरोपी को समुचित न्यायिक सहायता ही उपलब्ध नहीं हो पाती और कभी उससे कहा जाता है कि अब वह पकड़ा जा चुका है तो उसके विरुद्ध कुछ तो आरोप लगाए ही जाने हैं और चूंकि वह अपने आपको निर्दोष साबित नहीं कर सकता अत: उसे लगाये गये आरोपों को स्वीकार कर लेना चाहिए, अन्यथा उस पर इससे भी गंभीर आरोप लगाये जा सकते हैं और अपने आपको निर्दोष सिद्ध करने का दायित्व हर हाल में उसी पर होगा।

यह बेहद गंभीर स्थिति है। वास्तविक आतंककारी कई कारणों से क़ानून की पकड़ से दूर रहते हैं। कभी उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है और कभी वे सामुदायिक सहानुभूति के कारण स्वाभाविक रूप से निर्दोष मान लिये जाते हैं। कई ऐसी रिपोर्टें हैं जिनसे ज्ञात होता है कि कुछ शक्तियों या संगठनों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आतंकवादी बनाए भी जाते हैं। ऐसे भी उदाहरण है कि कुछ असंतुष्ट क़िस्म के नवजवानों को तलाश करके उन्हें हिंसा समर्थक वार्तालाप करने और कभी-कभी हिंसा के लिए योजना बनाने के लिए तैयार कर लिया जाता है, सोशल मीडिया पर उन्हें चैट में उलझाया जाता है और फिर जब वे अपनी ओर से कुछ 'आपत्तिजनक' बात कहने लगते हैं या किसी तथाकथित योजना में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उन्हें पकड़ कर कहा जाता है कि बहुत बड़ी आतंकवादी कार्रवाई का पर्दाफ़ाश कर दिया गया है। उनका संबंध किसी विदेशी अथवा काल्पनिक संगठन से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार एक कृत्रिम शत्रु का आविष्कार कर लिया जाता है ताकि अधिक दमनात्मक क़ानून बनाकर जनता की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों को कम किया जा सके या अधिक हथियार ख़रीदने का औचित्य मिल सके।

आज पूरे देश में आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस्लाम अन्य धर्मावलंबियों को मारने की शिक्षा देता है। कुछ लोगों एवं संगठनों के कार्यकलाप से भी यही सिद्ध हो रहा है, क्योंकि वे अपनी हिंसा को उचित ठहराने के लिए इस्लामी शिक्षाओं का सहारा ले रहे हैं, इन्हीं में से इस समय सबसे अधिक चर्चा में आई॰एस॰आई॰एस॰ (इस्लामिक स्टेट ऑफ़ इराक़ एंड सीरिया) है। इसका मुखिया अपने आपको 'ख़लीफ़ा' अर्थात सारे मुसलमानों का धार्मिक शासक कहता है। उसके शिकार भी मुसलमान ही हैं जो उसके अनुसार 'काफ़िर' अर्थात ईश्वर का इन्कार करने वाले हैं। वह अपने कामों के लिए पवित्र क़ुरआन से औचित्य प्रस्तुत करता है। परन्तु उसके तथाकथित 'मुजाहिदों' के जीवन को देखा जाए तो वे शराब, परस्त्रीगमन और अन्य अधार्मिक कृत्यों में लिप्त पाये जाते हैं जिन्हें क़ुरआन 'हराम' यानी निषिद्ध और पाप क़रार देता है। इनमें से अधिकांश वे युवक हैं जिन्होंने क़ुरआन पढ़ा ही नहीं है या पढ़ा भी है तो केवल अरबी भाषा में बिना समझे। बस उन्हें बता दिया गया है कि क़ुरआन में वह लिखा है जो उन्हें बताया जा रहा है और यह कि उनका हर कृत्य अल्लाह को प्रसन्न करने वाला है जिसके बदले उन्हें जन्नत (स्वर्ग) मिलेगी। इन्होंने विजित क्षेत्र के निवासियों की हत्या, उनकी संपत्तियों के विनाश और उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार तक को जायज़ ठहरा लिया है, जबकि इस्लाम के युद्ध संबंधी नियमों में यह स्पष्ट है कि किसी विजित क्षेत्र के वृक्षों एवं फ़सलों को भी नुक़सान न पहुंचाया जाए, पानी के स्रोतों को दूषित न किया जाए, बूढ़ों, बच्चों और स्त्रियों को हानि न पहुंचाई जाए और अन्यों में भी जो तुम्हारे विरुद्ध शस्त्र न उठाये उसे कोई हानि न पहुंचायी जाए तथा जो घर में बैठा रहे वह शरण में है। पवित्र क़ुरआन में लिखा है "जिसने किसी एक व्यक्ति की

जान ले ली उसने मानो सारी मानवता की हत्या कर दी और जिसने एक व्यक्ति की जान बचायी उसने सारी मानवता को बचा लिया ।'' (5:32)

डॉ॰ मुहम्मद इक़बाल सिद्दीक़ी
जयपुर, राजस्थान

तब और अब

हमारे यहां 1947 के बाद से ही शिक्षा की नीति पर विचार-विमर्श चलता चला आ रहा है । भांति-भांति के प्रयोग होते आये हैं, हो रहे हैं । पुरानी शैली को दरकिनार कर दिया गया । नयी पुख़्ता कोई बन नहीं पायी । हालत यह है कि न इधर के रहे हैं न उधर के । प्रदेश अपनी मर्ज़ी से, जब जैसी सरकार होती है, परिवर्तन कर डालते हैं । बेशक अच्छी भावना से, अच्छे के लिए । किन्तु कुछ भी अच्छा सामने दिखायी नहीं पड़ता । कभी कहीं अंग्रेज़ी हटा दी जाती है । कभी पुनः लागू कर दी जाती है । कहीं त्रि-भाषायी फ़ारमूला जारी हो जाता है । फिर अचानक वह समाप्त कर दिया जाता है । बेचारे बच्चे विषयों की भरमार तथा बस्ते के नित बढ़ते भार से हलकान परेशान रहते हैं । आज ट्यूशन के बिना पढ़ाई संभव ही नहीं रही । वह भी हर विषय के लिए अलग-अलग ट्यूटर । अलग-अलग दिशा में अलग-अलग दूरी पर । बेचारा बच्चा चक्करघिन्नी बना रहता है । हमने अपने बच्चों से उनका बचपन ही छीन लिया है ! उन्हें खेलने-कूदने का हो अवसर ही नहीं मिल पाता । अपनी करनी का दोष हम मासूम बच्चों के सिर मढ़ने से ज़रा भी नहीं हिचकते । उन्हें उच्छृंखल की संज्ञा दे देते हैं ! स्कूल टीचर्स से पढ़ाने के अतिरिक्त हर संभव काम लेना आम बात है । हमारे कर्णधारों को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता । शारीरिक दंड देना अपराध बना दिया गया है । बेचारे शिक्षक शिक्षिकाएं समझ नहीं पाते कि उद्दंड छात्रों को वे संभालें तो कैसे ? स्थिति विस्फोटक हो चली है मगर हमारे शिक्षाशास्त्री ख़रगोश की नींद सो रहे हैं ! स्कूलों कॉलेजों में शिक्षक पढ़ाने से इतर पालिटिक्स में अधिक व्यस्त नज़र आते हैं । उन्हें संस्थान में पढ़ाने से कहीं अधिक ट्यूशन पढ़ाने में रुचि रहती है । किसी ने क्या ख़ूब कहा है कि ''आज पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले के बीच मात्र इतना रिश्ता है कि छात्र फ़ीस देता है और शिक्षक पगार लेता है !'' कुछ ही समय पहले राजधानी दिल्ली के एक स्कूल में दो छात्रों ने दिन दहाड़े अपने ही क्लास टीचर की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी । एक शायर ने आज के हालात का इन शब्दों में जायज़ा लिया था–

''वह बाद-ए-ख़ुदा दर्जा उस्ताद को देते थे
उस्तानी का अग़वा भी अब तो है रवा करना ।''

एक समय था कि डॉक्टर, हकीम, वैद्य का स्थान हमारे मन में भगवान के बाद रहता था । डॉक्टर को अपनी परेशानी बताने भर से आधी बीमारी जैसे दूर हो जाती थी । तब डॉक्टर पर विश्वास होता था । आज डॉक्टरी एक पुण्य का काम नहीं मात्र धंधा बन चुका है । पैसा कमाना भर ही एकमात्र उद्देश्य रह गया है । आंखों देखी बता रहा हूं–डॉक्टर साहब आला एक को लगा रहे हैं, नब्ज़ दूसरे की पकड़े हैं, हक़ीक़त तीसरे की सुन रहे हैं, नुस्ख़ा चौथे का लिख रहे हैं ! मन में आया कि हे भगवान तू ने इन्हें चार हाथ क्यों न दिये ! हर डॉक्टर के यहां भीड़ ही भीड़ । कई डॉक्टर 4-4, 5-5 दिन बाद का एपाएंटमेंट देते हैं । बताइए मरीज़ इस बीच करे तो क्या करे । डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं भीड़ उनकी तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ती जा रही है ! इनकी फ़ीस ! बस ख़ुदा की पनाह ! हर बार जाने पर बढ़ी हुई मिलती है । भांति-भांति के टेस्ट लिखना सामान्य बात है ।

याद आती है पुराने दिनों की जब डॉक्टर साहब अपने अनुभव से रोग का निदान कर लेते थे । तब जगह-जगह पैथालॉजिकल लैब्ज़ कहां नज़र आते थे । टेस्टों के बारे में अनेक बातें कही सुनी जाती हैं ! कि इनमें लिखने वाले डॉक्टर का परसेंटेज बंधा होता है । नयी-नयी महंगी से महंगी दवाइयां लिखना तो आम बात है । ढेरों मेडीकल रिपरिजेंटेटिव तथा उनका पूरा का पूरा ढांचा इसी पर तो टिका रहता है । कहा जाता है कि डॉक्टरों को फॉरेन टूर तक क़ीमती तोहफ़े दे-देकर हर कंपनी अपनी नयी दवाइयां लिखने को प्रेरित और प्रोत्साहित करती है ।

मगर सब कुछ नकारात्मक ही हो, ऐसा भी नहीं है । आज भी ऐसे डॉक्टर हैं जो अपने पेशे के प्रति समर्पित हैं । डॉक्टरी पास करते समय ली गयी शपथ को भूले नहीं हैं । मैं जबलपुर के एक डॉक्टर साहब को जानता हूं जो मात्र दो रुपये फ़ीस वर्षों तक लेते रहे । लोगों के बार-बार ज़िद करने पर तीन रुपये । आज भी महज़ दस रुपये लेते हैं । चिल्लर की कमी के कारण । जबकि लगभग 80 प्रतिशत केसों में ब्लडप्रेशर भी चेक करते हैं । बहुत कुछ बिगड़ा है मगर सब कुछ नहीं बिगड़ा । आज भी ऐसे अपवाद मौजूद हैं जो कहते ही नहीं मानते भी है कि "I treat he cures"।

ओमप्रकाश बजाज
पोस्ट बॉक्स 595, जी॰पी॰ओ॰, इंदौर (म॰प्र॰)

इस्लाम के गुण और लाभ

■ अबू मुहम्मद इमामुद्दीन रामनगरी

यदि इस बात में मनुष्य का विश्वास होगा कि वह अपने संपूर्ण जीवन में और जीवन के सारे साधनों के साथ ईश्वर का भक्त और आज्ञाकारी है तो उससे कोई अत्याचार और अनाचार व्यवहार में नहीं आ सकता । न वह किसी को दुख देगा, न किसी को हानि पहुंचाएगा, न किसी का अधिकार हनन करेगा, न किसी से झूठ बोलेगा, न जालसाज़ी करेगा, न धोखा देगा, न लेन-देन में विश्वासघात करेगा, न कम नापेगा, न कम तौलेगा, न किसी को घटिया और ख़राब चीज़ देगा, न किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रचेगा, न किसी की बुराई चाहेगा, न उपद्रव मचाएगा, न अशांति फैलाएगा, न नारी अपहरण करेगा, न सतीत्व नष्ट करेगा, न दुर्बल बूढ़ों, निर्दोष बच्चों और अबला स्त्रियों पर हाथ उठाएगा, वह चोरी और छिपे भी कोई बुरा काम न करेगा इसलिए कि उसका जीवन मनुष्यों के बनाए हुए नियम पर निर्भर न होगा, बल्कि उसके जीवन का आधार होगा ईश्वर की भक्ति और उसकी आज्ञापालन का विश्वास ।

जिस विश्वास के प्रभाव से वह अत्याचार, अनैतिकता और दुराचार से बचेगा, उसी विश्वास की प्रेरणा से वह भलाई और पुण्य के कार्य करेगा । वह अन्याय नहीं करेगा बल्कि न्याय करेगा । अत्याचार नहीं करेगा बल्कि अत्याचार को मिटाएगा और अत्याचार पीड़ितों की सहायता करेगा । वह किसी को दुख न देगा, लोगों के दुख दूर करेगा, वह किसी को हानि न पहुंचाएगा, लोगों को हानि से बचाएगा, वह किसी का अधिकार न मारेगा, अधिकार दिलाएगा, वह उपद्रव न करेगा, उपद्रव को रोकेगा, वह अशांति न फैलाएगा, शांति की रक्षा करेगा, वह नारी सतीत्व को नष्ट न करेगा, उसकी रक्षा करेगा, वह बूढ़ों, बालकों और स्त्रियों पर हाथ न उठाएगा, उन पर उठने वाले हाथों को रोकेगा, वह कुकर्म न करेगा, कुकर्म को मिटाएगा, वह झूठ न बोलेगा, सच बोलेगा, वचन का पालन करेगा, वाणिज्य व्यवसाय में ईमानदारी से काम लेगा, ठीक नापेगा, ठीक तौलेगा, अच्छी चीज़ देगा । सारांश यह कि वह जो काम भी करेगा अच्छा ही काम करेगा ।

इस विषय की एक मुख्य विशेषता भी है । इस विश्वास से मनुष्य जो काम भी करेगा, उसे ईश्वर की आज्ञा समझ कर भक्ति और आज्ञापालन की धारणा से करेगा । इसलिए उसके सारे कामों में वही महानता और पवित्रता होगी जो सच्ची इबादत और भक्ति में होती है । कुछ कामों के उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं–

(1) दूसरे लोग ठीक नाप-तौल इसलिए करते हैं कि राज नियम उनको ऐसा करने पर बाध्य करता है । उनमें से जिन लोगों को उस नियम के उल्लंघन का अवसर मिल जाता है वे उल्लंघन करने में कोई हिचक अनुभव नहीं करते । लेकिन जो मनुष्य ईश्वर और उसकी भक्ति में विश्वास रखने वाला है वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए यह आदेश उसके पालनहार ईश्वर ने कुरआन में दिया है कि–

"नाप और तौल को ठीक-ठीक पूरा करो ।"

(कुरआन, 6:152)

(2) दूसरों के निकट हत्या और रक्तपात से इसलिए बचना चाहिए कि वह राज नियम के विरुद्ध है । जो हत्या और रक्तपात करेगा उसे राज दंड भोगना पड़ेगा । लेकिन अगर राज कर्मचारियों से बचकर ये कुकर्म किये जा सकते हैं तो दूसरे उनको कर सकते हैं । लेकिन ईश्वरीय आज्ञा में विश्वास रखने वाला उन कार्यों को नहीं कर सकता, क्योंकि उसे उसके प्रभु का आदेश है कि–

"और किसी जीव की अनधिकार हत्या न करो, जिसकी हत्या अल्लाह ने निषिद्ध ठहरा दी ।"

(कुरआन, 17:33)

(3) दूसरों के निकट झूठ बोलना केवल एक नैतिक दोष हो सकता है और कुछ दशाओं में नियम विरुद्ध भी । लेकिन वे अवसर देखकर झूठ भी बोल सकते हैं, मगर ईश्वरीय आज्ञा में विश्वास रखने वाले के लिए झूठ से बचना

अनिवार्य है–"झूठ बोलने से बचो ।" (कुरआन, 22:30)

न्याय और सत्य की बात उसके संबंधियों के विरुद्ध पड़ती हो तब भी उसे यही आदेश है कि वह न्यायसंगत ही बात कहे–

"जब बोलो तो न्याय के अनुसार ही बोलो चाहे वह अपना संबंधी ही हो जिसके विरुद्ध तुम्हें सत्य और न्याय के अनुसार कहना पड़े ।" (कुरआन, 6:152)

(4) दूसरों के निकट वचन और प्रतिज्ञा का महत्व एक नैतिक दायित्व से अधिक नहीं हो सकता, किंतु एक ईश्वर भक्त हर अवस्था में उनका पालन करेगा । क्योंकि उसको ईश्वर का आदेश है–

"वचन और प्रतिज्ञा को पूरा करो । निस्संदेह वचन और प्रतिज्ञा के संबंध में ईश्वर के सम्मुख तुम से पूछताछ होगी ।" (कुरआन, 17:34)

(5) साधारण लोगों के निकट परस्त्री-गमन केवल नैतिकता विरुद्ध कार्य हो सकता है और गुप्त रूप से हो तो नैतिकता का भी कोई प्रश्न नहीं । लेकिन ईश्वरीय नियम के एक पालनकर्ता के लिए व्यभिचार सदा महापाप है क्योंकि ईश्वर ने उसे वर्जित ठहरा दिया है–

"परस्त्री गमन के निकट भी न जाओ, क्योंकि वह निर्लज्जता और बुरा रास्ता है ।" (कुरआन, 17:32)

"निर्लज्जता और बुराई के जितने काम हैं उन सबकी ईश्वर ने मनाही कर दी है ।" (कुरआन, 16:90)

निर्लज्जता और गन्दगी के काम प्रकट हों या अप्रकट एक ईश्वर भक्त किसी दशा में उनके निकट न जाएगा । क्योंकि उस पर ऐसे कामों का हर मार्ग बन्द कर दिया गया है–

"निर्लज्जता और गन्दगी के जितने भी कार्य हैं वे प्रकट हों या गुप्त उनके समीप भी न जाओ ।"

(कुरआन, 6:151)

(6) दूसरे लोग समाज और शासन की व्यवस्था के महत्व को दृष्टि में रखकर न्याय करेंगे और यदि अवसर पा जाएंगे और अपना लाभ समझेंगे तो न्याय की हत्या भी कर डालेंगे । लेकिन ईश्वर भक्ति में विश्वास रखने वाले के सामने यह आदेश होगा–

"अल्लाह न्याय करने का आदेश देता है ।"

(कुरआन, 16:90)

वह अपने शत्रु के साथ भी न्याय ही करेगा, अन्याय न करेगा । क्योंकि उसे आदेश दिया गया है–

"किसी की शत्रुता तुमको इतना भड़का न दे कि तुम न्याय छोड़ दो । तुम्हें चाहिए कि तुम हर अवस्था में न्याय ही करो । यही नीति कर्म संयम से अधिक निकट है और अल्लाह से डरते रहो । तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उससे भली-भांति बाख़बर है ।" (कुरआन, 5:8)

दूसरे लोगों की इच्छा पर निर्भर है कि झूठी गवाही दें या सच्ची । यदि वे सच्ची गवाही देंगे तो उनके विचार से जिसकी ओर से उनको गवाही देनी है या इस विचार से कि सच्ची गवाही न देंगे तो किसी हानि में पड़ जाएंगे । अधिक से अधिक उनको विचार होगा तो अपने सदाचार और व्यक्तित्व का, परन्तु एक ईश्वर भक्त, सदाचार और नैतिकता के उपरांत इस बात पर भी दृष्टि रखेगा कि उसे ईश्वर की ओर से यही आदेश ही मिला है । उसे किसी संबंध का विचार और किसी हानि का भय न होगा । जब भी गवाही देगा, सच्ची ही गवाही देगा । बल्कि उसे तो संबंध का विचार और हानि का भय त्याग कर भी सच्ची गवाही देनी पड़ेगी । उसके सम्मुख यह आदेश होगा कि–

"अल्लाह पर विश्वास रखने वालो ! अल्लाह की आज्ञापालन के लिए सत्य की गवाही देकर न्याय के स्थापक बनो चाहे तुम्हारे इस न्याय और इस गवाही का प्रभाव स्वयं तुम पर, तुम्हारे माता-पिता पर और तुम्हारे संबंधियों पर ही पड़ता हो, तुम्हें जिस पर गवाही देनी पड़े वह धनी हो या निर्धन, अल्लाह उन दोनों से अधिक ध्यान में रखने योग्य है । अत: ऐसा न हो कि तुम मनेच्छा के पीछे पड़ कर न्याय विरुद्ध कार्य करो और यदि तुमने एंच-पेंच से काम लिया या सत्य से मुंह मोड़ा तो जान रखो कि तुम जो कुछ भी करते हो निस्संदेह अल्लाह उसकी सूचना रखता है ।"

(कुरआन, 4:135)

(9) दूसरों की इच्छा पर निर्भर है कि वे पुण्य और संयम के कामों में सहयोग दें या पाप और अत्याचार में सहायक हों । साधारणत: यही हो भी रहा है कि अपनी जाति और संप्रदाय के सारे अच्छे और बुरे कार्यों में सहयोग दिया जा रहा है और दूसरी जाति या संप्रदाय के अच्छे या बुरे सभी कार्यों का विरोध किया जा रहा है । लेकिन एक ईश्वरभक्त इस पर नियुक्त है कि वह केवल पुण्य और संयम के कामों में सहायता करे और पाप और अत्याचार से सर्वथा अलग रहे । उसको यह आदेश है–

और पाप और अत्याचार के जो काम हैं उनमें किसी की सहायता न करो, और अल्लाह से डरते रहो निस्संदेह वह बहुत कठोर दंड देने वाला है ।"

(10) दूसरों के निकट इस बात में कोई महत्व नहीं कि वह रास्ता चलता है तो किस प्रकार ? अकड़ता हुआ या नम्रता के साथ, परंतु एक ईश्वर भक्त को अपनी इस दशा पर भी दृष्टि रखनी पड़ती है । क्योंकि उसको इस विषय में भी यह आदेश है–

"पृथ्वी पर अकड़ता हुआ मत चल, इस प्रकार तू न पृथ्वी को फाड़ डालेगा और न बढ़कर पर्वतों तक ही पहुंच जाएगा ।" (कुरआन, 17:37)

उसको बताया गया है कि ईश्वर के सच्चे भक्त धरती पर चलते हैं तो नम्रता के साथ झुके हुए चलते हैं । अकड़ते और इतराते हुए नहीं चलते–

"और दयालु खुदा के भक्त धरती पर चलते हैं तो नम्रता के साथ ।" (कुरआन, 25:63)

(11) दूसरे अपने को स्वतंत्र समझते हैं कि वे अपने धन का जैसे चाहें उपयोग करें और जिस प्रकार उनकी इच्छा हो उड़ाएं, उन पर कोई दायित्व नहीं । परंतु एक ईश्वर भक्त इस व्यवहार में भी अपने को स्वतंत्र नहीं समझता । क्योंकि उसके लिए इस विषय में भी यह आदेश मौजूद है–

"फ़िज़ूलख़र्ची न करो, फ़िज़ूलख़र्ची करने वाले शैतान के भाई हैं ।" (कुरआन, 17:27)

"खाओ और पियो और (ख़र्च करने में) सीमा से न बढ़ो । निस्संदेह अल्लाह सीमा से बढ़ने वालों को पसन्द नहीं करता ।" (कुरआन, 7:31)

(12) दूसरे लोग पूर्ण स्वतंत्रता के साथ सूद (ब्याज) खा सकते हैं लेकिन ईश्वर भक्तों पर ईश्वर की ओर से रोक लगी हुई है–

"ईश्वर पर विश्वास रखने वालो ! सूद पर सूद न खाओ ।" (कुरआन, 3:130)

(13) दूसरे लोग शराब पी सकते हैं और जुआ खेल सकते हैं । किसी न किसी रूप और किसी न किसी अंश में उनको क़ानूनी स्वतंत्रता और अनुमति भी प्राप्त है, लेकिन एक ईश्वर-आज्ञाकारी के लिए यह दोनों कार्य वर्जित हैं–

"ऐ (ईश्वर पर) विश्वास रखने वालो ! मदिरा, जुआ और झूठे उपास्यों के स्थान, और पांसे यह सब गन्दे शैतानी (कुरआन, 5:90)

(14) माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना और स्त्रियों को सुरीति से रखना, दूसरों के निकट अधिक से अधिक एक शिष्ट और नैतिक धर्म तो हो सकता है लेकिन ऐसा न करना नियम विरुद्ध भी नहीं, परन्तु ईश्वर भक्त के लिए उन कार्यों में इस विचार के अतिरिक्त यह महानता भी है कि यह कार्य भी ईश्वर भक्ति के अंतर्गत है और इनके संबंध में भी ईश्वर के आदेश मौजूद हैं–

"और हमने मनुष्य को यह आदेश दिया है कि वह अपने माता-पिता के साथ श्रेष्ठ व्यवहार करे ।" (कुरआन, 46:15)

"अगर तेरे सामने उन (माता-पिता) में से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनसे इस तरह बोला कर जो मर्यादापूर्ण हो और उनके लिए दया से नम्रता के कंधे झुकाए रख ।" (कुरआन, 17:23)

"और स्त्रियों के साथ सुरीति का व्यवहार करो ।" (कुरआन, 4:19)

(15) दूसरे लोगों पर ग़रीब रिश्तेदारों, अनाथ बालकों, समाज के निर्धन और ग़रीब मुसाफ़िरों के प्रति कोई दायित्व नहीं, लेकिन इस्लाम में इन सबकी सहायता ईश्वर भक्ति में दाख़िल है । इसलिए कि इस बारे में यह आदेश मौजूद है–

"रिश्तेदारों को, निर्धनों को और यात्रियों को उनका हक़ दो ।" (कुरआन, 17:26)

"पुण्य कार्य वह करता है जो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए संबंधियों को और अनाथ बालकों को और समाज के निर्धनों को और यात्रियों को धन की सहायता देता है ।" (कुरआन, 2:177)

(16) दूसरों का इस बात से कोई संबंध नहीं कि संसार में नैतिकता फैल रही है या अनैतिकता, मानवता का प्रसार हो रहा है या दानवता का, न्याय की वृद्धि हो रही है या अन्याय की । दूसरे नैतिकता के विरुद्ध अनैतिकता को, मानवता के विरुद्ध दानवता को और न्याय के विरुद्ध अन्याय को प्रोत्साहन और बढ़ावा दे सकते हैं, मगर एक ईश्वर भक्त न केवल यह कर सकता है कि वह इन बातों से उदासीन रहे, बल्कि उस पर इस बात का दायित्व है कि वह अच्छी रीति-व्यवहार का प्रचार करे और बुरी रीति-व्यवहार से लोगों को रोके । यह ईश्वर भक्तों को, चाहे वह पुरुष हों या

स्त्री पहचान है–

"ईश्वरवादी पुरुष और स्त्रियां ईश्वरीय आज्ञा के पालन में परस्पर सहायक हैं। वे अच्छे कार्यों का आदेश देते हैं और बुरे कार्यों से रोकते हैं।" (कुरआन, 9:67)

इस्लाम सुकर्म को पूजा-उपासना का एक अंग मानता है। कुरआन में है–

"ऐ ईश्वर पर विश्वास रखने वालो ! ईश्वर के सम्मुख घुटनों के बल झुको, भूमि पर नतमस्तक हो जाओ, अपने उस पालनकर्ता की उपासना करो तथा भलाई के कार्य करो, आशा है तुमको कल्याण प्राप्त होगा।" (कुरआन, 22:77)

यह कुछ ईश्वरीय आदेश इस बात के प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत किये गये हैं कि इस्लाम के मतानुसार ईश्वरभक्तों का संपूर्ण जीवन ईश्वर आज्ञा और ईश्वर भक्ति के अधीन होता है।

इसी प्रकार मानव जीवन के अन्य भागों के संबंध में सैद्धांतिक और विस्तृत रूप से ईश्वरीय नियम और आज्ञाएं मौजूद हैं और इस्लाम ने उन मनुष्यों पर जो अपने को ईश्वरवादी और ईश्वर भक्त कहते हों उनका पालन अनिवार्य ठहराया है और उन सबका पालन ईश्वर भक्ति और इबादत के अंतर्गत है।

आपने इस बात को भली-भांति जान लिया कि इस्लाम के मतानुसार इबादत और भक्ति नाम है संपूर्ण जीवन को ईश्वरीय आज्ञानुसार बना लेने का। आप पर यह बात भी स्पष्ट हो गयी कि ईश्वरीय आदेश इतने विस्तृत और संपूर्ण हैं जो पूरे मानव-जीवन को अपने क्षेत्र में लिए हुए हैं। अब आइए एक अंतिम दृष्टि इस विषय पर डाल कर यह देखिए कि यदि मानवजाति में ईश्वर भक्ति का प्रचार हो जाए और ईश्वरीय आदेशों का पालन होने लगे तो मानव-जीवन कितना स्वर्गमय, कितना कल्याणमय और कितना शांतिमय हो जाए।

ज़रा कल्पना कीजिए कि अगर हिंसा, हत्या, उपद्रव, रक्तपात और अत्याचार मिट जाए। सत्य, न्याय और शांति स्थापित हो जाए। और न कोई झूठ बोले, न कोई विश्वासघात करे, न कोई झूठी गवाही दे और न कोई अन्याय करे। सूदी-व्यवस्था समाप्त हो जाए, मदिरा-पान मिट जाए, व्यभिचार से लोग घृणा करने लगें। कोई किसी बुरे कार्य के निकट न जाए, कोई किसी बुरे कार्य में सहायता न दे ! प्रेम, पुण्य, शांति और न्याय की स्थापना को सब अपना कर्म और कर्तव्य समझें। हर व्यक्ति का यही धर्म हो, हर समाज का यही धर्म हो, हर देश और हर राष्ट्र का यही धर्म हो तो संसार में आज जिस संघर्ष और अशांति का प्रचार हो रहा है वह लुप्त हो जाए और हर देश और हर राष्ट्र एक-दूसरे का मित्र और बंधु बन जाए।

इसं विषय को समाप्त करते हुए एक बार फिर इस तथ्य को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं कि जिन ईश्वरीय आदेशों का ऊपर उल्लेख किया गया है उनमें से बहुत-से नियम व सिद्धांत दूसरी जीवन व्यवस्थाओं और विधानों में भी जाए जाते हैं, लेकिन किसी व्यवस्था और विधान का आधार उतना दृढ़ नहीं है जितना इन नियम व सिद्धांतों का।

दूसरे नियमों के पीछे शासन के प्रभाव और भय के अलावा कोई शक्ति नहीं, चाहे वह शासन व्यक्तिवाद पर स्थापित हो, चाहे जनवाद पर, किंतु इस्लाम जो व्यवस्था और नियम पेश करता है उसके पीछे ईश्वर विश्वास तथा परलोक विश्वास की अक्षय शक्ति विद्यमान है और उनको ईश्वर भक्ति और इबादत का स्थान प्राप्त है। और यही वह शक्ति और महानता है जो इस्लाम के ईश्वरीय विधान के सिवा संसार के किसी नियम और विधान को न प्राप्त है और न प्राप्त हो सकती है।

M/s. ABBAS SOAP FACTORY

77/2, Topsia Road (South)
KOLKATA - 700 046

अगर कोई अपने ब्रांड के नाम से माल बनवाना चाहते हैं तो भी राबिता क़ायम करें।

PRODUCTS

- ✓ WASHING POWDER
- ✓ TOILET SOAP
- ✓ WASHING SOAP
- ✓ DETERGENT POWDER
- ✓ BATH SOAP

Contact For Business
For
Agency & Distributor Ship

M : 08100226137 (Mohd. Abbas)
M : 09831496237 (Mohd. Khalid)
M : 08981605834 (Mohd. Khalid)

आत्मा के प्रति इस्लाम की धारणा

■ मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां

विभिन्न धर्मों विशेष रूप से भारतीय विचारधारा और भारतीय दर्शनों पर दृष्टि डालने के पश्चात हम इस्लाम की शिक्षाओं पर एक दृष्टि डालना चाहेंगे । इस्लाम वास्तव में ईश्वर की ओर से एक निर्णायक धर्म के रूप में अवतरित हुआ है । इस्लाम के प्रकाश में हम यह देख सकते हैं कि सत्य कहां और कितना पाया जाता है । इस्लाम सत्य की पुष्टि करता और असत्य को असत्य बताता है । इस्लाम ही वास्तव में समस्त नबियों और पैग़म्बरों का धर्म रहा है । ईश्वर ने सदैव धर्म के विषय में मानवों का मार्गदर्शन किया है । संसार में शारीरिक रूप से हम जीवित रह सकें केवल इसी को उसने व्यवस्था नहीं की बल्कि हमारे आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शन की भी व्यवस्था की । इसी के लिए उसने अपने नबी या संदेशवाहक भेजे जिन्होंने मानवों को बताया कि ईश्वर की ओर से उनके लिए क्या आदेश है और मनुष्य के जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है ? मनुष्य के लिए कहीं अमरत्व भी है या नहीं ?

ईश्वर के अस्तित्ववान होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उसने स्वयं हमें अपना ज्ञान दिया और हमारे जीवन में हमारे मार्गदर्शन की पूर्ण रूप से व्यवस्था की । उसने केवल हमें हमारी बुद्धि के हवाले नहीं किया बल्कि अपनी वाणी भी अवतरित की जिसके प्रकाश में हम अपनी बुद्धि और विवेक से सही काम ले सकें ।

जो लोग या जो संप्रदाय आत्मा और ईश्वर में विश्वास नहीं रखते उनकी विवेकहीनता और संकुचित दृष्टिकोण पर हम जितना भी दुख प्रकट करें, वह थोड़ा है ।

क़ुरआन में निरीश्वरवाद, बहुदेववाद और अनीश्वरवाद आदि का स्पष्टत: निषेध किया गया है । और कहा गया है कि ईश्वर यकता है । ईश्वर आश्रयमुक्त है । वह सर्वाधार और सबका आश्रय है । न वह जनिता है और न जन्य है । और न कोई उसका समकक्ष है ।

(क़ुरआन, सूरा-112, इख़्लास, आयत-1-4)

इस्लाम के अनुसार ईश्वर सर्वगुण संपन्न है । अच्छे काम उसी के हैं अर्थात वह समस्त अच्छे गुण और विशेषताएं रखता है । (क़ुरआन, सूरा-17, बनी-इसराईल, आयत-10) किन्तु उस जैसा कोई नहीं । प्रत्येक गुण उसके विशिष्ट हैं । सुनते और देखते हम भी हैं किन्तु उसके और हमारे देखने-सुनते में ज़मीन आसमान का अंतर है । वह देखने के लिए हमारी तरह भौतिक आंखों पर आश्रित नहीं और न सुनने के लिए वह हमारी तरह कानों पर निर्भर करता है । लेकिन सच यह है कि आंखें उसी से देखतीं और कान उसी से सुनते हैं । हमें सुनने और देखने के लिए कान और आंखें उसी ने दी हैं ।

ईश्वर के गुणों का उल्लेख करते हुए क़ुरआन में कहा गया है–"वही ईश्वर है जिसके सिवा कोई पूज्य-प्रभु नहीं, वह परोक्ष और प्रत्यक्ष को जानता है । वह बड़ा कृपाशील, अत्यंत दयावान है । वही ईश्वर है जिसके सिवा कोई प्रभु पूज्य नहीं । वह सम्राट है, अत्यंत पवित्र, सर्वथा, सलामती, निश्चिंतता प्रदान करने वाला, संरक्षक, प्रभुत्वशाली (टूटे हुए को ज़ोड़ने वाला), अपनी बड़ाई प्रकट करने वाला । महान और उच्च है ईश्वर उस शिर्क (बहुदेववादी विचार और कर्मों) से जो लोग करते हैं । वही ईश्वर है जो संरचना का प्रारूपक है, अस्तित्व प्रदान करने वाला, रूप देने वाला है । उसी के लिए अच्छे नाम हैं । जो चीज़ भी आकाशों और धरती में हैं उसी की बड़ाई कर रही है । और वह प्रभुत्वशाली, तत्वदर्शी है ।"

(क़ुरआन, सूरा-59 हश्र, आयत-22-24)

क़ुरआन में एक अन्य स्थान पर आया है–

"ईश्वर कि जिसके सिवा कोई पूज्य प्रभु नहीं, वह जीवंत सत्ता है, सबको संभालने और क़ायम रखने वाला है । उसे न ऊंघ आती है और न निद्रा । उसी का है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है । कौन है जो उसके यहां उसकी अनुमति के बिना सिफ़ारिश कर सके ? वह जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है । और वे उसके ज्ञान में से किसी चीज़ पर हावी नहीं हो सकते, सिवाय उसके जो उसने चाहा । उसकी कुर्सी

(प्रभुत्व) आकाशों और धरती को व्याप्त है और उनकी सुरक्षा उसके लिए तनिक भी भारी नहीं और वह उच्च, महान है ।'' (क़ुरआन, सूरा-2 बक़रा, आयत-255)

ईश्वर के जिन वाचक नामों से इस्लाम ने परिचय कराया है, उनमें से कुछ ये हैं–

क्षमाशील, दानशील, फ़ैसला करने वाला, सहनशील, गुणग्राहक, उच्च, प्रेम करने वाला, समाई वाला, हक़ (सत्य), शक्तिशाली, सहायक, आश्रय से मुक्त, आश्रयदाता, अकेला, यकता, सामर्थ्यवान, आदि अंत, व्यक्त, अव्यक्त, न्यायशील, प्रकाशक, व्यापक, विकटतम, पूर्ण, सच्चा, सुन्दर ।

इस्लाम ने ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण प्रस्तुत किये हैं । वे प्रमाण सामने के हैं, ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण धरती, आकाश, जगत की व्यवस्था और मनुष्य का स्वयं अपना अस्तित्व भी है । संसार में हमारी समस्त सांसारिक ज़रूरतें सुचारू रूप से पूरी हो रही हैं और यह भी साफ़ मालूम होता है कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो नहीं रही हैं बल्कि पूरी की जा रही है । अतः ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना हमारी बुद्धि और विवेक की अपेक्षा है । जगत और हमारे अपने अस्तित्व के द्वारा जिस तत्वदर्शिता, दया और अनुकम्पा का प्रदर्शन हो रहा है वह इस बात का सूचक है कि अनिवार्यतः कोई ईश्वर है । क्योंकि अनुकंपा और तत्वदर्शिता किसी दयावान और तत्वदर्शी के बिना संभव नहीं । क़ुरआन के शब्द देखें जगत और जीवन की व्यवस्था का वर्णन इस तरह किया गया है कि ईश्वर को स्वीकार करना हमारा परम कर्तव्य हो जाता है । क़ुरआन से केवल एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है–

''क्या ऐसा नहीं है कि हमने धरती को बिछौना बनाया और पहाड़ों को मेख़ ? और हमने तुम्हें जोड़े-जोड़े पैदा किया और तुम्हारी निन्द्रा को थकान और क्लेश दूर करने वाली बनाया । ...निश्चय ही फ़ैसले के दिन का एक नियत समय है ।'' (क़ुरआन, सूरा-78 नबा, आयत : 6-17)

अपने उपकारों का विस्तृत वर्णन करके अंत में कहा गया है कि निर्णय का एक दिन अवश्य आएगा जबकि यह बता दिया जाएगा कि लोगों में किसने अपने प्रभु पालक को पहचानकर जीवन व्यतीत किया और किसने अंधा बनकर जानवरों की ज़िन्दगी गुज़ारी और सब कुछ देखते हुए ईश्वर की ओर से विमुख रहा और उसका कृतज्ञ होने की अपेक्षा अकृतज्ञ ही बना रहा । न तो अपने जीवंत कृपाशील प्रभु को याद किया और न उसे प्रसन्न करने के लिए उसके आदेशों और उसकी इच्छा को जानने की उसे कोई चिंता हुई । और न उसे इसका ख़याल आया कि उसके लिए कोई पूर्ण और सर्वोच्च शुभ भी हो सकता है । कांट (Kant) ने लिखा है कि ईश्वर प्रकृति जगत का अंग नहीं अपितु उसका कारण है और सुख तथा नैतिकता के सामंजस्य का आधार है । कांट ने कहा है कि सर्वोत्तम जगत की संभावना से सर्वोच्च शुभ (Highest Good) अर्थात ईश्वर की वास्तविकता प्रमाणित होती है । (Critique of Practical Reason, P. 29)

क़ुरआन में ईश्वर का एक नाम 'हक़' और 'हक़्क़े-मुबीन' अर्थात सत्य और स्पष्ट सत्य आया है । (22:6, 24:25) ईश्वर का यह नाम अत्यंत अर्थपूर्ण है । हक़ के कई अर्थ होते हैं । यह अत्यंत संग्राहक शब्द है । हक़ वह है जो तथ्य हो, कोई ख़याल और भ्रम न हो । जो शाश्वत और नित्य हो, अस्थायी न हो । जिसमें व्यापकता की विशेषता पायी जाए, किसी पहलू से जो संकुचित न हो । जो पर्याप्त और पूर्ण हो । किसी पर आश्रित न हो । जो जीवंत हो, एक हो, अनेक न हो । जो ख़ैर अर्थात शिवम् और शुभ हो । जो सौंदर्यवान और रमणीय हो । धारण करने योग्य हो । जिसे अस्वीकार करना असंभव हो । जो उपस्थित हो, दूर न हो । जिसकी कामना की जा सके अर्थात कामना के योग्य हो, यही नहीं बल्कि जिसका आनंद ले सकें । जो हमारे आनंद का कारण हो । जिससे किसी अन्याय का भय न हो, जिसमें स्वाभिमान हो, जो प्रतापवान हो ।

फिर ईश्वर केवल हक़ ही नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से हक़ है । हक़ को व्यक्त करने वाला है । उसमें उपर्युक्त समस्त गुण विद्यमान हैं । उससे विमुख होने का अर्थ आत्मघात के सिवा और कुछ नहीं हो सकता । कोई और नहीं हम उसी पर आश्रित हैं ।

ईश्वर ने जिस धर्म (इस्लाम, आत्म-समर्पण) की शिक्षा दी है उसमें 'हक़' (सत्य) के समस्त गुण पाये जाते हैं । इस्लाम ईश्वरीय गुणों की प्रतिच्छाया (Reflection) है । अब यदि कोई सत्य, सुन्दर और शुभ की उपेक्षा करता है तो या तो वह अज्ञान-ग्रस्त है या जानते-बुझते उद्दंडता एवं धृष्टता अपनाए हुए हैं ।

क़ुरआन में ईश्वर को 'ख़ैर' (शुभ, उत्तम, शिवम्) भी कहा गया है (सूरा-20 ता॰हा॰, आयत-73)। हज़रत मुहम्मद

(सल्ल॰) कहते हैं कि ईश्वर सौंदर्यवान है और सौंदर्य को पसन्द करता है। (मुस्लिम) सौंदर्य प्रकाश है। वेद में है– आदमी अपने प्रकाश में वास करता है। अब यदि वह प्रकाश अशुभ है तो फिर उसे अंधकार से कौन निकाल सकता है।

ईश्वर ने जिस धर्म अर्थात इस्लाम की शिक्षा दी है वही सनातन धर्म है। मानव-इतिहास में उसी की शिक्षा महापुरुषों और पैग़म्बरों ने दी है। उसी की शिक्षा हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने भी दी है। वे सत्यवादियों के प्रतिनिधि हैं। वे पैग़म्बरों के सिलसिले की अंतिम कड़ी हैं। कुरआन में जो शिक्षाएं दी गयीं वे सत्य हैं। उनमें सत्य या हक़ की वर्णित सभी विशेषताएं वर्तमान हैं। वे ईश्वर के गुणों से उद्धृत हैं।

कहा जाता है कि भारत में सत्य पर विशेष ज़ोर दिया गया है। ईरान में सुन्दरता को अधिक महत्व देते थे। अरब ख़ैर (भलाई) पर ज़ोर देते रहे हैं। इस्लाम ने इन सबको महत्व देते हुए अपने में समो लिया है। इसी लिए इसे दीने-हक़ (सत्य-धर्म) कहा गया है। (देखें कुरआन 10:15, 44:39, 45:22)। इस्लाम का आधार ईश्वर के गुण, वह सत्य और न्याय है जो संपूर्ण जगत का आधार है।

इस्लाम का पूर्ण धर्म और न्याय पर आधारित जीवन-व्यवस्था है। वह हमें केवल यही शिक्षा नहीं देता कि हम ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करें और हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो बल्कि इसके साथ वह इसकी भी शिक्षा देता है कि हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए ईश्वर के जो आदेश हैं उनको जानें और उसका पालन करें। ईश्वर ने जो आदेश मानवों को दिये हैं, वही इस्लाम की शिक्षाएं हैं। इन शिक्षाओं का संबंध मात्र विचार और धारणाओं ही से नहीं है बल्कि उनका संबंध, जैसा कि ऊपर कहा गया, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से है। वह व्यक्तिगत जीवन को या सामाजिक जीवन हो, वह अर्थव्यवस्था हो या राजनीति, बात युद्ध की हो या संधि की, ईश्वर ने प्रत्येक मामले में हमारा मार्गदर्शन किया है। इस्लाम में आध्यात्म, उपासना और पूजा आदि की शिक्षा भी दी गयी है। उसने उपासना के नियम और उसके विधि-विधान दिये हैं। पूजा वास्तव में प्रेम का अतिरेक है। ईश्वर जो हमारा वास्तविक प्रेमपात्र है उसके संबंध में कुरआन में कितनी प्यारी बात कही गयी है कि रात गये तक उसका सुमिरन करो और उसके प्रेम का आनन्द लो।

(कुरआन, सूरा-76, दह्र, आयत-26)।

हमने हर चीज़ का आनंद लिया लेकिन यदि अपने प्रेम पात्र ईश्वर के प्रेम का आनंद न लिया तो जीवन में कुछ भी न किया।

इस्लाम जहां मानव के लिए एक शुभ-सूचना है, वहीं वह चेतावनी भी है। सत्य और ईश्वर के सत्य संदेश का इन्कार ऐसा अपराध है जो अक्षम्य है। ईश्वर के आदेशों की अवहेलना ही के कारण धरती अन्याय और अत्याचार से भर जाती है। यह तो वर्तमान जीवन में ईश्वरीय संदेश और उसके आदेशों के निरादर का परिणाम होता है, परलोक में ज़ालिमों और सत्य के विरोधियों का ठिकाना नरक होगा, जिसमें वे सदैव ईश्वर के प्रकोप में ग्रस्त होंगे और नरक-यातना ही उनका जीवन होगा। सारांश यह है कि इस्लाम मानवता के लिए शुभ सूचना और सत्य-मार्ग है और सत्य के विरोधियों के लिए चेतावनी है। अब देखना यह है कि कौन इसे समझने की कोशिश करता और अपने जीवन को सफल बनाता है और जीवन के भयावह परिणाम से अपने को बचाने के लिए कोशिश करता है।

इस्लाम ईश्वर की ओर से अवतरित धर्म है। इस्लाम द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह पूर्ण भी है और प्रामाणिक भी। इस्लाम के अनुसार सत्य यही है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है बल्कि वास्तव में वह रूह या आत्मा है। शरीर तो उसे इसलिए मिला है कि इस भौतिक जगत में वह इससे काम ले। और अपने विशुद्ध विचारों और अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अपने व्यक्तित्व का निर्माण करे और इस संबंध में अपने स्रष्टा ईश्वर के दिये गये आदेशों के अनुसार जीवन-यापन करके इसका पात्र बन सके कि ईश्वर उसे शाश्वत आनंदमय जीवन प्रदान करे। संसार में उसका रहना-सहना स्थायी नहीं है।

यद्यपि ईश्वर ने उसके लिए यहां सुख और सुविधाओं की व्यवस्था की है किंतु शाश्वत और पूर्णतः आनंदमय जीवन जिसमें किसी प्रकार की आपदा, भय और शोक न हो वह वर्तमान जीवन के पश्चात प्राप्त होगा। लेकिन इसके लिए शर्त है–पात्रता की सिद्धि। यदि कोई व्यक्ति सरकश (उद्दंड) बनकर दुनिया में रहा और ईश्वर की योजना को ध्यान में नहीं रखा और न उसके आदेशों को जानने और समझने की ज़रूरत महसूस की, जीवन पर्यंत ईश्वर के

विरोध ही में खड़ा रहा तो अनिवार्यत: उसका ठिकाना नरक और जहन्नम है । जिससे वह छुटकारा न पा सकेगा क्योंकि उसका अपराध अक्षम्य है ।

इस्लाम के अनुसार अमर जीवन मनुष्य की नियति है । इसके लिए जो प्रक्रिया-विधान है उसके अंतर्गत मनुष्य अमर जीवन की पराकाष्ठा को प्राप्त होगा । शारीरिक मृत्यु उपर्युक्त प्रक्रिया-विधान से संबंधित एक सोपान है ।

इस्लाम के अनुसार मृत्यु केवल शारीरिक होती है । मृत्यु के पश्चात मनुष्य की आत्मा और उसका व्यक्तित्व शेष रहता है । कुरआन में मरने वाले के विषय में कहा गया है कि मृत्यु वास्तव में मनुष्य का प्रस्थान है, उसका अंत नहीं ।

सांसारिक जीवन पारलौकिक जीवन के मुक़ाबले में कारागार के सदृश है । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने कहा है–

''दुनिया मोमिन (सत्य के अनुयायी) का कारागार और अकाल-ग्रस्त स्थान है । फिर जब वह दुनिया को छोड़ता है तो कारागार और अकाल-ग्रस्त स्थल को त्यागता है ।''

(तबरानी)

मुहम्मद (सल्ल०) ने यह भी कहा है–''ऐ अल्लाह, जो व्यक्ति जानता है कि मैं तेरा रसूल (संदेशवाहक) हूं, मृत्यु को उसके लिए प्रिय बना दे ।'' (तंबरानी)

मृत्यु वास्तव में व्यक्ति को तंग दुनिया से मुक्त कर देती है और उसके लिए विस्तृत और विशाल लोक का द्वार खुल जाता है । अल्लाह के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का कथन है–

''दुनिया से मनुष्य के निकलने को इस मिसाल जैसा पाता हूं जैसे बच्चा अपनी माता के पेट से अर्थात इस तंगी और अंधकार से दुनिया की कुशादगी में आता है ।''

(तिरमिज़ी)

ईश्वर अपने आज्ञाकारी और प्रिय बन्दों को जन्नत में जगह देगा । कुरआन में है–

''ईशपरायण लोगों के लिए जन्नत का वादा है । उसकी शान यह है कि उसके नीचे नहरें बह रही हैं, उसके फल शाश्वत हैं, फिर इसी प्रकार छाया भी । यह परिणाम है उनका जो डर रखते हैं, जबकि इन्कार करने वालों का परिणाम आग है ।'' (कुरआन, सूरा-13, रअद, आयत-35)

नबी (सल्ल०) ने कहा है कि जन्नत में एक जगह होगी जहां हूरें (जन्नत की सुन्दर स्त्रियां) एकत्र होकर उच्च स्वर में, जैसी मधुरतम आवाज़ दुनिया ने न सुनी होगी, गाएंगी, जिसका अर्थ यह है–

''हम सदैव रहने वाली हैं, कभी हम विनष्ट न होंगी, और हम आराम और सुखपूर्वक रहने वाली हैं, कभी कठिनाई नहीं झेलेंगी । और हम राज़ी-प्रसन्न हैं, कभी नाराज़ (क्रुध) नहीं होंगी । उस व्यक्ति के लिए शुभ-ही-शुभ कि जो हमारा हो और हम उसकी हों ।'' (तिरमिज़ी)

क़ियामत के दिन लोगों के विषय में अंतिम निर्णय सबके सामने आ जाएगा । किसी को जन्नत (वैकुंठ) में स्थान प्राप्त होगा और कोई नरकगामी होगा । जन्नत वाले जन्नत में सदैव रहेंगे और नरकगामी नरक में सदैव यातना-ग्रस्त रहेंगे । यातना से वे कभी भी छुटकारा न पा सकेंगे ।

क़ियामत से पहले ईश्वर की प्रिय आत्माएं सुख-शांति की दशा में रहेंगी और दुष्ट आत्माएं दुर्दशा-ग्रस्त होंगी । कुरआन और नबी (सल्ल०) के कथनों में सविस्तार इसका उल्लेख मिलता है ।

एक बात यह भी ध्यान में रहे कि मृत्यु और क़ियामत के मध्य जो दूरी पायी जाती है वह मरने वाले के लिए कोई बड़ी दूरी न होगी । काल या समय वास्तव में सापेक्ष एहसास का नाम है ।

UNITED ELECTRONIC SPARES

Deals :
Electronic Spare Parts,
TV, DVD, DTH & All Types of Remote,
CFL Glass & CFL Kit, USB Set, Fan,
Iron, Mixer, Mobile Accessories,
0-25 KVA To 10 KVA Stabiliser &
Inverter, CFL Inverter &
12 V 7.2AH Battery

Shop No-8, Hotel Ashoka Complex,
L.T. Road, Ramgarh Cantt, Jharkhand

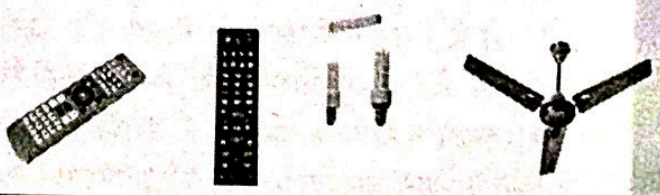

बड़े-बुज़ुर्गों की उपेक्षा नहीं, उन्हें पर्याप्त सम्मान दें

■ सीता राम गुप्ता

वृद्ध व्यक्तियों की सबसे बड़ी समस्या होती है उपेक्षा और अकेलेपन की पीड़ा । कई घरों में बुज़ुर्गों के लिए सुविधाओं की कमी नहीं होती, लेकिन घर के लोगों के पास समय का अभाव रहता है अत: वे बुज़ुर्गों के लिए समय बिल्कुल नहीं निकाल पाते । एक वृद्ध व्यक्ति सबसे बात करना चाहता है । वह अपनी बात कहना चाहता है, अपने अनुभव बताना चाहता है । वह आसपास की घटनाओं के बारे में जानना भी चाहता है । हमारे पास समय नहीं है या कम है तो भी कोई बात नहीं । हम अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करके उन्हें प्रसन्न रख सकते हैं व अपने कार्य करने के तरीक़े में थोड़ा-सा बदलाव करके उनके लिए कुछ समय भी निकाल सकते हैं । घर के बड़े-बुज़ुर्ग जब भी कोई बात कहें उनकी बात की उपेक्षा करने की बजाए उसे ध्यानपूर्वक सुनें और उत्तर दें ।

कई बुज़ुर्गों को सिर्फ़ अपनी बात कहनी होती है । वे उसी में संतुष्ट हो जाते हैं । उन्हें चुप करवाने की बजाए उनकी बात सुन लें । जब हम अपने छोटे बच्चों की किसी बात का जवाब बार-बार दे सकते हैं तो बड़े-बुज़ुर्गों की बात का जवाब देते समय क्यों झुंझला जाते हैं ? याद कीजिए वो दिन जब आप बच्चे थे और आपकी हर सही-ग़लत इच्छा को पूरा करने का प्रयास किया जाता था । बच्चों के लिए अपने माता-पिता के त्याग को याद रखना अनिवार्य है क्योंकि अंततोगत्वा सभी को इस अवस्था से गुज़रना होता है। यदि हम अपने बच्चों के सामने अपने वृद्ध माता-पिता की उपेक्षा करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे साथ भी यही दोहराया जाएगा, क्योंकि बच्चे हमारे आचरण से ही तो सीखते हैं । यदि ऐसा नहीं होता है तो भी हमारा दायित्व है बुज़ुर्गों की अच्छी प्रकार से देखभाल करना व उनका सम्मान करना ।

यदि आप अत्यधिक व्यस्त हैं और आपके पास सचमुच उनकी बात सुनने का समय नहीं है तो कम से कम ऐसा अभिनय अवश्य करें जिससे उन्हें लगे कि उनकी उपेक्षा न करके उनकी बात सुनी जा रही है । उन्हें विश्वास दिलाएं कि घर में उनका सबसे अधिक महत्व है । वे इसी से प्रसन्न हो जाएंगे । उनके स्वास्थ्य और ज़रूरतों के बारे में पूछते रहें । घर में कोई भी कार्य करने से पहले उनकी सलाह ले ली जाए अथवा कार्य उनके हाथ से प्रारंभ करवा लिया जाए तो उन्हें लगेगा कि घर में आज भी उनका महत्व और सम्मान है । संभव है कोई अच्छी सलाह भी मिल जाए । प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती ? हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य ज़रूर करता है जो प्रशंसा के योग्य होते हैं । अपने घर के बुज़ुर्गों के ऐसे कार्यों की चर्चा करते हुए उनकी प्रशंसा करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा । यह असंभव है कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ त्याग न किया हो ।

कई बार हमें लग सकता है कि घर के बुज़ुर्गों की आवश्यकताएं निरर्थक हैं क्योंकि हम उस अवस्था में नहीं होते हैं अत: उनकी आवश्यकताओं को नज़रअंदाज़ करना उचित नहीं । घर के बुज़ुर्गों की आवश्यकताओं को महत्व व प्राथमिकता देना अनिवार्य है । जब भी बाज़ार वग़ैरह जाएं उनसे अवश्य पूछ कर जाएं कि उन्हें कुछ मंगवाना तो नहीं है । जहां तक संभव हो, उनकी ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही उनके लिए लेकर आएं । कम से कम ऐसी चीज़ें तो पर्याप्त मात्र में लायी ही जा सकती हैं जो उनके द्वारा प्रयोग न किये जाने पर घर के दूसरे सदस्य प्रयोग में ला सकें । कपड़े, खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें अथवा सामान्य दवाएं जो उनके लिए उपयोगी हो सकती हैं विशेष रूप से उनको

लाकर दें । यह हमारा कर्तव्य भी है और बड़े बुज़ुर्गों की प्रसन्नता के लिए अनिवार्य भी है । जिन घरों में किसी चीज़ की कमी नहीं होती लेकिन बुज़ुर्गों की ज़रूरतों को नज़र-अंदाज़ कर उनकी उपेक्षा की जाती है । उन घरों में रहने वाले लोगों को इंसान ही नहीं कहा जा सकता ।

जब भी किसी रिश्तेदारी वग़ैरह में किसी पारिवारिक समारोह अथवा आयोजन आदि में जाना हो तो घर के बुज़ुर्गों को भी साथ ले जाएं । वो न भी जाना चाहें तो भी हर बार उनसे जाने के बारे में पूछें ज़रूर । वहां से लौटने पर प्राप्त उपहार अथवा मिष्ठान्न आदि उन्हें दिखलाएंगे व कार्यक्रम के विषय में उन्हें बताएंगे तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होगी । यदि वो यात्रा आदि करने में सक्षम हैं तो कुछ ऐसे कार्यक्रम ज़रूर बनाएं जहां बुज़ुर्गों को साथ ले जाना संभव हो । घर में कोई भी मेहमान आये उसको घर के बुज़ुर्गों से ज़रूर मिलवाएं । उन्हें उनके कमरे तक लेकर जाएं । कोई नया मेहमान है तो उसका परिचय दें । उन्हें अंत तक ये लगना चाहिए कि ये मेरा परिवार है और मैं इसका प्रमुख हूं ।

यदि बुज़ुर्गों में परिवार के प्रति आत्मीयता की भावना बनी रहेगी तो वो अपने अंत समय तक परिवार के लिए कुछ भी त्याग करने को तत्पर रहेंगे । वास्तव में बुज़ुर्गों का सम्मान करना भी हमारे ही हित में तो है । घर के बुज़ुर्गों का अकेलापन दूर करने के लिए कुछ घरेलू काम ऐसे होते हैं जो उनके पास बैठकर, उनसे बतियाते हुए किये जा सकते हैं । आपको लगता है कि घर में ऐसे कोई काम नहीं हैं जो उनके पास बैठकर किये जा सकते हैं तो कुछ ऐसे काम खोज डालिए । मसलन आप सब्ज़ियां काट रहे हैं अथवा सिलाई-कढ़ाई कर रहे हैं तो अपना सामान लेकर या तो उनके पास चले जाइए या उनको अपने पास बुलाकर बिठा लीजिए । काम भी हो जाएगा और बातचीत से घर के बड़े-बुज़ुर्गों का अकेलापन भी कुछ हद तक अवश्य दूर हो जाएगा ।

अख़बार पढ़ रहे हैं, कपड़े तह करके रख रहे हैं अथवा कपड़ों पर प्रेस कर रहे हैं तो भी घर के बड़े-बूढ़ों के पास जाकर या उन्हें पास लाकर ये काम किया जा सकता है । घर में बहुत छोटे बच्चे हैं तो उन्हें घर के बुज़ुर्गों के पास ले जाकर उनका काम करें । छोटे बच्चों को घर के बुज़ुर्गों के पास खेलने के लिए प्रेरित करें । इससे बुज़ुर्गों का भी मन लगा रहेगा और वो छोटे बच्चों को ज़रूरी जानकारी देने के साथ-साथ उन्हें नैतिकता का पाठ भी पढ़ाते रहेंगे । जिन घरों में बुज़ुर्गों का उचित सम्मान नहीं होता अथवा बुज़ुर्गों व छोटे बच्चों के बीच दूरी बनाकर रखी जाती है उन घरों में अगली पीढ़ियां कभी भी पूर्णत: उन्मुक्तहृदय, सामाजिक व सुसंस्कृत नहीं हो सकतीं अत: हर हाल में बुज़ुर्गों का सम्मान व उनकी उचित देखभाल अनिवार्य है ।





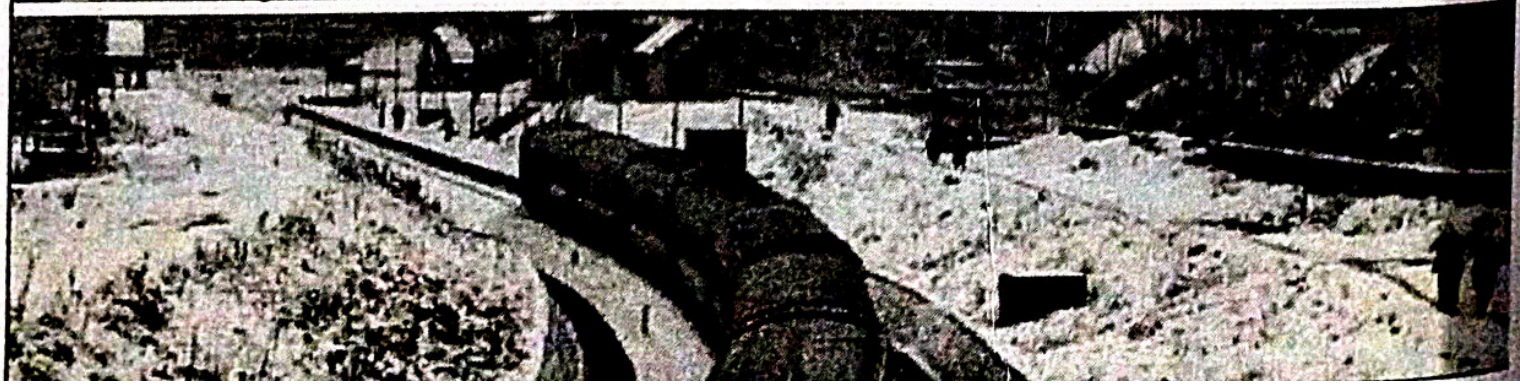

कितना स्वच्छ भारत अभियान ?

■ शाहिद इलियास

स्वच्छ भारत अभियान को दो साल पूरे हो गए । परन्तु स्वच्छ भारत का सपना साकार होता नज़र नहीं आता । इसका कारण जन- जागरूकता की कमी और भ्रष्टाचार का दीमक है, जो समाज को रोज़-रोज़ अन्दर ही अन्दर खोखला किए जा रहा है । इसकी समुचित रोकथाम के बिना स्वच्छ भारत का सपना साकार होना मुश्किल है ।

सफ़ाई और स्वच्छता के सन्दर्भ में ऐसे कई उदारण महान नेताओं के जीवन में ढूंढ़ने पर मिल जाएंगे, जिनसे हम आज भी प्रेरणा ले सकते हैं, गांधी जी स्वच्छता के सबसे बड़े पैरोकारों में से थे, उन्होंने एक बार सफ़ाई के सन्दर्भ में कहा था कि 'जिस नगर में साफ़ संडास नहीं हों और सड़कें तथा गलियां चौबीसों घंटे साफ़ नहीं रहती हों, वहां की नगरपालिका इस क़ाबिल नहीं है कि उसे चलने दिया जाए।'

गांधी जी रोज़ाना सुबह चार बजे उठकर अपने आश्रम की सफ़ाई किया करते थे, वर्धा आश्रम में तो उन्होंने अपना शौचालय स्वयं बनाया था और इसे प्रतिदिन वे खुद ही साफ़ भी करते थे, प्रसंगवश, एक बार एक अंग्रेज़ ने गांधी जी से पूछा था कि यदि आपको एक दिन के लिए भारत का बड़ा लाट साबह (वायसराय) बना दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, गांधी जी ने तत्काल कहा था कि, राजभवन के पास जो गंदी बस्ती है मैं उसे साफ़ करूंगा।

एक दूसरे प्रसंग में एक स्कूल को देखने के बाद गांधीजी ने शिक्षकों से कहा था कि आप अपने छात्रों को किताबी पढ़ाई के साथ-साथ खाना पकाना और सफ़ाई का काम भी सिखा सकें, तभी आपका विद्यालय आदर्श होगा । कई बार तो यह बात भी सामने आयी है कि गांधी जी की नज़र में आज़ादी से भी महत्वपूर्ण अगर कुछ था तो वह 'सफ़ाई' थी । तब की बात छोड़ भी दें तो आज से कुछ महीने पहले तक डेंगू और चिकनगुनिया का ख़ूब प्रकोप चला था । ख़ासकर देश की राजधानी दिल्ली तो इसकी मार से बेहाल हो चुकी है ।

कई जानें जा चुकी थी, तो कई मरीज़ अस्पतालों के चक्कर काट-काटकर बेदम हो चुके थे, बावजूद इसके अगर इस समस्या की तह में जाकर देखा जाए तो साफ़ तौर पर नज़र आ जायेगा कि मामला सिर्फ़ और सिर्फ़ गंदगी से जुड़ा हुआ है, जिससे भयानक स्तर पर डेंगू या चिकनगुनिया के मच्छर पैदा होते हैं और फिर उन्हीं के माध्यम से बीमारियां उत्पन्न होती हैं । सिर्फ़ यही रोग ही क्यों, बल्कि तमाम ऐसे रोग हैं, जिनसे इन्सान की जान पर बन आती है ।

इसके बावजूद वह 'सफ़ाई और स्वच्छता' की अहमियत नहीं समझ पाता है । इस हेतु कई जागरूकता अभियान भी चले है, पर जनता की तरह नेता भी खानापूर्ति करके अपने कर्तव्य की 'इतिश्री' समझ लेते हैं और मामला जस का तस ही रह जाता है ।

हालांकि, 2 अक्तूबर 2016 से ठीक दो साल पहले भारत के प्रधानमंत्री ने 'स्वच्छ भारत अभियान' को गंभीरता से शुरू किया और सौभाग्य से सरकार की और से इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं । तमाम फ़िल्म अभिनेताओं, सेलिब्रिटीज और विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है तो अधिकारियों को अपेक्षित परिणाम के प्रति ज़िम्मेदार बनाये जाने की कोशिश भी की जा रही है ।

ज़ाहिर तौर पर लक्ष्य बड़ा है, किन्तु इस सन्दर्भ में यह बात निराशा उत्पन्न करती है कि 19 राज्यों व 60 शहरों में कराए गए ऑनलाइन सर्वे के अनुसार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार कुछ ऐसे राज्य हैं जहां दो सालों में कोई प्रगति नहीं है । हालांकि अभियान की गति बेहद धीमी है ।

स्वच्छ भारत अभियान के लिए उत्तरदायी नगरीय निकायों की नाकामी, अभियान को व्यावहारिक रूप देने की कमज़ोर प्रक्रिया और नागरिक हित वाले भावना की कमी अभियान के लिए बाधक बन रही हैं । ग़ौर करने वाली बात यह भी है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार ने 2019 तक संपूर्ण स्वच्छता का वादा किया है, यानी भारत के हर घर में इस तारीख़ तक एक शौचालय होगा ।

शांति का आवाहक इस्लाम

■ डॉ॰ रज़ीउल इस्लाम नदवी

इस्लाम को आतंकवाद का समानार्थक बता दिया जाता है और मुसलमानों को आतंकवादी कह दिया जाता है, जबकि यह सब मात्र दुष्प्रचार है । वास्तविकता यह नहीं है । अक्सर देखा जाता है कि दुनिया के किसी कोने में आतंकवाद की कोई घटना घटित होती है, फ़ौरन उसका आरोप मुसलमानों के सिर डाल दिया जाता है । जांच-पड़ताल का रुख़ भी एकतरफ़ा तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ तय कर दिया जाता है और अंततः खींच-तान कर कहीं न कहीं से उसकी डोर मुसलमानों से मिला दी जाती हैं । फिर उसका स्रोत इस्लाम की शिक्षाओं और हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के पवित्र जीवन की घटनाओं में ढूंढ़ा जाता है और आरोपित किया जाता है कि मुसलमान अपनी आतंकवादी सरगर्मियों के लिए इन शिक्षाओं से प्रेरणा पाते हैं ।

वास्तविकता यह है कि इस्लाम ने इंसानी जान के मान-सम्मान पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है, उसने एक इंसान के नाहक क़त्ल को पूरी इंसानियत का क़त्ल ठहरा दिया है, "जिसने किसी इंसान को क़त्ल के बदले या ज़मीन में बिगाड़ फैलाने के सिवा किसी और वजह से क़त्ल कर डाला उसने मानो सारे ही इंसानों को क़त्ल कर दिया और जिसने किसी की जान बचाई उसने मानो सारे इंसानों को जीवन-दान दिया ।" (क़ुरआन, 5:32) लेकिन साथ ही उसने सामूहिक फ़िला-फ़साद के निवारण के लिए जंग को इस्लामी धर्मशास्त्र के अनुसार ठहरा दिया है, इसलिए कि उसकी निगाह में फ़िला-फ़साद क़त्ल से ज़्यादा संगीन अपराध है । (क़ुरआन, 2:191) जिस ज़माने में अल्लाह तआला ने आप (सल्ल॰) को नबी बनाया, उस ज़माने में जंग के वहशियाना तरीक़े प्रचलित थे । किसी तरह की नैतिक सीमाओं की पाबंदी नहीं की जाती थी । दुश्मन के ग़ैर-मुक़ातिलीन (जंग में हिस्सा न लेने वाले लोगों) पर भी जुल्म व सितम ढाया जाता । क़ैदियों के साथ दुर्व्यवहार और मारे गये लोगों का अपमान किया जाता था । दुश्मन पर अधिकार ज़माने के लिए हर तरह की कार्यवाही बे-रोक टोक की जाती थी, जहां तक कि उनके किये गये समझौते को भी तोड़ दिया जाता था और ग़फ़लत में उन पर हमला कर दिया जाता था ।

रोम व ईरान जो उस ज़माने में सभ्य क़ौमें समझी जाती थीं, वे भी इसी जंग के तरीक़े पर अमल करती थीं । इस्लाम ने वहशत व बरबरियत पर आधारित इन युद्ध-नियमों में सुधार की । उसने समझौतों के पृष्ठपोषण का आदेश दिया, दुश्मन पर ग़फ़लत में हमला करने से मना किया । ग़ैर-मुक़ातिलीन जैसे औरतों, बच्चों, बूढ़ों, घायलों, बीमारों और धार्मिक लोगों से विरोध न करने की चेतावनी दी । हथियार डाल देने वालों और क़ैदियों को क़त्ल करने से रोका, युद्ध न करने वालों का वध करने, जानवरों को मारने, फलदार पेड़ों को काटने और खेतों को बरबाद करने से मना किया । मुस्लिम फ़ौजों ने हमेशा इन शिक्षाओं और हिदायतों को अपने पेशेनज़र रखा और सख़्ती से उन पर अमल किया।

सीरते नबवी की कुछ घटनाएं इस्लाम की इन सार्वजनिक शिक्षाओं से टकराती हैं, इसलिए इस्लाम-विरोधियों ने इन पर आपत्ति किये हैं । वे कहते हैं कि पैग़म्बरे इस्लाम ने कुछ अवसरों पर खुद इन शिक्षाओं की अवहेलना की हैं । यहां उन घटनाओं की समीक्षा की जा रही है–

कअ्ब बिन अशरफ़ और अबू राफ़ेअ के क़त्ल की घटना जंगे बद्र (रमज़ान 2 हिजरी) और जंगे उहद (शव्वाल 3 हिजरी) की मध्य अवधि में पेश आयी । इन दोनों का संबंध यहूद से था । इनकी इस्लाम से दुश्मनी जब हद से ज़्यादा बढ़ गयी, तो अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने इन्हें गुप्त रूप से क़त्ल करवा दिया । सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी में इनके क़त्ल की घटना विस्तृत रूप से दर्ज है । कअ्ब बिन अशरफ़ को क़बीला औस से संबंध रखने वाले कुछ नवजवानों ने और अबू राफ़ेअ को क़बीला ख़ज़रज के नवजवानों ने क़त्ल किया । कअ्ब को क़त्ल करने का काम

हिंसक घटनाओं की समीक्षा

हज़रत मुहम्मद बिन मुसैलमा (रजि॰) ने अंजाम दिया । कअ्ब बिन अशरफ़ यहूद के मालदारों में से था । रिवायतों में है कि उसने यहूदी उलमाओं की दैनिक मज़दूरी निर्धारित कर रखी थी । वह ज़रूरतमंदों को सूद पर क़र्ज़ दिया करता था । हज़रत मुहम्मद बिन मुसैलमा (रजि॰) उसके पास गये और उससे कुछ क़र्ज़ मांगा । इन्होंने उसकी हमदर्दी हासिल करने के लिए उससे कहा, "हमने मुहम्मद (सल्ल॰) को पनाह देकर सारे अरब को अपना दुश्मन बना लिया है, हमसे बार-बार सदक़ा मांगा जाता है, अब तुम्हीं से कुछ क़र्ज़ लेना है ।"

अंततः तय हुआ कि हथियार गिरवी रखकर क़र्ज़ दिया जा सकता है, इसके लिए रात का समय निर्धारित हुआ । हज़रत मुहम्मद बिन मुसैलमा (रजि॰) अपने कुछ साथियों के साथ निर्धारित समय पर पहुंचे और कअ्ब बिन अशरफ़ को आवाज़ दी । वह अपने अट्टालिका से नीचे उतरा, इधर-उधर की बातें होने लगीं । अचानक उसे ग़ाफ़िल पाकर हज़रत मुहम्मद बिन मुसैलमा (रजि॰) ने उसके सिर के बाल पकड़ लिए और इनके साथियों ने उस पर वार करके उसका काम तमाम कर दिया । यह घटना रबीउल अव्वल 3 हिजरी में पेश आयी ।

अबू राफ़ेअ को अब्दुल्लाह बिन अतीक़ (रजि॰) ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर क़त्ल किया । वह ख़ैबर के क़रीब हिजाज की ओर एक क़िले में रहता था । यह क़िला एक चारदीवारी से घिरा हुआ था, जिसके केन्द्रीय दरवाज़े में सूरज डूबते समय ताला लगा दिया जाता था । हज़रत अब्दुल्लाह ने अपने साथियों को चारदीवारी से बाहर रहने को कहा और खुद बड़ी होशियारी से दरवाज़ा बंद होने से ठीक पहले अन्दर पहुंच गये । वहां उन्होंने कुछ देर इंतिज़ार किया । जब अबू राफ़ेअ की मजलिस ख़त्म हो गयी और लोग सोने के लिए अपने-अपने घरों को चले गए, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अतीक़ (रजि॰) अबू राफ़ेअ की अट्टालिका पर गये, वहां अंधेरा था । इन्होंने अबू राफ़ेअ को पुकारा और उसका जवाब मिलने पर लगातार कई वार करके उसका ख़ात्मा कर दिया । रिवायत में कअ्ब बिन अशरफ़ और अबू राफ़ेअ के क़त्ल का विवरण मिलता है कि किस तरह उन्हें क़त्ल करने वालों ने उनकी ग़फ़लत से फ़ायदा उठाया और उन्हें धोखे और बेख़बरी में क़त्ल किया ।

इन घटनाओं पर इस्लाम-विरोधियों की आपत्ति यह है कि आप (सल्ल॰) ने अपने दुश्मनों को धोखे से और गुप्त रूप से क़त्ल कराया, यह वही तरीक़ा है जो अज्ञान काल में प्रचलित था और जिसे पारिभाषिक शब्दावली में "फ़ितक" कहा जाता था । इस्लाम में भी उसी तरीक़े को अपनाया गया । कअ्ब बिन अशरफ़ और अबू राफ़ेअ का किरदार व चरित्र और घटनाओं का विवरण सामने हो, तो यह जानना आसान होगा कि उनको इस तरीक़े से क़त्ल करवाने की क्यों ज़रूरत पड़ी ?

कअ्ब का बाप अशरफ़ क़बीला तय की शाख़ नबहान से संबंध रखता था । अज्ञान काल में उससे एक ख़ून हो गया था, जिसके कारण वह मदीना आ गया था और उसने यहूद बनी नज़ीर से गुप्त रूप से संबंध स्थापित कर लिए थे और उनके बीच इतना भरोसा और इज़्ज़त प्राप्त कर ली थी कि एक यहूदी सरदार अबुल हक़ीक़ की बेटी अक़ीला से शादी कर ली थी, जिससे कअ्ब पैदा हुआ । कअ्ब बहुत बड़ा शायर और बहुत धनवान था । उसको इस्लाम से सख़्त दुश्मनी थी ।

अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने हिजरत के बाद मदीना वालों के साथ जो समझौता किया था, उसमें यहूद बनी नज़ीर भी शरीक थे । इस वजह से कअ्ब बिन अशरफ़ भी उस समझौते का पाबन्द था । लेकिन बद्र की जंग के बाद उसने मुसलमानों और अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की निंदा की और मक्का जाकर कुरैश को भड़काया ।

इब्ने हिशाम ने बयान किया है कि जब उसे बद्र में कुरैश के सरदारों को मारे जाने की ख़बर मिली तो उसे बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा, इसका इज़हार उसने इन शब्दों में किया,

"अल्लाह की क़सम, अगर मुहम्मद (सल्ल॰) ने उन लोगों को क़त्ल कर दिया है तो ज़मीन का पेट उसकी पीठ से बेहतर है" (सीरतुल नबी, प्रकाशन मिस्र 1936, 2/431)। फिर वह मक्का गया जहां बद्र के मारे गये लोगों के दर्दनाक मर्सिए (शोक काव्य) सुनाता था, जिनमें मुसलमानों से बदला लेने की प्रेरणा होती थी ।

सुनन अबू दाऊद की एक रिवायत के अनुसार, "वह शायर था, रसूलुल्लाह हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की निंदा करता था और क़ुरैश के लोगों को आप (सल्ल॰) के ख़िलाफ़ भड़काता था ।" इब्ने हिज्र (रह॰) ने एक रिवायत नक़्ल की है, जिसमें है कि उसने मक्का जाकर क़ुरैश के मुशरिकों को हरम में इकट्ठा किया और ख़ाना-ए-काबा के परदों को थामकर मुसलमानों के विरुद्ध जंग करने की शपथ ली ।" फ़तहुल बारी, प्रकाशन बेरूत, 7/337) मदीना वापस आया, तो यहां रसूलुल्लाह (सल्ल॰) की निंदा के अलावा मुस्लिम औरतों के बारे में गंदे और निंदनीय शेर कहा । हाफ़िज इब्ने हिज्र ने लिखा है, "उसने मुस्लिम औरतों के बारे में निंदनीय शेर कहा और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचायी ।" (फ़तहुल बारी, 7/337)

इस्लाम और मुसलमानों के विरुद्ध दुश्मनी में वह इसी हद तक न रहा, बल्कि उसने एक बार स्वयं रसूलुल्लाह को एक दावत में बुलाकर धोखे से क़त्ल करने का मंसूबा बनाया । उसने यहूद की एक जमाअत को तैयार किया और अपनी पूरी योजना को समझा दिया कि वह आप (सल्ल॰) को एक दावते वलीमा में बुलाएगा, आप जाएंगे तो ज़िंदा वापस न जाने दिया जाए । आप (सल्ल॰) को इस योजना की ख़बर मिल गयी और आप सुरक्षित रहे । इस घटना को इब्ने कसीर ने अपनी सीरत, इब्ने हिज्र ने शरह फ़तहुल बारी और याक़ूबी ने अपने इतिहास में बयान किया है ।

इसी तरह की इस्लाम दुश्मनी का प्रदर्शन अबू राफ़ेअ बिन अबी हक़ीक़ के ओर से भी हो रहा था । बुख़ारी की रिवायत से भी, "अबू राफ़ेअ रसूलुल्लाह (सल्ल॰) को तकलीफ़ पहुंचाता था और आपके ख़िलाफ़ दूसरों की मदद करता था ।" (किताबुल मग़ाज़ी, बाबे क़त्ल अबी राफ़ेअ, हदीस : 1039) वह कअ्ब बिन अशरफ़ का क़रीबी रिश्तेदार था, इसलिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ साज़िशों में वह उसका बराबर का शरीक था ।

कअ्ब बिन अशरफ़ और अबू राफ़ेअ दोनों की यह हरकतें उस समझौते के ख़िलाफ़ थीं, जो मुसलमानों और यहूद के बीच हुआ था और जिसके वे भी पाबन्द थे । केवल उनकी हरकतों की वजह से उनकी क़ौम के ख़िलाफ़ जंग की घोषणा न की जा सकती थी और उनकी क़ौम से भी उम्मीद न थी कि उन्हें समझौते के उल्लंघन से रोकेंगे । ये लोग खुद भी खुले मैदान में लड़ने नहीं आए कि उन्हें आहत करना संभव होता, बल्कि हमेशा उन्होंने परदे के पीछे से ख़ुफ़िया तरीक़े से अपनी इस्लाम दुश्मनी गतिविधियां जारी रखीं, इसीलिए उनकी बुराई और शरारत से सुरक्षित रहने का एकमात्र रास्ता यही था कि उसी तरह ख़ुफ़िया तरीक़े से उनकी ज़िन्दगी का ख़ात्मा कर दिया जाए । इस्लाम-विरोधियों ने क़त्ल करने के इस तरीक़े पर आपत्ति की है ।

इसके जवाब में अल्लामा शिबली ने लिखा है, "उस वक़्त तक अरब में इन तरीक़ों से क़त्ल करना लज्ज़ाजनक बात न थी (बाद में) हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने धीरे-धीरे अरब के इन तरीक़ों में सुधार की ।" (सीरतुल नबी, प्रकाशन, 1981 ईसवी, 1/408)। मौलाना मौदूदी (रह॰) ने इस आपत्ति का जवाब देते हुए लिखा है-

"इस घटना से यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं है कि ख़ुफ़िया तरीक़े से दुश्मन के सरदारों को क़त्ल कर देना इस्लाम के युद्ध विधान की कोई स्थायी धारा है । अगर ऐसा होता तो नि:संदेह आप (सल्ल॰) सबसे पहले अबू जहल और अबू सुफ़ियान जैसे दुश्मनों को क़त्ल कराते और सहाबा (रज़ि॰) में ऐसे क़ैदियों की कमी न थी जो इस तरह के सारे दुश्मनों को एक-एक करके क़त्ल कर सकते थे, लेकिन आप (सल्ल॰) और सहाबा किराम (रज़ि॰) के पूरे इतिहास में हमको कअ्ब बिन अशरफ़ और अबू राफ़ेअ के सिवा किसी और व्यक्ति का नाम नहीं मिलता, जिसे इस तरह ख़ुफ़िया तरीक़े से क़त्ल किया गया हो । हालांकि आप (सल्ल॰) के दुश्मन केवल यही दो व्यक्ति न थे । फिर यह घटना खुद इस बात की काफ़ी सबूत है कि ख़ुफ़िया तरीक़े से दुश्मन को क़त्ल करना इस्लाम की कोई स्थायी युद्ध नीति नहीं है, बल्कि ऐसे विशेष हालात में उसकी इजाज़त

से जबकि दुश्मन ख़ुद सामने न आता हो और परदे के पीछे बैठकर ख़ुफ़िया साज़िशें किया करता हो । (अल-जिहाद फ़िल इस्लाम, पृष्ठ, 313-314)

क़बीला बनू नज़ीर के निर्वासन की घटना रबीउल अव्वल 4, हिज्री में पेश आयी । आप (सल्ल॰) ने शुरू में ही उनसे आपसी अमन और शान्ति का समझौता किया था, लेकिन बाद में उनकी उद्दंडता और वचन भंगिता के आधार पर उन्हें निर्वासित करने का फ़ैसला किया । इस्लाम-विरोधी आप (सल्ल॰) के इस फ़ैसले को भी आपत्ति का निशाना बनाते हैं । वे कहते हैं कि आप (सल्ल॰) कमज़ोर थे तो आपने उनसे समझौता किया, लेकिन जब ताक़तवर हो गये तो अपने किये गये समझौते को तोड़ डाला और उन्हें मदीने से बाहर निकाल दिया । अगर इस घटना का सारा विवरण निगाहों के सामने हों, तो यह आपत्ति स्थिर नहीं रह सकती और आप (सल्ल॰) के फ़ैसले की बुद्धिमत्ता समझी जा सकती है ।

नबी करीम हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने मदीना आने के बाद सारे क़बीलों से एक समझौता किया था, जिसकी एक बुनियादी दफ़ा यह थी, "आप (सल्ल॰) ने उनसे इस बात पर समझौता किया था कि वे न आपसे जंग करेंगे और न आपके विरुद्ध आपके दुश्मनों की मदद करेंगे ।"

(फ़तहुल बारी, 7/330)

बनू नज़ीर ने इस समझौते का पालन नहीं किया । उन्होंने क़ुरैश के लोगों से साज-बाज रखी और उन्हें मुसलमानों के विरुद्ध जंग के लिए उकसाते रहे । मूसा बिन उक़बा ने अपनी मग़ाज़ी में लिखा है, "बनू नज़ीर क़ुरैश से साज़िशें करते थे, उन्हें आप (सल्ल॰) के विरुद्ध जंग करने के लिए उकसाते थे और ख़ुफ़िया ख़बरें पहुंचाते थे ।"

(फ़तहुल बारी, 7/332)

यही नहीं बल्कि उन्होंने अनगिनत बार आप (सल्ल॰) को मार डालने की ख़ुफ़िया उपाय किये थे । सीरत की किताबों में इन घटनाओं का ज़िक्र मिलता है । एक बार उन्होंने आप (सल्ल॰) को कहला भेजा कि आप (सल्ल॰) अपने तीन साथियों के साथ आएं, हम भी अपने तीन उलमा को भेजते हैं, अगर वे आप पर ईमान ले आएंगे तो हम भी आपके अनुयायी बन जाएंगे । इन यहूदी उलमाओं ने अपने साथ ख़ंजर छिपा लिया । योजना थी कि जब ये लोग इकट्ठा होंगे तो धोखे से ये आप (सल्ल॰) को और आपके साथियों को मार देंगे । ख़ुद एक यहूदी औरत ने इस साज़िश को ज़ाहिर कर दिया और आप (सल्ल॰) वहां नहीं गये ।

(फ़तहुल बारी, 7/331)

बनू नज़ीर आप (सल्ल॰) से ग़द्दारी और वचन भंगिता पर उतारू थे । एक तरफ़ क़ुरैश के अनेकेश्वरवादी बद्र की जंग में मुसलमानों के हाथों पराजय का मुंह देखने के बाद उन्हें मुसलमानों के विरुद्ध वरगला रहे थे । दूसरी तरफ़ कपटाचारी उन्हें अपनी भरपूर सहायता की झूठी आशा दिला रहे थे । इन परिस्थितियों में उन्हें मदीना में रहने देना स्वयं को ख़तरे में डालने के बराबर था, इसी लिए अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने उन्हें अल्टीमेटम दे दिया कि ग़द्दारी की बिना पर उन्होंने मदीना में रहने का हक़ खो दिया है । अब अगर उन्होंने दस दिन के अन्दर मदीना ख़ाली नहीं कर दिया, तो उनसे जंग की जाएगी । उन्होंने इस अल्टीमेटम के संबंध में कोई परवाह न की । वे मज़बूत क़िलों के मालिक थे और उन्होंने उन क़िलों में आश्रय ले लिया । अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने पन्द्रह दिनों तक उनका घेराव जारी रखा । अंततः वे इस घेराव से परेशान हो गये । दूसरे यहूदी क़बीला बनू क़ुरैज़ा ने न तो उनका साथ दिया और न विरोधी ही उनकी मदद के लिए सामने आये । अंततः उन्होंने ख़ुद ही यह मांग रखी कि उनका ख़ून माफ़ कर दिया जाए और उन्हें आज्ञा दी जाए कि जो कुछ माल व सामान ऊंटों पर लादा जा सकता हो, उसे लेकर और शेष सामान यहीं छोड़कर वे सीरिया चले जाएं । आप (सल्ल॰) ने उनकी जान बख़्श दी और उनकी मांग स्वीकार कर ली । इस विवरण से स्पष्ट है कि समझौते को रसूलुल्लाह (सल्ल॰) ने नहीं, बल्कि बनू नज़ीर ने तोड़ा था ।

इसके बावजूद आप (सल्ल॰) ने उनका घेराव कर लेने और उन पर अधिकार प्राप्त कर लेने के बावजूद उनसे बदला नहीं लिया, बल्कि ख़ुद उनकी शर्तों को मान लिया और उन्हें अपने माल व सामान के साथ अपने पसंदीदा स्थान पर जाने दिया ।

बनू क़ुरैज़ा की जंग, जिसका ख़ात्मा यहूदी क़बीला बनू क़ुरैज़ा के सारे लड़ाकों के क़त्लेआम पर हुआ । अहज़ाब

की जंग (5 हिजरी) के फ़ौरन बाद पेश आयी । अहज़ाब की जंग के अवसर पर बनू क़ुरैज़ा ने वचन भंग की और दुश्मनों से मिल गये । अत: अहज़ाब की जंग से फ़ारिग़ होकर आप (सल्ल॰) ने सहाबा (रजि॰) के साथ बनू क़ुरैज़ा के क़िलों का घेराव कर लिया और अंतत: उनके सारे लड़ाकों को, जिनकी संख्या चार सौ और कुछ रिवायतों में छह सौ बतायी गयी है, क़त्ल कर दिया गया । इस्लाम-विरोधियों ने इस घटना पर भी आपत्ति किया है और आप (सल्ल॰) पर वचन भंग करने और पाषाण हृदयता के आरोप भी लगाएं हैं ।

बनू क़ुरैज़ा उन यहूदी क़बीलों में से थे, जो मदीना के चारों ओर आबाद थे । आप (सल्ल॰) मदीना तशरीफ़ लाए, तो आपने उनसे दोस्ताना समझौता किया । बाद में क़ुरैश के भड़काने पर वे विद्रोह करने पर उतारू हो गये, तो आप (सल्ल॰) ने समझौते की नवीनीकरण करनी चाही, बनू नज़ीर ने इंकार कर दिया, अत: उन्हें निर्वासित कर दिया गया । बनू क़ुरैज़ा समझौते का नवीनीकरण करने पर रज़ामंद हो गये, अत: उन्हें अमान दे दी गयी । अहज़ाब की जंग के अवसर पर बनू नज़ीर के भड़काने पर जब अरब के सारे बड़े-बड़े क़बीले मुसलमानों का सफ़ाया करने के लिए उमड़ आये थे, बनू क़ुरैज़ा ने भी मुसलमानों से किया हुआ समझौता तोड़ दिया और बनू नज़ीर के सरदार हई बिन उख़्तब के समझाने पर जंग में सम्मिलित हो गये । आप (सल्ल॰) को बनू क़ुरैज़ा की गद्दारी के बारे में मालूम हुआ, तो आप (सल्ल॰) ने उन्हें समझाने-बुझाने के लिए हज़रत साद बिन माज और हज़रत साद बिन उबादा (रज़ि॰) को उनके पास भेजा, मगर उन्होंने बेरुख़ी से जवाब दे दिया कि हमारा कोई समझौता नहीं ।

बनू क़ुरैज़ा की वचन भंगिता और गद्दारी के नतीजे में मुसलमान सख़्त परेशानी और उलझन की स्थिति में थे । वे दोनों तरफ़ से घिर गये थे । एक तरफ़ अरब के सारे क़बीलों की फ़ौजें डेरा डाले हुए थीं और दूसरी तरफ़ बनू क़ुरैज़ा लड़ाई के लिए तैयार थे । मुसलमानों ने अपनी औरतों और बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्हें एक क़िले में भेज दिया था, वे बनू क़ुरैज़ा के निशाने पर थे । दुश्मनों का घेरा बढ़ता ही जा रहा था । मुसलमान उस वक़्त जिस बेचैनी की स्थिति से गुज़र रहे थे उसका वर्णन क़ुरआन में इस तरह आया है–

"जब दुश्मन ऊपर से और नीचे से तुम पर चढ़ आए, जब डर के कारण आंखें पथरा गयीं, कलेजे मुंह को आ गये, और तुम लोग अल्लाह के बारे में तरह-तरह के गुमान करने लगे, उस समय ईमान वाले ख़ूब आजमाए गये और बुरी तरह हिला कर रख दिये गये । (क़ुरआन, 33:10)।

मुसलमान उस वक़्त ख़ुद को कितना बेबस महसूस कर रहे थे, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि आप (सल्ल॰) मदीना की पैदावार का एक हिस्सा देकर दुश्मनों से संधि करने का इरादा कर लिया था, लेकिन अल्लाह तआला की मदद आयी और दुश्मन असफल होकर उलटे पांव वापस चले गये ।

बनू क़ुरैज़ा की इस ग़द्दारी के बाद उनके साथ किसी तरह की नरमी बरतना ख़ुद को मौत के मुंह में डालने के बराबर था । आप (सल्ल॰) अहज़ाब की जंग से फ़ारिग़ होने के फ़ौरन बाद सहाबा किराम को बनू क़ुरैज़ा की तरफ़ कूच करने का आदेश दिया और उनके क़िलों का घेराव कर लिया । यह घेराव पन्द्रह दिन और कुछ रिवायतों के अनुसार पच्चीस दिन जारी रहा । अंतत: बनू क़ुरैज़ा ने यह प्रस्ताव रखा कि हज़रत सअ्द बिन माज (रज़ि) उनके बारे में जो फ़ैसला करेंगे वह उन्हें स्वीकार होगा । हज़रत सअ्द (रज़ि॰) का क़बीला औस बनू क़ुरैज़ा का मित्र था, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि वह उनके बारे में हमदर्दाना फ़ैसला करेंगे, लेकिन उन्होंने यह फ़ैसला किया कि सारे व्यस्क मर्दों को क़त्ल कर दिया जाए और उनके धन-दौलत को मुसलमानों में बांट दिया जाए । उनका यह फ़ैसला तौरेत (किताब इस्तिसना, अध्याय, 20 आयत, 10-14) के बिल्कुल अनुसार था, इसलिए बनू क़ुरैज़ा के किसी एक व्यक्ति ने भी इसके विरुद्ध कुछ न कहा ।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के दौर की उपर्युक्त तीनों घटनाओं की तफ़्सीलात से यह मालूम होता है कि इनमें आप (सल्ल॰) की ओर से कोई अत्याचार नहीं किया गया है, न किसी प्रतिज्ञा या वचन को भंग किया गया था, बल्कि संबंधित व्यक्ति या क़बीले को जो सज़ाएं दी गयीं, वह उनकी वचन भंगिता और ग़द्दारी के बिल्कुल अनुसार थीं और वे उन्हीं के पात्र थे ।

जन-सरोकारों के शायर हफ़ीज़ मेरठी

■ सुरेश सलिल

'हफ़ीज़ मेरठी को कौन पहचाने कि बेचारा ।
न ऐवानों से वाबिस्ता न दरबानों से वाबिस्ता !'

जब हफ़ीज़ मेरठी का 'मताए आख़िरी शब' (1986) देखा, तो सचमुच हिन्दुस्तान के इस पायेदार शायर का नाम बेपहचाना-सा लगा । मैं रेख़्ते की शायरी का विद्वान नहीं हूं । उसकी लिपि भी नहीं जानता । हां, हिन्दी छापे में जो नयी-पुरानी शायरी उपलब्ध है, गाहे-ब-गाहे आती रहती है, उससे वाबिस्ता रहने की ज़रूर कोशिश करता हूं । लिहाज़ा, अगर मेरे लिए हफ़ीज़ मेरठी का नाम सुना हुआ न हो, तो ख़ास अचरज की बात नहीं । लेकिन मैंने देखा कि मेरे वे साहित्यिक दायरे के दोस्त, जो उर्दू लिपि भी जानते हैं और शायरी की रिवायत से काफ़ी कुछ वाक़िफ़ हैं, भी इस नाम से परिचित नहीं हैं, तो मुझे हैरत ज़रूर हुई । तभी मेरे मन में इस ज़रूरत ने सिर उठाया कि इस शायर के बारे में ज़रूरी और शुरुआती जानकारियां हिन्दी वालों को दी जानी चाहिए ।

हफ़ीज़ मेरठी सचमुच कड़ियल ज़ुबान के शायर हैं । उस कड़ियल ज़ुबान के, जो उर्दू ग़ज़ल की रिवायत नहीं रही । जानने की दिलचस्प बात यह भी है कि वे मुख्यत: ग़ज़ल के ही शायर हैं और आज अगर 'उर्दू' ग़ज़ल हुस्नो-इश्क़ की मुआमलाबंदियों से बाहर निकल कर सियासी और समाजी मसाइल (राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं) को मौज़ूं बना रही है' (जिसका श्रेय हिन्दी में कवि दुष्यंत कुमार मरहूम और अदम गोंडवी को जाता है), तो इसका श्रेय फ़ना निज़ामी मरहूम और हफ़ीज़ मेरठी जैसे चंद एक शायरों को जाता है ।

मुझे याद है कि आज से कोई 30-32 साल पहले जब फ़ैज़ और मख़्दूम जैसे ऊंचे पाये वाले तरक़्क़ी पसन्द शायर अपने इन्क़िलाबी संदेश के लिए नज़्म और दूसरे काव्य रूपों का सहारा ले रहे थे और उर्दू ग़ज़ल को गुलो-बुलबुल और आगे आने वाले 'नियो रिच' क्लास के लिए छोड़ दिया गया था, तो फ़ना साहब के यहां मुझे एक ऐसा शेर नज़र आया था, जिसकी परंपरा आगे चलकर दुष्यंत और अदम के यहां फूली-फली, परवान चढ़ी । वह शेर कुछ यूं था-'सैयादे-बाग़बां के तेवर बता रहे हैं/ये लोग फ़स्ले गुल के कपड़े उतार लेंगे ।' उर्दू ग़ज़ल का अपनी तरह का यह इकलौता शेअर (हो सकता है, यह महज़ मेरी ख़ामोख़्याली हो !) मैं पिछले 30 साल से गुनगुनाता और अपने यार दोस्तों को सुनाता आ रहा हूं ।

हफ़ीज़ के शेअरों की कुछ बानगियां देखिए-हमारा ही जिगर है यह, हमारा ही कलेजा है/हम अपने जिस्म रखते हैं नमकदानों से वाबिस्ता/...बारी-बारी जागना है ख़ौफ़ से शबख़ून के/हम तभी सोएंगे जब बेदार हो जाएंगे आप/... हिसारे जब्र में ज़िंदा बदन जलाये गये/किसी ने दम नहीं मारा, मगर धुआं बोला/'कहा न था कि नवाज़ेंगे हम हफ़ीज़ तुझे'/ उड़ा के वह मेरे दामन की धज्जियां बोला/बस यही दौर है इस दौर के इन्सानों की/तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने/...पैरहन (कपड़ों) की मैंने जब तारीफ़ की कहने लगे/हम तुम्हें अच्छे लगे या पैरहन अच्छा लगा ? ...कहीं चमन में नयी पौध को जगह न मिले/यह सोच अमल में एहसासे कमतरी की है/यह बांकपन है हमारा कि ज़ुल्म पर हमने/बजाय नाला-ओ-फ़रियाद शायरी की है/...दुआएं तुमको न दूंगा मैं ऐशो-इशरत की/कि ज़िन्दगी को ज़रूरत है सख़्त मेहनत की...।

हफ़ीज़ मेरठी सन 1922 में शहर मेरठ में, जो आज दंगों के लिए ख़ासतौर से जाना जाता है और जिसका पुराना नाम इश्क़बाद है, पैदा हुए थे । उनके वालिद हकीम मुहम्मद इब्राहीम ने तब उनका नाम हफ़ीज़ुर्रहमान रखा था और अगले 19-20 सालों तक वे इसी नाम से पुकारे और जाने जाते रहे । उसी दर्मियान अपने ही शहर के फ़ैज़-ए-आम इंटर कालेज में रेगुलर पढ़ाई करके उन्होंने मैट्रिक पास किया और फिर प्राइवेट फार्म भर कर एफ०ए० (इंटर) किया । यह बात कोई 40-41 की होगी । उस ज़माने में एफ०ए० पास लोग

भी कम ही हुआ करते थे ।

लिहाज़ा उसी साल मेरठ कलेक्ट्रेट में उनकी नौकरी लग गयी, जहां वे अगले 17 सालों तक मुलाज़िमत करते रहे । तब ख़ुद उन्हें भी इस बात का एहसास नहीं रहा होगा, कि जिस फ़ैज़-ए-आम ने अपने पहलू में बैठकर तालीम हासिल करने का उन्हें सुनहरी मौक़ा दिया, एक दिन अपने ही यहां उन्हें मुलाज़मत भी मुहैया करेगा, लेकिन ख़ासे ड्रामाई अंदाज़ में हुआ ऐसा ही । 1958 में कलेक्ट्रेट की 17 साल पुरानी सरकारी नौकरी को अलविदा कहकर हफ़ीज़ मेरठी, बतौर हेडक्लर्क, अपनी कभी की तालीमगाह में आ गये और वहीं से एक दिन रिटायरमेंट लिया ।

हफ़ीज़ुर्रहमान वल्द हकीम मुहम्मद इब्राहीम (मरहूम) का जन्म बेशक 1922 में हुआ था, लेकिन एक शायर के बतौर जनाब हफ़ीज़ मेरठी दरअस्ल उसी दौरान वजूद में आये, जब हफ़ीज़ुर्रहमान ने एफ०ए० पास करके मुलाज़मत की जानिब क़दम बढ़ाये । मेरठ, रामपुर, हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली जैसा उर्दू अदब और शायरी का गढ़ भले नहीं रहा, लेकिन शायरी की एक लहर वहां रही जो पिछली सदी से लगातार है ।

1880-82 के दौरान वहां एक अवामी शायर (लोक कवि) ने जो ख़ानदानी पेशे से कुंजड़ा था और सदर इलाक़े में जिसका क़याम (निवास) था, 'क़िस्सा लैला मजनूं' नाम से एक काव्य-नाटक (बैले) लिखा था, जो बाक़ायदा छपा भी था और खेला भी गया था मौजूदा सदी के दर्मियान भी यगाना चंगेजी, हुश्यार मेरठी, नुदरु मेरठी आदि कई नामी-गरामी शायरों ने अदब की दुनिया में मेरठ का नाम रोशन रखा है ।

इसी माहौल में हफ़ीज़ुर्रहमान की दिलचस्पी अदब की दुनिया में हुई और हक़्क़ी हजी मरहूम और हश्मत हुसैन नज़मी की सोहबत में उन्होंने शेअर कहने शुरू किये । उसी दौरान उन्हें एक शाइराना नाम की भी दरकार हुई । लिहाज़ा वे हफ़ीज़ुर्रहमान से हफ़ीज़ मेरठी हो गये । मेरठ के ही हकीम सिराजुद्दीन अहमद ने एक बार उनसे पूछा था 'हफ़ीज़ साहब, शायरी में आपके उस्ताद कौन थे ? जवाब मिला : 'कोई नहीं, बस मुताला मेरा रहबर रहा है ।'

यह सवाल-जवाब इसलिए ग़ौरतलब है कि उर्दू शायरी में उस्ताद की परंपरा का सदा से ख़ासा महत्व रहा है और यह माना जाता है कि किसी उस्ताद के बिना शायरी का शऊर नहीं आता । हफ़ीज़ मेरठी इसके अपवाद हैं । यहां यह बात भी ग़ौर करने की है कि जो शायर ग़ज़ल के रिवायती रंग से अलग हट कर न सिर्फ़ सियासी और सामाजिक मसलों पर आग की लकीर जैसे शेअर कहता हो, बल्कि उनके लिए बिना कोई डंका-पीटे, चुपचाप हाथों में हथकड़ियां भी पहन लेता हो-सलाखों के पीछे की ज़िन्दगी भी मंज़ूर कर लेता हो, वही किसी सियासी पार्टी से वाबिस्तगी के सवाल पर एकदम 'न' में सिर हिलाये ।

हां, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े न होने के बावजूद हफ़ीज़ मेरठी इमरजेंसी के दौरान जेल का सफ़र तय कर चुके हैं और इसका ज़िक्र अपने बायो-डाटा में वे नहीं करते । वे दर हक़ीक़त अवाम के अपने शायर हैं और इसके सबूत के तौर पर कोई सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं समझते । 'ग्लोबलाइज़ेशन के मौजूदा दौर में, जब सारे समाजी उसूलों को सिर के बल खड़ा करने और जिस-जिस तरह धन बटोरने व उपभोक्तावाद को सबसे बड़ा उसूल साबित करने की कोशिशें बेशर्मी की हद से बाहर जाकर हो रही हों, हफ़ीज़ मेरठी उस दुर्लभ होती जा रही मानव प्रजाति के गिने-चुने बचे हुए लोगों में से हैं जो कहते हैं—'शाने-शौकत के लिए तू है परेशान हफ़ीज़/और मेरी ये तमन्ना तेरा किरदार बने !'

यही वजह है कि—'पैग़ाम यह मिला है, जनाबे हफ़ीज़ को/अंजाम पहले सोच लें तब शायरी करें' और यही वजह है कि 'जाते-जाते पूछ रहा है अमन के रख वालों से हफ़ीज़/क्यों जी, हम लोगों से मेरठ ख़ाली हो जाएगा ?'

हफ़ीज़ मेरठी ख़ासतौर से ग़ज़ल की ज़मीन के शायर हैं और कई दहाइयों तक देश-विदेश के सैकड़ों मुशायरे सर करते रहे हैं, लेकिन इधर, बीस एक सालों के दौरान मुशायरों और कवि सम्मेलनों का स्तर जिस क़दर गिरा है, उससे उनके सोच में भी फ़र्क़ आया है—'कहां यह सतह पसंदी अदब को ले आयी/जहां नज़र की बुलंदी व दिल की गहराई/...मुशायरों में हफ़ीज़ आजकल वही जाए/कि जिसको हद से ज़्यादा हो ज़ौक़े रुसवाई ।'

मुशायरों की ही गहमागहमी की वजह से अपना कलाम प्रकाशित करने की ओर भी उनका ध्यान बहुत देर से गया । यह जानकर हैरत होगी कि उनकी ग़ज़लों का पहला संग्रह 'शेअर-ओ-शऊर' 1971 में जाकर शाया हो पाया ।

नोटबंदी क्या एक 'अनाड़ी' फ़ैसला था ?

■ क़मर वहीद नक़वी

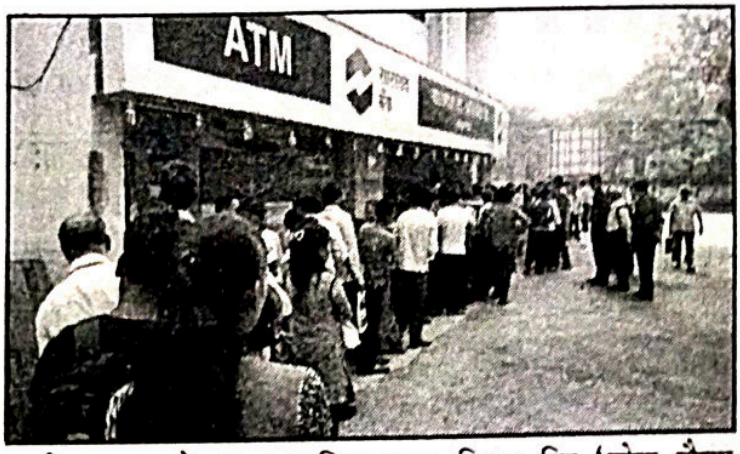

घबराइए नहीं । नक़दी की कड़की ख़त्म होने वाली है! सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जो पुराने नोट बाज़ार में वास्तविक रूप से चलन में थे, उनके आधे मूल्य के नये नोट दिसम्बर के अंत तक बैंकों में पहुंच जाएंगे । और जो कुल करेंसी बन्द हुई है, उसके तीन-चौथाई मूल्य की नयी करेंसी जनवरी के दूसरे हफ़्ते तक आ जाएगी ।

जनवरी के दूसरे हफ़्ते तक क्यों ? इसलिए कि नोटबंदी को लेकर अब बी॰जे॰पी॰ और संघ में घंटियां बजने लगी हैं । ख़बरें हैं कि संघ के अपने संगठन 'लघु उद्योग भारती' ने छोटे और मंझोले उद्योगों के सर्वेक्षण के बाद 'चिंताजनक' रिपोर्ट दी है । इसी तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश से आये बी॰जे॰पी॰ सांसदों के एक दल ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को बताया कि अगर मध्य जनवरी तक नक़दी की समस्या दूर नहीं हुई, तो उत्तर प्रदेश चुनाव में लुटिया डूब सकती है ।

तो अब आप समझ ही गये होंगे कि आख़िर जनवरी के दूसरे हफ़्ते तक तीन-चौथाई करेंसी की भरपाई की बात क्यों कही जा रही है ? हालांकि इतनी जल्दी इतने सारे नये नोट कैसे छप पाएंगे, यह समझ में नहीं आता । नोट छापने वाले प्रेसों के पिछले दो बरसों के आंकड़ों को देखें तो वह साल भर में उतने नोट भी नहीं छाप पाये, जितने का लक्ष्य उन्हें दिया गया था । बहरहाल, सरकार कह रही है, तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा !

हर दिन बदलती सरकार की भाषा

लेकिन अब तो समझ में नहीं आता कि सरकार की किस बात पर भरोसा करें ? सरकार की भाषा तो हर दिन बदलती रही है, नोटबंदी को लेकर नियम तो हर दिन बदलते रहे हैं । कल जो कहा था, वह आज माना जाएगा या नहीं, किसी को पता नहीं । नोटबंदी क्यों हुई ? पहले कहा गया कि काला धन निकलेगा । फिर 'कैशलेस इकॉनॉमी' का जुमला आया । फिर कहा गया कि नहीं, नहीं, आपने ग़लत समझा था । 'कैशलेस इकॉनॉमी' की बात कही तो गयी थी, लेकिन मतलब 'लेस-कैश इकॉनॉमी' यानी कम नक़दी की अर्थव्यवस्था से था ! चलिए मान लिया कि 'लेस-कैश इकॉनॉमी' की बात थी । लेकिन फिर यह बात समझ में नहीं आयी कि 'लेस-कैश इकॉनॉमी' के लिए आख़िर नोटबंदी की ज़रूरत क्या थी ?

पुरानी करेंसी में क्यों नहीं 'लेस-कैश इकॉनॉमी ?'

'लेस-कैश इकॉनॉमी' बनाने का काम पुरानी करेंसी में नहीं हो सकता था क्या ? बड़ी आसानी से हो सकता था। आप पुरानी करेंसी के और नये नोट जारी ही न करते, बैंकों में लौटने वाली सारी करेंसी को वापस चलन में डालने से धीरे-धीरे रोकते रहते, तो कुछ दिनों में चलन में करेंसी कम हो ही जाती । 'कैशलेस' लेन-देन को बढ़ावा देना था, तो देते । ख़ूब देते ।

यह भी उतना कठिन काम नहीं था । बस एक क़ानून बनाना था और एक सीमा तय करनी थी कि इस रक़म के ऊपर का कोई लेन-देन नक़द में नहीं होगा । चेक या डिमांड ड्राफ़्ट या क्रेडिट-डेबिट कार्ड या ऑनलाइन ही होगा । इसके लिए नोटबंदी की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि इलेक्ट्रोनिक लेन-देन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत थी, जो अभी देश में है ही नहीं ।

ज़ाहिर है कि नोटबंदी 'लेस-कैश इकॉनॉमी' के लिए की ही नहीं गयी थी, क्योंकि उसके लिए ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं थी । नोटबंदी इसलिए की गयी थी कि काला धन पकड़ में आ जाए । लेकिन हुआ उलटा और धन-धुलाई के नये-पुराने कारख़ाने धड़ल्ले से चल पड़े । मजबूरन सरकार ने लोगों को अब मौक़ा दिया है कि वह

मार्च 2017 तक अपनी काली कमाई घोषित कर दें । यानी बात साफ़ है । नोटबंदी से वह हुआ नहीं, जैसा सोच कर उसे लागू किया गया था ।

ये सारी बातें क्यों नहीं सोची गयीं ?

अब नोटबंदी के पचास दिन बाद भी जब काफ़ी कुछ नतीजे हमारे सामने हैं, तो यह सवाल पूछा जाना जायज़ है कि नोटबंदी क्या एक 'अनाड़ी' फ़ैसला था ? क्या इस 'ऐतिहासिक अभूतपूर्व' मिशन पर काम करने वाली 'चुनिन्दा टीम' ने कुछ आगा-पीछा सोचा था ? आख़िर किसी ने यह कैसे नहीं सोचा कि नोटबंदी के बाद काले धन की धुलाई के लिए लोग क्या-क्या कर सकते हैं । धन धोने के लिए लोग वही पुराने तरीक़े अपना रहे हैं, जो वे बरसों से करते आ रहे हैं । तब यह क्यों नहीं सोचा गया कि बैंकिंग का भ्रष्ट तंत्र इस धन-धुलाई में अपनी कमाई क्यों नहीं करेगा ?

2013 में कोबरापोस्ट ने 22 सरकारी और निज़ी बैंकों में स्टिंग ऑपरेशन कर दिखाया था कि कैसे वे सब बेधड़क धन-धुलाई में लगे थे । तो नोटबंदी में वह धन-धुलाई में सहायक नहीं होंगे, यह अगर नहीं सोचा गया, तो इसे अनाड़ीपन के अलावा और क्या कहा जाएगा ? और अगर नोटबंदी का मक़सद काला धन पकड़ने के साथ-साथ 'कैशलेस' या 'लेस-कैश' इकॉनॉमी की तरफ़ बढ़ना था, तो ऐसा किस आधार पर सोचा गया ? देश के बड़े हिस्से में बैंकिंग नेटवर्क है नहीं, सवा अरब की आबादी में सिर्फ़ 37 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट मोबाइल है । कह सकते हैं कि इतने लोग तो डिजिटल लेन-देन कर ही सकते हैं । हां, कर तो सकते हैं, लेकिन बाधा क्या है ? आगे देखते हैं।

क्रेडिट-डेबिट कार्ड के आंकड़े

अभी देखते हैं क्रेडिट-डेबिट कार्ड के इस्तेमाल के आंकड़े । देश में केवल ढाई करोड़ क्रेडिट कार्ड और उससे 27 गुना यानी क़रीब 69 करोड़ डेबिट कार्ड हैं । लेकिन ख़रीदारी में इनका हिस्सा बिल्कुल उलटा है । रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि 95 प्रतिशत ख़रीदारी क्रेडिट कार्ड से होती है और डेबिट कार्ड से सिर्फ़ पांच प्रतिशत । डेबिट कार्ड को लोग बस ए॰टी॰एम॰ की तरह इस्तेमाल करते हैं । हालांकि कई लोग ऐसे हैं, जिनके पास कई-कई क्रेडिट और डेबिट कार्ड हैं । इसलिए क्रेडिट-डेबिट कार्ड रखने वालों की वास्तविक संख्या कहीं कम है । फिर भी ज़रा सोचिए कि अगर ये सारे लोग कार्ड से ख़रीदारी करने लगें तो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या उसका बोझ उठाने लायक़ है ? क़तई नहीं । अभी पिछले रविवार की शाम को इसका नमूना देखने को मिला, जब देश के कई बड़े शहरों में दो घंटे तक कार्ड से भुगतान बाधित रहा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर लेन-देन के अचानक बढ़ गये दबाव को झेल नहीं पाया ।

ई-वालेट की परेशानी

यही हाल ई-वालेट का है । ग्राहक बढ़ गये, लेकिन ई-वालेट कंपनियों की क्षमता उतना बोझ संभाल पाने की है ही नहीं, तो रोज़ तरह-तरह की शिकायतें सुनने को मिल रही हैं । कभी भुगतान नहीं होता, कभी वालेट से पैसा 'ग़ायब' हो जाता है । ज़ाहिर है कि डिजिटल लेन-देन की देश में कोई तैयारी थी नहीं । इसलिए नोटबंदी का मक़सद डिजिटल या कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देना कैसे हो सकता था ?

और कार्ड से लेन-देन के लिए 'प्वाइंट ऑफ़ सेल' मशीनों की ज़रूरत होती है । अनुमानित तीन करोड़ व्यापारिक प्रतिष्ठानों में से सिर्फ़ तेरह लाख के पास 'प्वाइंट ऑफ़ सेल' मशीनें हैं । कहां तेरह लाख, कहां तीन करोड़ ! इन सब तक मशीनें पहुंचाने का काम किस गति से कुछ महीनों में हो सकता है ? बरसों का काम है यह भी ।

और जिन दुकानदारों ने हाल में यह मशीनें ले भी ली हैं, वह भी एक सीमा के आगे उसका इस्तेमाल नहीं करते । क्यों ? इसलिए कि कार्ड से वह उतनी ही बिक्री दिखाते हैं, जो वह पिछले सालों में नक़द बिक्री के तौर पर दिखाते रहे हैं । उन्हें डर है कि कार्ड से अगर ज़्यादा बिक्री कर ली, तो पिछले कई सालों के उनके खातों को उसी आधार पर आंका जाएगा और उन्हें भारी टैक्स चुकाना पड़ेगा ।

कार्ड का इस्तेमाल : डर पिछले हिसाब का

व्यापारी सरकार पर कैसे भरोसा करें कि उनका पिछला हिसाब नहीं खोला जाएगा ? प्रधानमंत्री अपने एक भाषण में ख़ुद कह चुके हैं कि ज़रूरत पड़ी तो आज़ादी के बाद से अब तक का हिसाब खंगाला जाएगा । हालांकि सरकार ने आख़िर अब जाकर यह बात महसूस की और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 16 दिसम्बर को बी॰जे॰पी॰ सांसदों से बात करते हुए ऐलान किया कि किसी व्यापारी का कोई पुराना हिसाब नहीं देखा जाएगा । ज़ाहिर है कि अगर डिजिटल लेन-देन की बात शुरू में सोची गयी थी, तो यह बात भी तभी सोच ली गयी होती !

इन्दिरा ने क्यों नहीं की नोटबंदी ?

प्रधानमंत्री ने इसी बैठक में यह बात भी कही कि 1971 में इन्दिरा गांधी के सामने भी नोटबंदी का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन चुनावी राजनीति के चलते उन्होंने उसे नकार दिया और अगर इन्दिरा ने तब वह क़दम उठा लिया होता, तो देश की आज यह हालत नहीं होती ! अजीब तर्क है । क्योंकि उसके सात साल बाद 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने तो यह क़दम उठाया ही था । तो उससे देश की हालत क्यों नहीं बदली ? इन्दिरा नोटबंदी करतीं तो हालत बदल जाती, मोरारजी ने की तो नहीं बदली ! बात कुछ समझ में नहीं आयी । 1946 में भी नोटबंदी हुई, तब भी हालत नहीं बदली !

70 साल पहले क्या लिखा था 'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' ने ?

बल्कि सत्तर साल पहले, 25 जनवरी 1946 को 'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' के संपादकीय को देख लीजिए । तब लिखा गया था कि 'इस (यानी नोटबंदी) क़दम की आलोचना का मुख्य आधार यह है कि अधिकतर काला धन तो पहले ही सोने, शेयरों, बांडों, हीरे-जवाहरात और ज़मीन-जायदाद में खपाया जा चुका है, तो बड़े काले धन वालों ने तो बचाव के रास्ते पहले ही ढूंढ लिये हैं ।' क्या यही बात आज सच नहीं है ? अगर लोग 1946 में करेंसी में काला धन नहीं रख रहे थे, तो वह आज क्यों रखेंगे ? इतने बेवक़ूफ़ हैं क्या ?

फिर सारे सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अब तक जितना भी काला धन पकड़ा गया है, उसमें करेंसी का हिस्सा बेहद मामूली रहा है । तो करेंसी बन्द करने से बहुत काला धन कैसे निकलेगा ?

लब्बोलुबाब यह है कि काला धन और टैक्स चोरी ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर हर वह आदमी ऐसा चाहता है जो सरकार को हर साल लाखों रुपये टैक्स देता हो । इसी तरह डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना भी ज़रूरी है । लेकिन यह दोनों काम केवल नोटबंदी जैसे 'धमाके' करने से नहीं हो सकते । नोटबंदी से बस अर्थव्यवस्था को थपेड़े लगते हैं, जो हम सब देख रहे हैं ।

विश्वास का संकट

नोटबदल और हर दिन नियम बदलने से विश्वास का संकट ज़रूर खड़ा हो गया है । बैंक भी अब शिकायत कर रहे हैं कि नोटबंदी की 'विफलता' के लिए उन्हें 'खलनायक' बताया जा रहा है । और तो और लोगों को भरोसा नहीं कि दो हज़ार का नया नोट कितने दिन चलेगा ? तरह-तरह की अफ़वाहें हैं । उधर पुराने-नये नोटों की पकड़-धकड़, छापों-धावों से नये 'इंस्पेक्टर राज' का माहौल बनने लगा है, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ताजा भाषण में साफ़ किया कि वह ऐसा क़तई नहीं चाहते ।

ग़रीब मज़दूरों से लेकर छोटे-मंझोले उद्योग धंधों में लगे लोग बेहाल हैं । और ऊपर से तुर्रा यह कि अमीरों के ख़िलाफ़ ग़रीबों को उकसाने की कोशिशें खुद प्रधानमंत्री ने की । इन सबके बीच ए०टी०एम० और बैंकों की लाइनों में लगे लोग इस सवाल का जवाब ढूंढ़ रहे हैं कि आख़िर नोटबंदी का यह तमाशा किस काम का था ?

(सा० : रागदेश डॉट कॉम)



मुनअम पब्लिक स्कूल

(इंगलिश मिडियम, सी॰बी॰एस॰ई॰, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त)

महाराजगंज, पो॰ दादपुर, ज़िला हज़ारीबाग, (झारखण्ड)

नामांकण सूचना : एल के जी से कक्षा नवम् तक

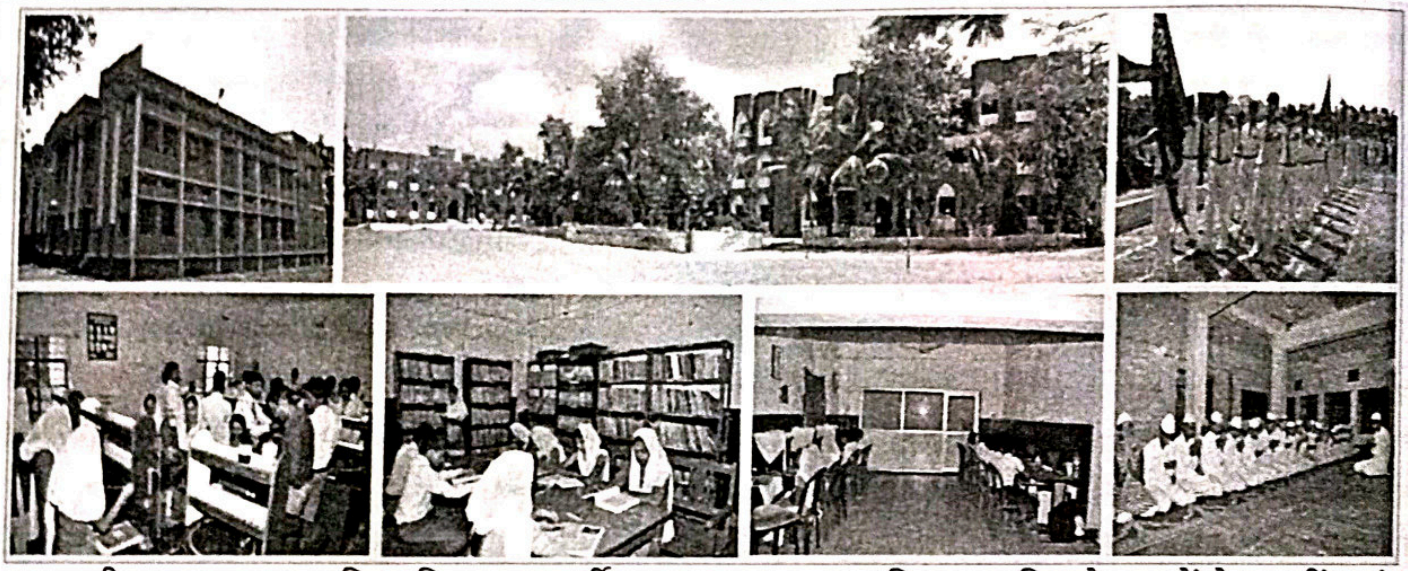

इस्लामी नहज पर आधुनिक शिक्षा का पूर्वी भारत का एकमात्र विद्यालय जिसके छात्रों ने दसवीं एवं बारहवीं के बोर्ड परीक्षा में शानदार कामयाबी हासिल की।

उपलब्ध सहूलियतें

विशाल कैंपस, भव्य इमारतें, छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग आरामदेह साफ़-सुथरे छात्रावास की व्यवस्था, साइंस एवं कंप्यूटर लैब, ज्ञानवर्धक किताबों से भरपूर पुस्तकालय, स्पोर्ट्स एवं पी॰टी॰ के लिए विशाल खेल मैदान, सभी विषयों के लिए अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की टीम, नमाज़ पंजगाना के लिए ख़ूबसूरत मस्जिद।

नामांकण फ़ार्म मिलने की अंतिम तिथि : 15 मार्च 2016

एस॰एम॰ नईम	साद राशिद ख़ान नदवी	वकील अहमद
एम ए . बी एड ए (अलीग)	फ़ाज़िल. नदवा, लखनऊ	एम एस सी., बी.एड.
निदेशक	छात्रावास अधिक्षक	प्राचार्य

विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें

मोबाइल : 09431530878/7739748279, वेबसाइट : munammission.org

ई.मेल : hmpt.mission@gmail.com

2016 : खेलों में कोई ख़ास नहीं रहा भारत का प्रदर्शन

■ ए॰ एन॰ शिब्ली

अगर हम साल 2016 के दौरान विभिन्न खेलों में भारत के प्रदर्शन की बात करें तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारत का प्रदर्शन मिला-जुलाकर कोई बहुत अच्छा नहीं रहा । यदि आबादी के हिसाब से देखें तो वैसे तो भारत ने दुनिया के सबसे बड़े खेल इवेंट ओलंपिक में कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं किया मगर भारत का प्रदर्शन इन खेलों में पहले जैसा रहा है उस आधार पर हम कह सकते हैं कि रियो ओलंपिक भी भारत के लिए ठीक ही रहा । वैसे इवेंट से पहले जैसे दावे किये जा रहे थे वैसे कुछ भी नहीं हुआ ।

साल 2016 में खेलों में सबसे बड़ी उपलब्धि बैडमिंटन खिलाड़ी पी॰वी॰ सिंधु के नाम रही । बैडमिंटन खिलाड़ी पी॰वी॰ सिंधु ने रियो ओलंपिक की महिला एकल स्पर्धा के फाइनल में स्पेन की कैरोलिना मारिन के ख़िलाफ़ कड़े मुक़ाबले में शिकस्त के साथ रजत पदक हासिल किया । विश्व चैंपियनशिप की दो बार की कांस्य पदक विजेता सिंधु भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीतने वाली पांचवीं महिला और रजत जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं । सिंधु निशानेबाज़ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ (एथेंस 2004) और विजय कुमार (लंदन 2012) तथा पहलवान सुशील कुमार (लंदन 2012) के बाद ओलंपिक में व्यक्तिगत रजत पदक जीतने वाली चौथी भारतीय हैं । वह ओलंपिक में पदक जीतने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी हैं ।

पैरालंपिक में तो कमाल ही हो गया । रियो पैरालंपिक खेलों के ऊंची कूद स्पर्धा में मरियप्पन थांगावेलू ने गोल्ड पर क़ब्ज़ा जमाते हुए इतिहास रच दिया तो वहीं वरुण भाटी ने इसी प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत को दोहरी ख़ुशी दी । मरियप्पन थंगावेलु ने रियो पैरालंपिक में हाई जंप में गोल्ड मेडल जीत इतिहास रच दिया । वे भारत के पहले



गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिन्होंने पैरालंपिक्स में हाई जंप में गोल्ड जीता । उन्होंने 1.89 मीटर की जंप लगायी ।

इस वर्ष भारत को महिला कुश्ती में पहला पदक मिल गया । साक्षी मलिक ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की चौथी महिला खिलाड़ी बनीं । उन्होंने रियो ओलंपिक में भारत का पदकों का इंतिज़ार ख़त्म करते हुए 58 किलो वर्ग में रेपेचेज के कांस्य पदक के मुक़ाबले में किर्गिस्तान की ऐसुलू ताइनीबेकोवा को 8-5 से हराकर कांस्य पदक दिलाया । बीजिंग में सुशील कुमार ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता था । सुशील ने इसके बाद लंदन 2012 में अपने कांस्य के तमगे को रजत पदक में बदला, जबकि योगेश्वर दत्त भी कांस्य पदक हासिल करने में सफल रहे थे । साक्षी मलिक भारत की पहली महिला पहलवान बनीं जिसे पदक मिला ।

इस बार रियो में दीप कर्मकार ख़ूब चर्चा में रही । जिम्नास्ट दीपा महिला वाल्ट फाइनल्स में क़रीब से कांस्य पदक से चूक कर चौथे स्थान पर रहीं, लेकिन फिर भी इस भारतीय जिम्नास्ट ने इतिहास रच दिया । यह किसी भी भारतीय जिम्नास्ट का ओलंपिक इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है । तेईस वर्षीय दीपा ओलंपिक के लिये क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट बनी थी । दीपा महिलाओं की वॉल्ट स्पर्धा में चौथे स्थान

पर रह गयीं लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर उनके लिए ज़बरदस्त समर्थन देखने को मिला और भारत आने पर उनका ज़बरदस्त स्वागत हुआ ।

रियो पैरालंपिक में भारत की दीपा मलिक ने महिलाओं की शॉट पुट स्पर्धा में सिल्वर मेडल हासिल किया । 36 साल की दीपा मलिक ने 4.61 का स्कोर बनाया और वे दूसरे स्थान पर रहीं । दीपा मलिक ने सिर्फ़ शॉटपुट बल्कि जैवलीन थ्रो, तैराकी और मोटर रेस से भी जुड़ी रही हैं । उनके शरीर का निचला हिस्सा सुन्न है लेकिन उन्होंने इसे अपने खेल के आगे नहीं आने दिया । उनकी उपलब्धियों के चलते उन्हें भारत सरकार की ओर से अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है ।

हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है । यह खेल साल ख़त्म होने पर कुछ खुशी दे गया जब भारतीय टीम ने 15 साल बाद जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी का ख़िताब जीत लिया । फाइनल में भारतीय टीम ने बेल्जियम को 2-1 से हराया । भारत तीसरी बार जूनियर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा था । इससे पहले 2001 में ऑस्ट्रेलिया के होबर्ट में भारतीय टीम ने अर्जेंटीना को 6-1 से हराकर एकमात्र जूनियर वर्ल्ड कप जीता था । वहीं 1997 में इंग्लैंड में हुए टूर्नामेंट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था । भारत 11 साल पहले रोटरडम में कांस्य पदक के मुक़ाबले में स्पेन से पेनल्टी शूटआउट में हार गया था ।

2016 में टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला युगल मुक़ाबले में जीत दर्ज की । सानिया मिर्ज़ा और स्विटज़रलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने चेक गणराज्य की सातवीं वरीयता प्राप्त जोड़ी एंड्रिया लावाकोवा और लूसी हराडेका को हराया । ये ख़िताब सानिया मिर्ज़ा का लगातार तीसरा ग्रैंड स्लैम ख़िताब था । सानिया मिर्ज़ा को खेलों में योगदान के लिए इस साल पद्म भूषण सम्मान भी मिला ।

साल के समापन से ठीक पहले मुक्केबाज़ी में विजेंदर सिंह ने कमाल दिखाया और हाई वोल्टेड मुक़ाबले में फ्रांसिस चेका को मात देकर उन्होंने इस ख़िताब को बचाए रखा और लगातार आठवें मुक़ाबले में जीत दर्ज की । अब उन्होंने लगातार बिना हारे आठ मुक़ाबले जीत लिए हैं । इसी साल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कैरी होप को मात देकर डब्ल्यू॰बी॰ओ॰ एशिया पैसेफिक सुपर मिडिलवेट ख़िताब अपने नाम किया था ।

भारत में सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट की बात करें तो इस वर्ष विराट कोहली के अलावा अश्विन ने बहुत कमाल किया । अश्विन को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आई॰सी॰ सी॰ ने क्रिकेटर ऑफ़ द ईयर का पुरस्कार दिया । वह टेस्ट क्रिकेटर ऑफ़ द ईयर भी चुने गये । कोहली ने ख़ुद तो अच्छा प्रदर्शन किया ही उनकी कप्तानी में भारत ने न्यूज़ीलैंड और इंग्लैंड को हराया । भारत ने पहले न्यूज़ीलैंड की टीम को 3-0 से और फिर इंग्लैंड की टीम को पांच टेस्ट मैचों की सीरीज़ में 4-0 से सूपड़ा ही साफ़ कर दिया।

भारत के प्रदर्शन की बात करें तो टेस्ट मैचों में भारतीय टीम ने ख़ूब धूम मचायी । भारत ने 2016 में कुल 12 टेस्ट मैच खेले जिनमें से नौ में उसे जीत मिली जो एक कैलेंडर वर्ष में उसकी सर्वाधिक जीत का नया रिकॉर्ड है । साल का अंत करुण नायर के लिए शानदार रहा जिन्होंने अपनी तीसरी टेस्ट पारी में तिहरा शतक (नाबाद 303) बनाकर कमाल कर दिया । जो काम सचिन नहीं कर सके वह नायर ने कर दिखाया ।

क्रिकेट की दुनिया में इस साल आई॰सी॰सी॰ टी20 विश्व कप का छठा संस्करण और इंडियन प्रीमियर लीग का 9वां संस्करण खेला गया । आई॰सी॰सी॰ टी20 विश्व कप में भारत का सफ़र सेमीफाइनल तक का ही रहा और सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज़ से दो गेंद रहते सात विकेट से हार गया । इसके बाद फाइनल में वेस्टइंडीज ने कोलकाता के ईडन गार्डंस में इंग्लैंड को चार विकेट से मात देकर दूसरी बार ख़िताब को अपने नाम किया । विराट कोहली को प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ चुना गया ।

आई॰पी॰एल॰ के 9वें संस्करण में सनराइजर्स हैदराबाद ने ख़िताब पर क़ब्ज़ा करते हुए सबको चौंका दिया । फाइनल मुक़ाबले में हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को आठ रन से हराया । इस सीज़न में आई॰पी॰एल॰ में चार शतक लगाने वाले आर॰सी॰बी॰ के कप्तान विराट कोहली को प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ का ख़िताब मिला । कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत ने खेलों की दुनिया में कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया इतनी आबादी वाले देश से कुछ ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है जिसे लंबे समय तक याद रखा जा सके, मगर हमेशा की तरह इस साल भी कुछ ऐसा नहीं हुआ ।

मां को बेसहारा न छोड़ें

■ नवनीत सिकेरा
(आई॰पी॰एस॰)

कल रात एक ऐसा वाक़िया हुआ जिसने मेरी ज़िन्दगी के कई पहलुओं को छू लिया । क़रीब 7 बजे होंगे, शाम को मोबाइल बजा । उठाया तो उधर से रोने की आवाज़ । मैंने शांत कराया और पूछा कि भाभी जी आख़िर हुआ क्या ? उधर से आवाज़ आई...आप कहां हैं और कितनी देर में आ सकते हैं ?

मैंने कहा-"आप परेशानी बताइए...!" और "भाई साहब कहां हैं...? माता जी किधर हैं...?" "आख़िर हुआ क्या...?"

लेकिन उधर से केवल एक रट कि आप आ जाइए, मैंने आश्वासन दिया कि कम से कम एक घंटा लगेगा । जैसे-तैसे पूरी घबड़ाहट में पहुंचा ।



देखा तो भाई साहब (हमारे मित्र जो जज हैं) सामने बैठे हुए हैं । भाभी जी रोना-चीख़ना कर रही हैं, 13 साल का बेटा भी परेशान है । 9 साल की बेटी भी कुछ नहीं कह पा रही है । मैंने भाई साहब से पूछा कि आख़िर क्या बात है ।

भाई साहब कोई जवाब नहीं दे रहे थे ।

फिर भाभी जी ने कहा कि ये देखिए, तलाक़ के पेपर, ये कोर्ट से तैयार कराके लाये हैं । मुझे तलाक़ देना चाहते हैं । मैंने पूछा–ये कैसे हो सकता है । इतनी अच्छी फ़ैमिली है । दो बच्चे हैं । सब कुछ सेटल्ड है । प्रथम दृष्टि में मुझे लगा यह मज़ाक़ है । लेकिन मैंने बच्चों से पूछा : दादी किधर हैं ? बच्चों ने बताया कि पापा ने उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के वृद्धाश्रम में शिफ़्ट कर दिया है ।

मैंने घर के नौकर से कहा मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ । कुछ देर में चाय आयी । भाई साहब को बहुत कोशिश की पिलाने की, लेकिन उन्होंने नहीं पिया । और कुछ ही देर में वो एक मासूम बच्चे की तरह फूट-फूटकर रोने लगे । बोले : मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है । मैं अपनी 61 साल की मां को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूं । पिछले साल से मेरे घर में उनके लिए इतनी मुसीबतें हो गयीं कि पत्नी (भाभी जी) ने क़सम खा ली कि मैं मां जी का ध्यान नहीं रख सकती । न तो ये उनसे बात करती थी और न ही मेरे बच्चे बात करते थे । रोज़ मेरे कोर्ट से आने के बाद मां ख़ूब रोती थी । नौकर तक भी अपनी मनमानी से व्यवहार करते थे ।

मां ने 10 दिन पहले बोल दिया...बेटा तू मुझे ओल्ड ऐज होम में शिफ़्ट कर दे । मैंने बहुत कोशिशें कीं पूरी फ़ैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने मां से सीधे मुंह बात नहीं की । जब मैं दो साल का था, तब पापा की मृत्यु हो गयी थी । दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया । मुझे इस क़ाबिल बनाया कि आज मैं जज हूं । लोग बताते हैं, मां कभी दूसरों के घरों में काम करते वक़्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थीं । उस मां को मैं ओल्ड ऐज होम में शिफ़्ट करके आया हूं । पिछले 3 दिनों से मैं अपनी मां के एक-एक दुख को याद करके तड़प रहा हूं, जो उसने केवल मेरे लिए उठाए ।

मुझे आज भी याद है जब...मैं दसवीं की परीक्षा में अपीयर होने वाला था । मां मेरे साथ रात-रात भर बैठी रहती । एक बार मां को बहुत फ़ीवर हुआ, मैं तभी स्कूल से आया था । उसकां शरीर गर्म था, तप रहा था । मैंने कहा मां तुझे फ़ीवर है । हंसते हुए बोली : अभी खाना बना रही थी इसलिए गर्म है । लोगों से उधार मांग कर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से एल॰एल॰बी॰ तक पढ़ाया । मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थीं कि कहीं मेरा टाइम ख़राब न हो जाए ।

कहते-कहते रोने लगे और बोले–जब ऐसी मां के हम नहीं हो सके तो हम अपने बीवी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कर आये, जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते, जब मैं ऐसी मां के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूं।

आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और मां इतनी बोझ लग रही हैं, तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूं। जब मैं बिना बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे। इसी लिए मैं तलाक़ देना चाहता हूं, सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले करके उस ओल्ड ऐज होम में रहूंगा। कम से कम मैं मां के साथ रह तो सकता हूं। और अगर इतना सब कुछ कर के मां आश्रम में रहने के लिए मजबूर है, तो एक दिन मुझे भी आख़िर जाना ही पड़ेगा। मां के साथ रहते-रहते आदत भी हो जाएगी। मां की तरह तकलीफ़ तो नहीं होगी।

मुझे आज भी याद है जब...मैं दसवीं की परीक्षा में अपीयर होने वाला था। मां मेरे साथ रात-रात भर बैठी रहती। एक बार मां को बहुत फ़ीवर हुआ, मैं तभी स्कूल से आया था। उसका शरीर गर्म था, तप रहा था। मैंने कहा मां तुझे फ़ीवर है। हंसते हुए बोली : अभी खाना बना रही थी इसलिए गर्म है। लोगों से उधार मांग कर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से एल॰एल॰बी॰ तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थीं कि कहीं मेरा टाइम ख़राब न हो जाए।

जितना बोलते उससे भी ज़्यादा रो रहे थे। बातें करते- करते रात के 12:30 हो गये। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा। उनके भाव भी प्रायश्चित और ग्लानि से भरे हुए थे।

मैंने ड्राइवर से कहा : अभी हम लोग नोएडा जाएंगे। भाभी जी और बच्चे हम सारे लोग नोएडा पहुंचे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर गेट खुला। भाई साहब ने उस गेटकीपर के पैर पकड़ लिए, बोले मेरी मां है, मैं उसको लेने आया हूं, चौकीदार ने कहा क्या करते हो साहब, भाई साहब ने कहा मैं जज हूं, उस चौकीदार ने कहा–"जहां सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी मां के साथ न्याय नहीं कर पाये, औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे साहब।

इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोककर वह अन्दर चला गया। अन्दर से एक महिला आयी जो वार्डन थी। उसने बड़े कातर शब्दों में कहा–"दो बजे रात को आप लोग ले जाके कहीं मार दें, तो मैं अपने ईश्वर को क्या जवाब दूंगी...?" मैंने सिस्टर से कहा : आप विश्वास करिए। ये लोग बहुत बड़े पश्चाताप में जी रहे हैं। अंत में किसी तरह उनके कमरे में ले गयीं। कमरे में जो दृश्य था, उसको कहने की स्थिति में मैं नहीं हूं।

केवल एक फ़ोटो जिसमें पूरी फ़ैमिली है और वो भी मां जी के बग़ल में, जैसे किसी बच्चे को सुला रखा है। मुझे देखीं तो उनको लगा कि बात न खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा : हम लोग आपको लेने आये हैं, तो पूरी फ़ैमिली एक-दूसरे को पकड़ कर रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे। सब लोग जाग कर बाहर तक ही आ गये। उनकी भी आंखें नम थीं। कुछ समय के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आये। किसी तरह हम लोग आश्रम के लोगों को छोड़ पाये। सब लोग इस आशा से देख रहे थे कि शायद उनको भी कोई लेने आये, रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो शांत रहे लेकिन भाई साहब और माता जी एक-दूसरे की भावनाओं को अपने पुराने रिश्ते पर बिठा रहे थे। घर आते-आते क़रीब 3:45 हो गया।

भाभी जी भी अपनी ख़ुशी की चाबी कहां है ये समझ गयी थीं। मैं भी चल दिया। लेकिन रास्ते भर वे सारी बातें और दृश्य घूमते रहे। मां केवल मां है। उसको मरने से पहले न मारें। मां हमारी ताक़त हैं, उसे बेसहारा न होने दें। अगर वह कमज़ोर हो गयीं तो हमारी संस्कृति की रीढ़ कमज़ोर हो जाएगी, बिना रीढ़ का समाज कैसा होता है किसी से छुपा नहीं।

(यह पोस्ट उ॰प्र॰ के आई॰पी॰एस॰ अफ़सर नवनीत सिकेरा ने अपने फेसबुक वॉल से ली गयी है। उन्हें यह मैसेज उनके मित्र संजय अग्रवाल ने व्हाट्सअप ग्रुप पर किया था)

निवेदिता

■ शंकरलाल माहेश्वरी

शहर की छोटी पुलिया के दाहिनी ओर अंतिम छोर पर मेरा मकान है । घर में दादा-दादी के अलावा मेरी मां और मैं साथ-साथ रहते हैं । पिताजी तो मेरे जन्म से पहले ही परलोक सिधार गये । मेरा नाम निवेदिता है । मेरे घर के पड़ोस ही में मनोरोग विशेषज्ञ डॉ॰ गुप्ता का क्लीनिक है जहां अक्सर बड़े-बूढ़े ही इलाज के लिए आते हैं । डॉ॰ गुप्ता सेवा निवृत्ति के बाद ही बुज़ुर्गों के रोगोपचार में ही सेवा सुख का अनुभव करते हैं ।

इसी क्लीनिक से सटे हुए ख़ाली वर्गाकार अहाते में एक छायादार वट वृक्ष है । जहां एक लड़का प्रातः ठीक आठ बजे आता है और वृक्ष के नीचे जूते गांठने की दूकान सजा देता है । गीत गुनगुनाते हुए अहाते की साफ़-सफ़ाई करता है और ग्राहकों के बैठने के लिए एक रंगीन चटाई बिछा देता है । जूतों पर पालिश करानी हो या फटे जूतों पर पैबन्द लगाना हो तो शहर के लोग अक्सर इसी के पास आते हैं । साथ ही जीवन में साफ़-सफ़ाई का महत्व भी बताते नहीं थकता, कतिपय रोगों के घरेलू नुस्ख़े भी बताता रहता है ।

दसवीं कक्षा तो इसने अनाथालय में रहते हुए ही पास कर ली, आगे की पढ़ाई उस समय थम गयी जब अनाथालय से उसकी छुट्टी कर दी । जब यह सात वर्ष का था तभी इसके माता-पिता का सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था । पहले इसने अनाथालय की शरण ली तो बाद में अपने मामा के घर रहकर अपना पुश्तैनी धंधा सीख लिया और यहां अपनी यह दूकान खोल ली । रोहित नाम है इसका ।

ख़ाली समय में वह अक्सर डॉ॰ गुप्ता से बतियाता रहता । उनके क्लीनिक की भी साफ़-सफ़ाई कर देता, मरीज़ों की सेवा चाकरी का भी समय निकाल लेता । डॉ॰ गुप्ता उसकी दिनचर्या से प्रभावित थे । एक दिन डॉ॰ गुप्ता भी अपने जूतों की मरम्मत के लिए इसकी दूकान पर बैठ गये । बातें होने लगीं तो रोहित डॉ॰ साहब से कहने लगा : डॉ॰ साहब, आपके जूतों की यह जोड़ी सलामत रहे । कभी-कभी मुझ से इसी तरह जांच करवा लिया करें । यदि छोटी-मोटी बीमारी हुई तो हाथों-हाथ उसी समय ठीक हो जाएगी । यदि बीमारी बढ़ती गयी तो फिर मेरे बस की बात नहीं रहेगी । सही समय पर इलाज नहीं करवाने पर प्राण पखेरू भी उड़ जाते हैं । अभी तो साधारण चीर-फाड़ से ही काम चल जाएगा । यदि घसीटते ही रहे तो बीमारी लाइलाज हो जाएगी । मेजर ऑपरेशन में ख़र्चा भी अधिक होगा और जीने की गारंटी भी समाप्त हो जाती है ।

कल ही रामू दादा अपने जूते रखकर गये, मृत प्राय हो गये । हालत इतनी ख़राब है कि ऑपरेशन भी करता हूं तो प्राणांत की संभावना है । मैंने तो दादा से कह दिया : ऑपरेशन करना मेरा काम है । हालत इतनी ख़राब है कि अंत में तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने को मिलेगी ।

डॉ॰ गुप्ता ने रोहित के मुंह से जब जूतों के संबंध में यह चिकित्सकीय विश्लेषण सुना तो वे आश्चर्य करने लगे । मनोविश्लेषण के आधार पर सोचने लगे, "कुछ तो है इस लड़के में जो डॉक्टरी गुण धर्म से मेल खाता है ।" रोहित में एक डॉक्टर की संपूर्ण संभावनाएं भरी पड़ी है । इसके भीतर का एक कुशल डॉक्टर बाहर आने को बेताब है । उस डॉक्टर को बाहर निकालने की आवश्यकता है बस । यह एक उच्च कोटि का डॉक्टर बनकर चिकित्सा जगत में अपना कीर्तिमान स्थापित कर सकता है । इसकी अंतर्निहित शक्ति व प्रतिभा को उजागर करने की आवश्यकता है । इसे थोड़ा सहारा चाहिए । डॉ॰ गुप्ता ने रोहित को बारहवीं कक्षा में निवेदिता के स्कूल ही में प्रवेश दिला दिया और कुछ समय के लिए डॉ॰ गुप्ता विदेश यात्रा पर चले गये। चार अक्षर की मेहनत रंग लाई और रोहित ज़िले में सर्वाधिक अंक अर्जित कर ज़िला स्तर पर सम्मानित हुआ ।

इस कीर्तिमान में निवेदिता का पूरा सहयोग रहा । उस दिन यदि निवेदिता अपने हाथ ख़र्च से बचाकर जमा किये पैसे गुल्लक से निकालकर नहीं देती तो रोहित परीक्षा शुल्क नहीं जमा करा पाता और परीक्षा से वंचित हो जाता । रोहित की सफलता के लिए निवेदिता छाया की तरह सहयोगी बनकर रही । डॉ॰ गुप्ता जब विदेश से लौटे तो रोहित की शानदार सफलता की जानकारी से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसके लिए सेवा संस्थाओं के सहयोग से बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में डॉक्टरी की पढ़ाई करने की व्यवस्था बना दी ।

रोहित प्रतिभाशाली तो था ही, विश्वविद्यालय से वह एक कुशल डॉक्टर बनकर विशेष प्रशिक्षण के लिए विदेश

चला गया । वहां से वह कैंसर रोग का विशेषज्ञ बनकर लौटा तो मुंबई के एक बड़े अस्पताल में नौकरी प्रारंभ कर दी । रोहित ने मुंबई में रहकर अपना नाम कमाया । वह एक प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हो गया । उसकी ख्याति चारों ओर फैल गयी । थोड़े ही समय में अपार धन संपदा अर्जित कर कोलकाता में कैंसर हॉस्पिटल खोल दिया ।

उस समय वह निवेदिता का स्मरण कर रोमांचित हो जाता था । यदि उस समय निवेदिता ने सहयोग नहीं दिया होता तो वहीं ठहर जाता आगे बढ़कर मंज़िल तक पहुंचने में निवेदिता की विशेष सहायता रही । निवेदिता को भुला पाना इतना सहज नहीं था । रोहित ने अपने हॉस्पिटल का नाम ''निवेदिता कैंसर हॉस्पिटल'' रख दिया । इधर निवेदिता ने भी एम०बी०ए० की पढ़ाई पूरी कर ली और उसकी शादी कोलकाता के एक कुलीन परिवार में हो गयी । किंतु कुछ ही समय के बाद व्यापार में घाटा लगा तो निवेदिता का परिवार सड़क पर आ गया । घर का सब कुछ चला गया । गृहस्थी की गाड़ी धीमी रफ़्तार से चलने लगी । थोड़े समय बाद अचानक ही मालूम हुआ कि निवेदिता भी कैंसर रोग से पीड़ित है । कई डॉक्टरों से इलाज भी कराया गया किंतु ज्यों-ज्यों दवा की गयी रोग बढ़ता ही गया । अंत में लोगों के कहने से उसे निवेदिता कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया ।

लगभग एक माह तक सहयोगी डॉक्टरों द्वारा इलाज चलता रहा । निवेदिता पूर्णतः स्वस्थ हो गयी । इस इलाज का कुल एक लाख बीस हज़ार रुपयों का बिल जब निवेदिता के हाथों में थमाया गया तो उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गयी । कहां से लाये इतना पैसा ? इस भारी-भरकम राशि में कुछ छूट दिलाने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ बिल बड़े डॉक्टर रोहित के पास पहुंचाया गया । डॉक्टर रोहित जब आश्वस्त हो गया कि वही निवेदिता है जिसने मेरा परीक्षा शुल्क जमा करा कर मेरी सहायता की थी वह स्तंभित हो गया । उसने तत्काल बिल पर अंकित राशि के नीचे लिखा परीक्षा शुल्क की राशि को घटाने के बाद शेष राशि शून्य ।

बिल को देखकर निवेदिता रोहित से मिलने को आतुर हो गयी । हॉस्पिटल समय समाप्ति के बाद निवेदिता रोहित से मिली और उसकी अपनी संपूर्ण कहानी रोहित को बतायी तो रोहित द्रवित हो गया और उसे अपने हॉस्पिटल का प्रबंध निदेशक बनाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की ।

कविता

फिर हो एक तमाशा !

(जस्टिस राजेन्द्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के दस वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में)

जस्टिस सच्चर !
ख़ैर के पैकर,
आपके हम ममनून बहुत हैं !
साठ बरस के ग़म के फ़साने
नामुमकिन था जिनका शुमार
आपने एक-एक करके उनको जमा किया तो
''मीर'' के से दीवान की सूरत
दर्द में डूबा एक ख़ाका तैयार किया
पढ़कर जिसको सारे ज़ख़्म हरे हो उट्ठे
इसका भी कुछ अंदाज़ा हुआ
हम पस्ती के कैसे ग़ार में डूबे हैं
सर पे हमारे कितने हैं ज़िल्लत के पहाड़ !
और ये सारी जिसकी नवाज़िश
जिसका करम है
उसकी यह भी फ़नकारी है
मज़लूमों में अपनी हालत का एहसास भी ज़िन्दा नहीं !
जस्टिस सच्चर !
जिसने हम को निस्फ़ सदी से ज़ाइद अर्से
पस्ती, ज़िल्लत, कर्बे मुसलसल बख़्शा है
आपने उसके आगे हमारे दर्द का ख़ाका
इस उम्मीद में रक्खा है
इसमें वो दिलकश रंग भरेगा
सहरा को गुलशन वो करेगा !

जस्टिस सच्चर !
चलिए ! हम फिर क़त्ले तमन्ना देखेंगे
चलिए ! हम फिर एक तमाशा देखेंगे !

इन्तिज़ार नईम
असिस्टेंट सेक्रेट्री, जमाअत इस्लामी हिन्द
9810841086

निजी फाइनेंस कंपनियों का मकड़जाल

क़र्ज़ में फंसाकर कर रही हैं ग़रीबों का शोषण

● मुहम्मद यूसुफ़ 'मुन्ना'

क़र्ज़ के नाम पर ग़रीबों और मज़दूरों का किस तरह और कितने तरह से शोषण किया जा यह तो वही जानता है । एक बार क़र्ज़ के दलदल में फंसने के बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति का बाहर निकल पाना लगभग नामुमकिन होता है । देश में हर साल क़र्ज़ के कारण न जाने कितने ग़रीब, मज़दूर और किसान ख़ुदकुशी करते हैं उसका सही आंकड़ा भी सरकार के पास शायद ही हो ।

सैकड़ों लोग हर समय क़र्ज़ में जीने के लिए अभिशप्त हैं । अनेक फाइनेंस कंपनियां, बीमा कंपनियां सहूकारों और महाजनों की तरह क़र्ज़ बांटने के लिए बैठी हैं । सरकारी नियमों को धता बताते हुए इनकी कोशिश ग्राहक से ज़्यादा से ज़्यादा धन ऐठना होता है । उनके इस साज़िश में उनके कंडीशन अप्लाई वाले नियम ज़्यादा कारगर होते हैं ।

कुछ दिनों पहले एक ख़बर यह आयी थी कि एक व्यक्ति ने एक निजी कंपनी में सोना गिरवी रखकर क़र्ज़ लिया । कई साल बाद जब वह किसी तरह क़र्ज़ चुका कर अपना सोना वापस ले गया तो पता चला कि कंपनी ने उसके सोने की जगह नक़ली जेवर उसको वापस किये थे । अब उस व्यक्ति को इंसाफ़ पाने के लिए अलग से मुक़दमा लड़ना पड़ा ।

पिछले दिनों ऐसे ही एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी कंपनियों के रवैये पर चिंता जताते हुए उसे फटकार लगायी । दिल्ली हाईकोर्ट ने क़र्ज़ से जुड़े एक मामले में सुनवायी करते हुए प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों को फटकार लगायी । हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां ग़रीब व निर्दोष लोगों का शोषण कर रही हैं ।

पैसे उधार देने के इस कारोबार में ख़ासकर सरकारी कर्मचारियों को अपना निशाना बनाया जा रहा है । हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी एक मामले की सुनवायी करते हुए की । ज़ाहिर है कि ऐसे सारे मामले अदालत नहीं आ पाते । बहुत से मामलों में पीड़ित शोषण का शिकार होता है या अपना जीवन समाप्त कर लेता है । दिल्ली हाईकोर्ट ने एक डाकिये की याचिका पर सुनवायी करते हुए यह पाया कि कंपनी ग़लत तरीक़े से उसका उत्पीड़न कर रही है ।

याची का कहना था कि उसने एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से एक बार क़र्ज़ लिया, लेकिन कंपनी ने दस्तावेज़ों के साथ छेड़छाड़ करके और उसका ग़लत इस्तेमाल करके यह दिखाया कि उसने एक नहीं दो बार क़र्ज़ लिया है । अब कंपनी बक़ाया पैसे मांग रही है । याची डाकिया ने इस मामले से परेशान होकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।

न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने इस मामले की सुनवायी के दौरान कहा कि कंपनियां ज़रूरतमंद लोगों को क़र्ज़ लेने के लिए लुभाती हैं । क़र्ज़ देते हुए कोरे काग़ज़ पर हस्ताक्षर तक कराएं जाते हैं और धन की आवश्यकता रखने वाले लोग मजबूरन बिना पढ़े ही इन दस्तावेज़ों पर साइन कर देते हैं । अदालत ने कहा कि लोगों को 24 फ़ीसद प्रतिवर्ष ब्याज की दर से लोन दिया जाता है ।

सोचने वाली बात है कि एक ग़रीब आदमी 24 फ़ीसद सालाना ब्याज की दर पर लिया गया क़र्ज़ कैसे चुकाता होगा ? दूसरे निजी कंपनियों की साज़िश अलग से । जिस तरह निजी कंपनियों लोगों को क़र्ज़ लेने के लिए लुभाती हैं उससे उनके इरादों को समझा जा सकता ।

दूसरी ओर सरकार और सरकारी बैंक भी ग़रीबों व किसानों को क़र्ज़ लेने के लिए उकसाते हैं । आम लोगों को क़र्ज़ के मकड़जाल को समझना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि वे भले ही कम पैसों में गुज़ारा कर लें लेकिन क़र्ज़ से दूर ही रहे, क्योंकि क़र्ज़ ख़ुद में ही एक लाइलाज बीमारी है ।

ब्याज-मुक्त इस्लामी अर्थव्यवस्था

■ मुहम्मद इलियास हुसैन

विश्व विख्यात इस्लामी विद्वान और इस्लामी आर्थिक मामलों के जानकार डॉ॰ उमर छापरा ने अपनी किताब 'ब्याज का हराम होना क्या आज भी क़ाबिले-अमल है ?' में इस सवाल पर विस्तृत अध्ययन किया है। क्या इस्लाम में ब्याज लेना-देना हराम है ? क्या ब्याज पर आधारित अर्थव्यवस्था के जंगल में ब्याज-मुक्त इस्लामी बैंकिंग की कोई वैकल्पिक व्यवस्था संभव है ? क्या यह वर्तमान समय में स्वीकार्य एवं व्यावहारिक भी है ? मौजूदा समय की परिस्थितियां पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) के समय से बिल्कुल भिन्न है, तब भी ? लेखक ने इन सवालों और बहुत-से दूसरे सवालों पर तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालने का सफल और सराहनीय प्रयास किया है ।

डॉ॰ उमर छापरा महान इस्लामी अर्थशास्त्री हैं और अपने व्यापक ज्ञान, संतुलित विचार और वस्तुपरक चिन्तन के कारण अकसर पूरी दुनिया के बुद्धिजीवी वर्ग में सम्मान की निगाह से देखे जाते हैं । दुनिया भर की विभिन्न यूनीवर्सिटियों और शोध-संस्थानों में इस्लामी अर्थव्यवस्था और बैंकिंग के विषय पर उनके व्याख्यानों को काफ़ी महत्व दिया जाता है । अमेरिका, इंग्लैंड, स्पेन, इटली, तुर्की, मिस्र, उर्दुन, ईरान और इंडोनेशिया इत्यादि के शिक्षण-संस्थानों और अन्य सामाजिक, राजनीतिक संस्थानों में भी उन्हें इस्लामी अर्थशास्त्र पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया जाता है ।

यह कहा जाता है कि भारतीय किसान क़र्ज़ में जन्म लेता है, क़र्ज़ में पलता-बढ़ता है और क़र्ज़ में ही मर जाता है । ऐसे में डॉ॰ छापरा द्वारा प्रस्तुत ब्याज-रहित इस्लामी बैंकिंग व्यवस्था भारतीय किसानों के लिए आशा की किरण है । इसमें ज़र्रा बराबर भी शक नहीं कि इस्लाम में ब्याज हराम है । इस्लाम में ब्याज-रहित व्यापार का ही प्रावधान है । इसलिए अल्लाह ने क़ुरआन में व्यापार को हलाल (वैध) और ब्याज हराम (अवैध) घोषित किया है–

"अल्लाह ने व्यापार को वैध और ब्याज को अवैध घोषित किया है ।" (2:275)

पुस्तक	: ब्याज का हराम होना क्या आज भी क़ाबिले-अमल है ?
लेखक	: डॉ॰ उमर छापरा
मूल्य	: 32.00 पृष्ठ : 68
प्रकाशक	: एम॰एम॰आई॰ पब्लिशर्स, नयी दिल्ली-110025

इस्लाम में ब्याज लेना-देना अत्यंत घृणित कर्म है । क़ुरआन ने इसके लेन-देन को अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल॰) के ख़िलाफ़ जंग के बराबर क़रार दिया है और अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने इसे छत्तीस बार व्यभिचार करने या अपनी मां के साथ ऐसा ही कुकर्म करने से भी ज़्यादा बुरा क़रार दिया है ।

इस्लाम में पूंजी-निवेश का सबसे अच्छा तरीक़ा साझा व्यापार है । यह दो तरह से हो सकता है । एक तरीक़ा यह होता है कि एक पक्ष पूंजी लगाता है और दूसरा पक्ष उद्यम करता है, जबकि दूसरे तरीक़े में सभी पक्ष पूंजी लगाते हैं और साथ-साथ उद्यम भी करते हैं । पूंजी-निवेश के इन दोनों तरीक़ों में पूंजी लगाने वाला ब्याज नहीं लेता, बल्कि लाभ-हानि दोनों स्थिति में शामिल होता है । कम्पनियों के शेयरों में पूंजी-निवेश चूंकि लाभ-हानि में भागीदारी की बुनियाद पर होता है, इसलिए वह भी स्वीकार्य है ।

निष्कर्ष यह है कि अनगिनत कठिनाइयों के बावजूद, जिनमें मुस्लिम देशों की उदासीनता भी शामिल है, ब्याजरहित इस्लामी व्यवस्था पिछले पच्चीस-तीस सालों में तेज़ी से तरक़्क़ी करके सुदृढ़ बुनियादों पर अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही है । इस आन्दोलन से प्रतिभाशाली, निष्ठावान और साहसी लोगों की बड़ी तादाद जुड़ गयी है और और जुड़ती जा रही है, जो इस्लामी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और इसकी कठिनाइयों पर क़ाबू पाने की जान-तोड़ कोशिश कर रही है । ईमानदार लोगों की ईमानदार कोशिशें ही इस आन्दोलन को आगे ले जा सकती हैं और स्थायित्व प्रदान कर सकती हैं । यह किताब इन्हीं प्रयासों का तार्किक और जीवन्त चित्रण करती है ।

विश्व शांति और इस्लाम

■ अबू नस्र फ़ारूक़

देश और पूरी दुनिया में शांति हो, इसकी इच्छा तो सभी को होती है और इसकी बातें भी होती हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं कि मानव समाज में शांति कैसे स्थापित होती है। शांति की दुश्मन ये चीज़ें हैं : (1) न्याय की उपेक्षा (2) वर्ग संघर्ष (3) आर्थिक असमानता (4) सम्मान व अपमान का ग़लत मापदंड (5) धन की लालसा (6) क़ानून के हनन का चलन (7) अपराधी का समर्थन। मानव इतिहास का अध्ययन कहता है कि दुनिया में सही मायने में शांति का माहौल कभी रहा ही नहीं। हमेशा अत्याचार, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और ज़ोर का ही चलन रहा। फलस्वरूप हमेशा ख़ून-ख़राबा होता रहा। इसी के चलते दुनिया को दो बार विश्व-युद्धों की पीड़ा झेलनी पड़ी।

एक ज़माने में राजा जब आपस में लड़ते थे तो ख़ून-ख़राबे की आपदा केवल सैनिकों तक सीमित रहती थी, जनता को इससे कोई अंदेशा नहीं होता था, लेकिन ज्ञान-विज्ञान और तकनीक के विकास ने युद्ध को वह रूप दिया कि अब दो देशों के युद्ध में दोनों देशों की आम जनता को जान-माल का ख़तरा पैदा हो जाता है। ब्रिटेन, जर्मनी और जापान के युद्ध में जब अमेरिका ने ब्रिटेन की सहायता की तो परमाणु बम जर्मनी और जापान की सेनाओं पर नहीं गिराया, बल्कि जापानी जनता की आबादी पर गिराया जिससे न केवल उस समय जापानी जनता तबाह हुई बल्कि उसकी कई पीढ़ियों तक को इस बमबारी की पीड़ा झेलनी पड़ी।

इन्सान को अल्लाह तआला ने जिन गुणों के साथ बनाया है उनमें ख़ास बात यह है कि वह इन्सान होने के साथ-साथ हैवान बनने की भी क्षमता रखता है। और जब वह हैवान बनता है तो अपने चरित्र से हैवानों को भी शर्मिंदा कर देता है। अपने हक़ से अधिक लेने और दूसरों को उनके अधिकारों से कम देने की आदत ऐसी बुराईयां हैं जिनके होते हुए शांति स्थापित हो ही नहीं सकती। मानव समाज में ऐसा नहीं होता है कि एक बड़ा वर्ग इस बीमारी का शिकार हो जाए। किसी अच्छे शांतिपूर्ण समाज में शुरू में एक दो आदमी या परिवार या मानव समूह इस बीमारी का शिकार होते हैं। जिन लोगों के हाथों में प्रबंध और व्यवस्था के अधिकार होते हैं वे शुरू में ही अगर अत्याचार और दुर्व्यवहार करने वालों का हाथ पकड़ लें, उन्हें अत्याचार और दुर्व्यवहार करने से रोकें तो समाज से यह त्रुटि भी दूर हो जाए और पीड़ितों और कमज़ोरों को न्याय भी मिल जाए, लेकिन समाज या शासन के प्रमुखों की आपराधिक चुप्पी और न्याय की शर्तें पूरी न करने से चूक इस त्रुटि को बढ़ावा देती है और धीरे-धीरे इस बुराई का चलन समाज की शांति को भंग कर देता है।

मानव इतिहास का अध्ययन यह भी बताता है कि शासकों ने प्रशासनिक मामलों के लिए नियम तो बनाए लेकिन मनुष्य को मनुष्य बनाने और जानवर बनने से रोकने की कोई कोशिश नहीं की। मनुष्य की गरिमा और सम्मान उसके चरित्र और आचरण से होता है। जब मानव समाज ने अपने इन गुणों को खो दिया तो जाति, पद, हैसियत, धन और संपत्ति को सम्मान और गरिमा का स्तर बना लिया गया, परिणामस्वरूप वर्ग संघर्ष पैदा हुआ और शांति के माहौल का नाश हो गया।

अरब समाज में गुलामों की स्थिति हैवानों जैसी थी। जिस तरह घर के पशुओं को भोजन और रहने की जगह तो दी जाती है, लेकिन उन्हें न बराबरी का दर्जा दिया जाता है और न उनसे उनकी इच्छा पूछी जाती है, उसी तरह गुलामों को उनके मालिक पशुओं की तरह रखते और उनसे काम लेते थे। रसूल (सल्ल०) ने गुलामों के साथ अच्छा व्यवहार करने की लगातार ताकीद की और खुद आपने गुलाम हज़रत ज़ैद को अपना मुंहबोला बेटा बना लिया। धीरे-धीरे इस्लामी समाज में गुलामों को ख़रीदने और बेचने की प्रथा ख़त्म हो गयी और जो गुलाम थे उनके साथ ऐसा अच्छा व्यवहार होने लगा कि ज़मीन व आसमान की आंखों ने इससे पहले ऐसा नज़ारा देखा ही नहीं था। ग़रीबों और कमज़ोरों के साथ अच्छा व्यवहार और उनके अधिकारों का सम्मान वर्ग संघर्ष का एकमात्र उपाय है।

अल्लाह तआला ने दुनिया ऐसी बनायी है कि कुछ लोग अपनी योग्यता और क्षमता की बदौलत धन अधिक कमा

लेते हैं और कुछ लोग योग्यता रखने के बावजूद आर्थिक रूप से पिछड़े रहते हैं । यह आर्थिक असमानता कम करने की कोशिश न की जाए तो यह दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाती है और समाज में बुराइयां पैदा करती है । इस्लाम ने मालदार लोगों को ज़कात अदा करने और अधिक दान करने की ताकीद की है । समाज में आर्थिक असमान को समाप्त करने का नुस्ख़ा इस्लाम ने दिया । आर्थिक असमानता दूर करने का इससे अच्छा नुस्ख़ा और कोई हो ही नहीं सकता है कि धनी लोग इबादत समझ कर ग़रीब और कमज़ोर लोगों को अपनी दौलत में भागीदार बनाएं ।

पैग़म्बरे इस्लाम ने मज़दूर वर्ग की मज़दूरी उसका पसीना सूखने से पहले भुगतान करने का निर्देश देकर श्रमिक वर्ग को ऐसा सम्मान दिया जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती । अब मज़दूरों के हितों की रक्षा अगर हो सकती है तो शरीयत पसंद मुसलमानों के हाथों ही हो सकती है । इसके अलावा दुनिया का कोई क़ानून मज़दूरों का हितैषी हो ही नहीं सकता है ।

समाज में न्याय का माहौल बहाल रखने और अधिकारों की रक्षा के लिए क़ानून बनाए जाते हैं । क़ानूनों के माध्यम से यह लाभ तभी मिल सकता है जब क़ानून पूरी ईमानदारी और ज़िम्मेदारी के साथ लागू किया जाए । और क़ानून भंग करने वालों को सख़्त से सख़्त सज़ा दी जाए ताकि समाज में अत्याचार और दुर्व्यवहार की प्रवृत्ति पनपने न पाए, लेकिन अनुभव यह बताता है कि हर देश में एक ऐसा तबक़ा रहा है जो अपने आपको क़ानून से ऊपर समझता रहा है और हमेशा क़ानून का उल्लंघन करता रहा है । क़ानून के रखवाले इस वर्ग को सज़ा देने की जगह उसकी तरफ़दारी और रक्षा करते रहे । कसी भी समाज में जब क़ानून तोड़ना रिवाज बन जाता है तो उसकी शांति भंग हो जाती है । यूं तो यह सिंड्रोम दुनिया भर में पाया जाता है, लेकिन हमारे प्यारे वतन में जिस दुस्साहस के साथ क़ानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिल सकती ।

क़ानून पालन की मांग यह है कि अपराधी से सहानुभूति न की जाए । अपराधी से सहानुभूति समाज के साथ दुश्मनी लिए होता है । जब समाज में अपने और बेगाने का भेदभाव होने लगे यानी अपनों का साथ देना है चाहे अपराधी ही क्यों न हों और बेगानों का विरोध करना है चाहे वह निर्दोष और मासूम ही क्यों न हों तो फिर समाज से शांति विदा हो जाती है । एक तो मौजूदा क़ानून की अपनी कमज़ोरियां हैं जिनका लाभ दोषी लोग उठाते हैं, दूसरे क़ानून के अनुपालकों में भी क़ानून को पालन करने और कराने की निष्ठा दिखायी नहीं देती । मौजूदा क़ानून में बेगुनाही का सबूत आरोपी से मांगा जाता है, जबकि इस्लामी क़ानून में बेगुनाही का सबूत आरोपी से नहीं मांगा जाता, बल्कि आरोप लगाने वाले से आरोपी के दोषी होने का सबूत मांगा जाता है । शांति और सकून उस समाज में स्थापित होगा जहां झूठा आरोप लगाकर निर्दोष लोगों का दामन दाग़दार करने वालों को दंडित किया जाएगा न कि जहां निर्दोष लोगों से उनकी बेगुनाही का सबूत मांगा जाएगा ।

दुनिया को सच्ची और वास्तविक शांति, अगर मिल सकती है तो केवल अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की बताई हुई जीवन व्यवस्था के अधीन ही मिल सकती है, बशर्ते इसे पूरी ईमानदारी के साथ लागू करने वाले मौजूद हों और वह अपने आपको क़ानून से ऊपर न समझें । मुश्किल यह है कि रसूल (सल्ल॰) के दिए हुए वे इस्लामी क़ानून जिन्हें शरीयत के क़ानून के नाम से जाना जाता है, उन्हें हिंसा और आतंकवाद की बुनियाद साबित करने की नापाक कोशिश की जा रही है । इस्लामी क़ानून इन्सानों का बनाया हुआ क़ानून नहीं है, बल्कि इन्सानों को बनाने वाले ख़ुदा का क़ानून है । अल्लाह के बंदे जब अल्लाह के क़ानून की जगह अपना क़ानून चलाने लगें तो दुनिया में सकून व शांति स्थापित होने क़ा सवाल ही पैदा नहीं होता है ।

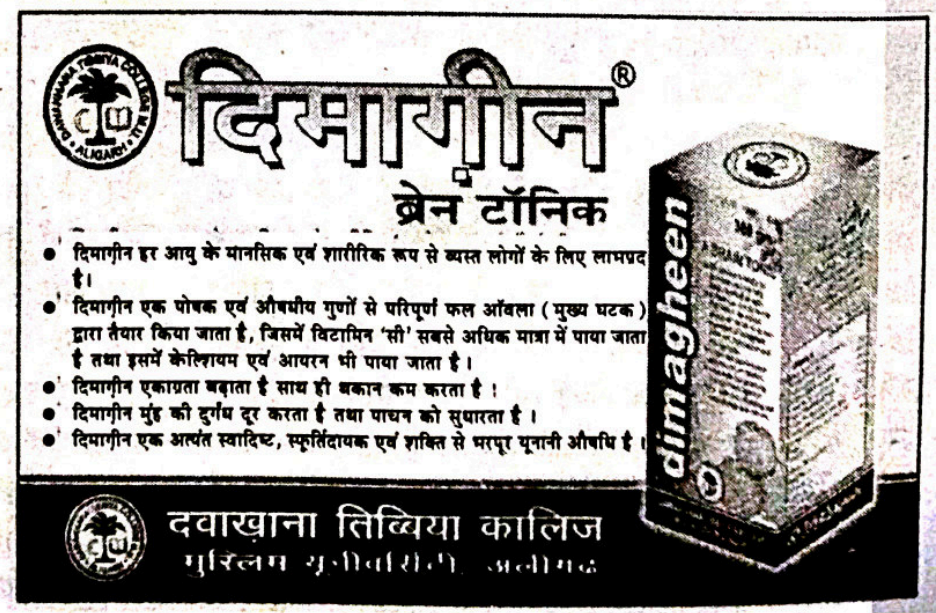

चिंताग्रस्त होने से बचाएं लाडले को

■ डॉ॰ विभा सिंह

चिंता का रोग बड़ों को ही नहीं लगता, बच्चे भी इस रोग से ग्रस्त होने लगे हैं, भागम-भाग भरी मशीनी ज़िंदगी क़दम-क़दम पर प्रतिस्पर्धा के पैर पसारती नज़र आ रही है, इसने मासूम बच्चों को भी चिंता का रोग दे दिया है । चिंताग्रस्त बच्चे बात-बात पर चिढ़ने लगते हैं, मुंह फुलाये रखते हैं, बिना कारण ज़ोर से चीखते हैं, क्रोध की दशा में तो कांपने भी लगते हैं, किसी के साथ बात भी कम करते हैं, न खेलते हैं, अगर कोई खेलने के लिए बुलाने आये तो भी उसके साथ खेलने नहीं जाते, न ठीक से खा पाते हैं, न सो पाते हैं । कभी-कभी भयानक सपने से उनकी नींद टूट जाती है ।

एक सत्य घटना है–एक नन्हें एवं मासूम बच्चे की अंगूठा चूसने की आदत थी । उसकी मां अक्सर उसे डराती कि यदि आइंदा तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे हाथ काट दिये जाएंगे । इसका नतीजा यह हुआ कि वह नन्हा-सा बच्चा भय के कारण चिंता रोग से ग्रस्त हो गया ।

बच्चे के चिंताग्रस्त होने के पीछे प्राय: मूल कारण होता है–असुरक्षा की भावना । बच्चों को प्राय: घर में अकेला छोड़ देने पर वह स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं । यदि इसी अकेलेपन में कोई छोटा-मोटा हादसा हो जाए तो बच्चा अकेले रहने पर सदा भयभीत रहता है । अचेतन में छिपे बैठे इस भय के कारण बच्चे चिंता रोग से ग्रस्त हो जाते हैं ।

कई बार बच्चा कल्पित भय के कारण भी चिंतातुर हो उठता है, जैसे एक बच्चा इस कल्पित भय ये कि कहीं वह कोई ऐसा काम न कर बैठे कि जिससे उसे दंड मिले–यही उसकी चिंता का कारण बन गया । बच्चे को यह भली-भांति विदित होता है कि खाने-पीने, आराम और प्यार आदि पाने के लिए उसे अपने माता-पिता पर आश्रित रहना पड़ता है, ऐसे में जब उसे यह पता चलता है कि अब उसे अपने मां-बाप से पृथक रहना है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है मानों अब उसकी सारी आवश्यकताएं अपूर्ण रह जाएंगी, वह बेचैन एवं दुखी हो जाएगा, शायद मर ही जाएगा । अचेतन में गहराई तक व्याप्त ये आशंकाएं उसे चिंताग्रस्त बना देती हैं ।

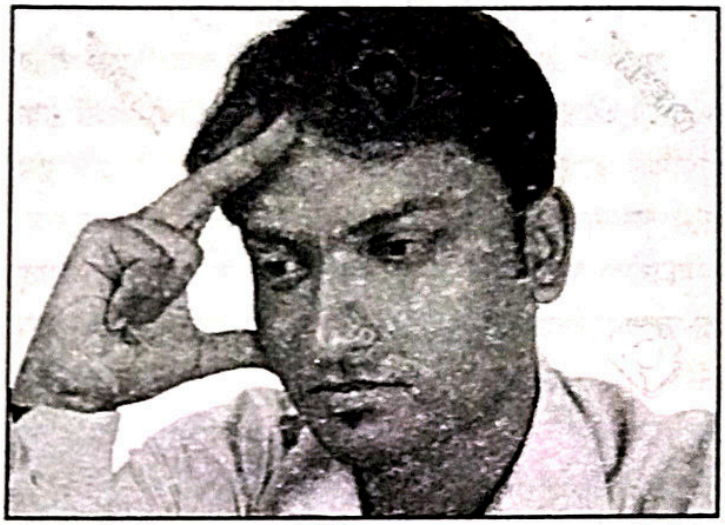

बच्चे के चिंताग्रस्त होने का एक कारण यह भी देखा गया है कि जब कठोर स्वभाव के मां-बाप अपने बच्चे से ऐसी अपेक्षाएं रखने लगते हों जो उसकी शक्ति से बाहर हो, तब बच्चे के मन में सदैव एक द्वंद्व चलता रहता है, यही द्वंद्व उसे एक दिन चिंता के गर्त में धकेल देता है । कुछ कठोर माताएं अपनी लड़कियों को दूसरे लड़कों से, यहां तक कि सहपाठियों से मिलने तक नहीं देतीं, चाहे उन लड़कियों की इच्छा कितनी ही प्रबल क्यों न हो, तब लड़कियां अंतर्द्वंद्व के चलते एक दिन चिंताग्रस्त हो जाती हैं ।

कुछ मां-बाप अपने बच्चों को अक्सर रोकते-टोकते मिलेंगे कि–तुम यह न करो, वह मत करो, यह मत पहनो, यह मत खाओ, तब वे बच्चे, वे सब कार्य स्वाभाविक रूप से करना चाहकर भी, कर नहीं पाते कि कहीं मां-बाप नाराज़ न हो जाएं, उन्हें प्यार से वंचित न कर दें–वे इन हालात के रहते चिंता में डूब जाते हैं ।

चिंताग्रस्त बच्चे को रोग मुक्त करने का सबसे बेहतरीन उपाय है यह जानना कि उसकी चिंता का मूल कारण क्या है ? इसके लिए उसकी सारी पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है । इसके पश्चात बहुत ही स्नेह से बालक को अपने भावों को प्रकट करने का अवसर दें । उसके द्वारा अभिव्यक्त भावों में से छिपे हुए कारण को ज्ञात कर उसका तुरंत समाधान करें । इस प्रकार प्यार, प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सहज तथा उन्मुक्त वातावरण देकर अपने बच्चे को चिंता के चक्रव्यूह में फंसने से बचा सकते हैं ।

अंधविश्वास के सिवा कुछ भी नहीं है दिशा शूल

■ विद्या प्रकाश

आज़ादी के 70 दशक व्यतीत हो जाने तथा शिक्षा-दीक्षा के इतने व्यापक प्रचार-प्रसार के बावजूद हममें अभी तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाया है और हम किसी परंपरा की उपयोगिता-अनुपयोगिता, ग्राह्यता-अग्राह्यता, स्वीकार्यता-अस्वीकार्यता तथा विश्वसनीयता-अविश्वसनीयता को जांचने-परखने के बाद निष्कर्ष के बजाय आंख मूंदकर उसका अंधानुकरण करने लगते हैं। दिशा शूल इसी का एक उदाहरण है।

समाज में ऐसे अंधविश्वासग्रस्त लोगों की कमी नहीं जो दिशा शूल को मानकर चलते हैं। उनकी यह मान्यता है कि सप्ताह में अमुक दिन अमुक दिशा में नहीं जाना चाहिए। दिशा शूल में अमुक दिशा में यात्रा करने से अशुभ होता है तथा जिस दिन दिशा शूल नहीं है, उस दिन विशिष्ट दिशा में गमन तथा प्रस्थान करना मंगलकारी होता है, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है।

राज्य सड़क परिवहन निगम के ड्राइवर तथा कंडक्टर नौकरी के दौरान दिशा शूल वाले तथा ग़ैर दिशा शूल वाले दिनों में बस लेकर जाते हैं और सेवानिवृत्त भी हो जाते हैं। इसी प्रकार रेल विभाग में कार्यरत गार्ड, ड्राइवर तथा टी०टी०ई० मुलाजिमत के दौरान ट्रेन के साथ विभिन्न रेलवे स्टेशनों को दिशा शूल का तनिक ख़याल किये बग़ैर जाते हैं तथा नौकरी से सेवानिवृत्त भी हो जाते हैं। मगर दिशा शूल कभी अपना प्रभाव नहीं दिखाता। अक्सर ऐसा भी होता है कि जिस दिन दिशा शूल है, उस दिन मार्ग में कुछ अनिष्ट नहीं होता तथा जिस दिन दिशा शूल नहीं है, उस दिन दुर्घटना घट जाती है तथा व्यक्ति हताहत हो जाया करता है।

दूसरी तरफ़ यह विचारणीय बिंदु है कि यदि ख़ुदा न ख़ास्ता हमारे परिवार का कोई सदस्य दुर्घटना में गंभीर रूप से ज़ख़्मी हो जाए और मक़ामी डॉक्टर जवाब दे दें तो क्या हम उस दिन उसे बेहतर इलाज हेतु दिल्ली, लखनऊ या मुंबई इसलिए नहीं ले जाएंगे कि आज दिशा शूल है। शुभ दिन के इन्तिज़ार में क्या ज़ख़्मी व्यक्ति की हालत और

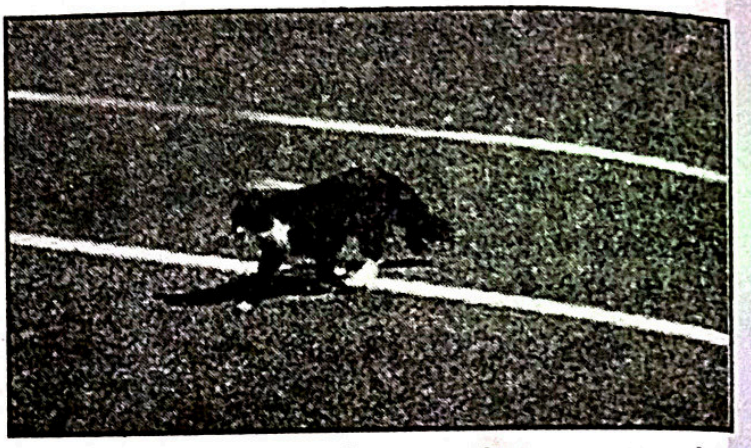

गंभीर नहीं हो जाएगी। इसी प्रकार यदि हमारा दुश्मन देश हमारी मातृभूमि की सरहद पर हमला कर दे तो क्या हमारे फ़ौजियों का यह कथन स्वीकारणीय तथा उचित है कि आज दिशा शूल है। सरहद पर शत्रुओं का मुक़ाबला करने हम हरगिज़ नहीं जाएंगे, क्योंकि दिशा शूल में जाने से हमारा अनिष्ट हो जाएगा।

जब तक हमारे सैनिक अगले दिन तक दिशा शूल हटने की प्रतीक्षा करेंगे, तब तक क्या मातृभूमि के बड़े भूभाग पर शत्रुओं का आधिपत्य नहीं हो जाएगा? कभी-कभी ऐसा भी होता है कि डाक महकमा वालों की गड़बड़ी, लापरवाही तथा लेटलतीफ़ी से बेरोज़गार अभ्यर्थी को नौकरी संबंधी नियुक्ति पत्र उस दिन मिलता है जिसके अगले दिन उसे जाकर ज्वाइन करना है।

जिस कार्यालय में उसे जाकर ज्वाइन करना है, वह उसके घर से सौ-डेढ़ सौ किलोमीटर दूरस्थ है तथा समय पर पहुंचने हेतु उसे घर से एक दिन पूर्व निकलना आवश्यक तथा सुविधाजनक है। मगर क्या वह समय पर घर से इसलिए नहीं निकलेगा कि आज दिशा शूल है। इस दिन वह किसी भी हालत में घर से नहीं निकलेगा भले नौकरी मिले अथवा न मिले। उसका यह कथन क्या जीवन से खिलवाड़ तथा मूर्खतापूर्ण नहीं।

जो पुरानी परंपराएं तथा मान्यताएं हमारे लिए सार्थक तथा उपयोगी हैं, हम उन्हें अपनाएं तथा जो घिसी-पिटी और समय के साथ चल सकने में अक्षम्य हैं, उनको त्याग दें। इस संबंध में हमारा नज़रिया व्यावहारिक होना चाहिए।

कैसा है आकाश का रंग ?

■ विद्या प्रकाश

जब हम पृथ्वी तल से आकाश मंडल की ओर निहारते हैं तो वह आसमानी रंग का दिखलायी पड़ता है । हमारे मन में अक्सर यह उत्सुकता होती है कि आकाश का रंग आसमानी क्यों है ? ऊंचाई पर जाने पर उसका रंग बदल जाता है या वैसा ही दिखायी पड़ता है जैसा वह हमें धरती से दृष्टिगत होता है ।

दरअस्ल धरती से आकाश का आसमानी दिखलायी पड़ना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है । वैज्ञानिकों के अनुसार वायुमंडल में बैंगनी प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है । इसके बाद नीले प्रकाश की बारी आती है । प्रकाश के पृथ्वी तल तक आते-आते बैंगनी, नीले, हरे आदि रंगों का पर्याप्त प्रकीर्णन हो जाता है । आकाश इन रंगों के मिले-जुले रूप यानी आसमानी रंग का दिखलायी पड़ता है । यहां तरंग लंबाइयों के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है ।

जैसे-जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, प्रकाश किरण के माध्यम से लंबाई कम होती जाती है । परिणामस्वरूप कम तरंग लंबाइयों पर भी प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है । दस किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रकाश का प्रकीर्णन नीले प्रकाश के लिए प्रभावी होता है । अब यदि इससे ज़्यादा और ऊंचाई की दिशा में गमन किया जाए तो छोटी लंबाइयों के प्रकाश का प्रकीर्णन और भी कम होने लगता है । इस प्रकार 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन प्रभावी होता है जिससे आकाशमंडल बैंगनी रंग का दिखलायी पड़ने लगता है ।

तीस किलोमीटर की दूरी पर जब हम पृथ्वी तल से आकाशीय दिशा में निहारते हैं तो वह आसमानी रंग का आभासित होता है । इसलिए 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर आकाश गाढ़ा दिखलायी पड़ता है । अब यदि और अधिक ऊंचाई पर बढ़ा जाए तो कम तरंग के कारण आकाश का रंग काला हो जाता है । इस काली आकाशीय पृष्ठभूमि पर तारागण टिमटिमाते नहीं, चमकते हैं । सूर्य भी नीले के बजाय काले आकाश पर ही चमकता है ।

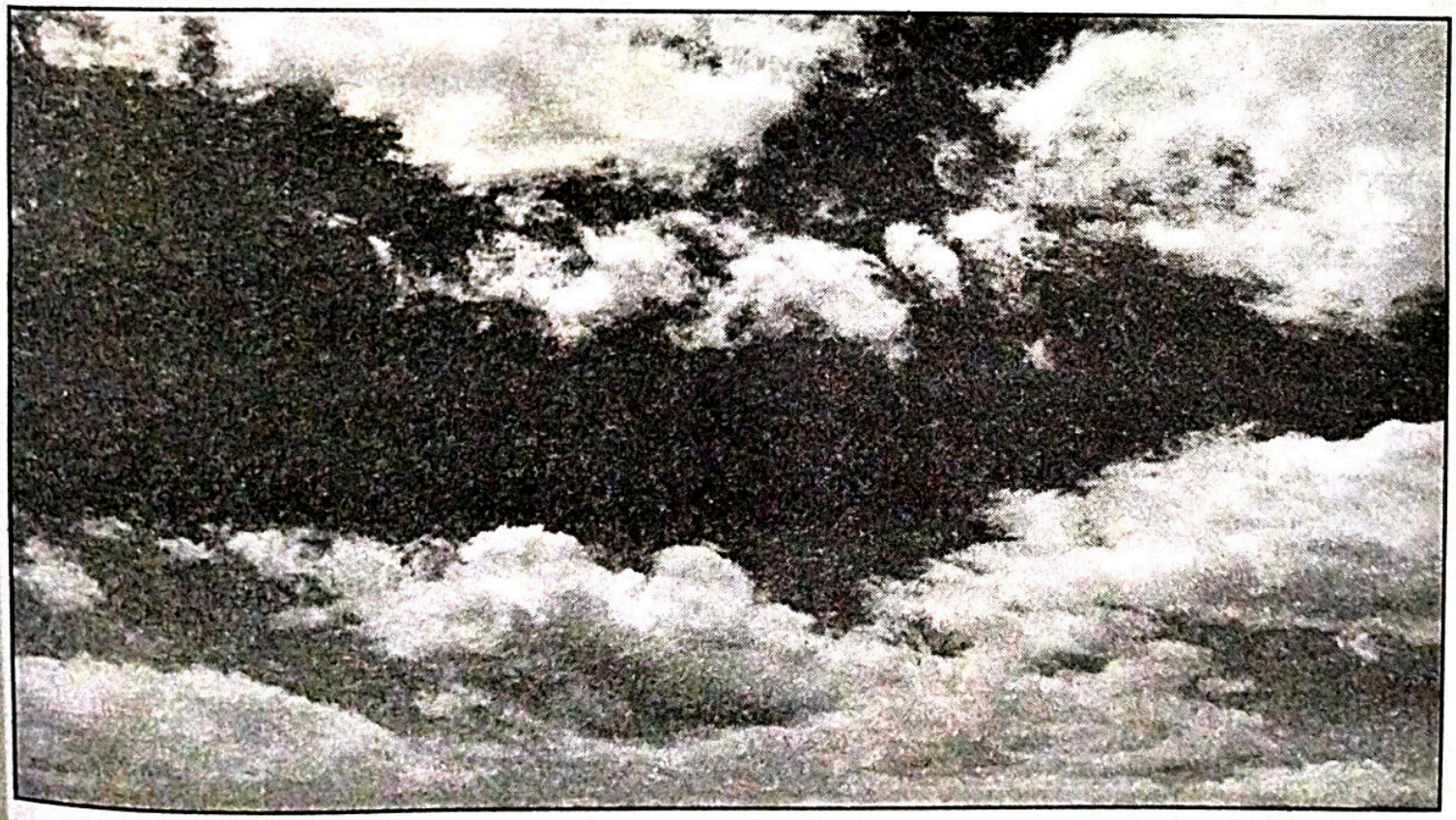

दुनिया का पहला पंखा

गर्मी तथा वर्षा की उमस में ठंडी हवा किसके बदन को नहीं सुहाती । इससे शरीर का पसीना तो फुर्र होता ही है, साथ में शीतलता का भी अनुभव होता है । आजकल बन्द कमरों में ठंडी हवा के झोंकों के आनंद का अनुभव प्राप्त करने के लिए विभिन्न आकार-प्रकार के विद्युतचालित पंखे बाज़ार में उपलब्ध हैं । क्या आपको मालूम है–संसार में सर्वप्रथम पंखा किसने बनाया था ?

विश्व का सर्वप्रथम पंखा एक जापानी बौद्ध भिक्षु ने बनाया था । उसने खजूर के पत्तों को बांस की एक डंडी में बड़ी खूबसूरती से तरतीबवार गूंथ कर एक सुन्दर पंखा तैयार किया जिसे हाथ से डुलाने पर ताज़ा हवा के हल्के झोंके मिला करते थे । उन दिनों जापान में हियो वीडिसो नामक सम्राट का शासन था । बौद्ध भिक्षु ने यह पंखा सम्राट को उसके जन्म दिन पर भेंटस्वरूप प्रदान किया । सम्राट को यह पंखा बहुत पसन्द आया तथा उसने इस पंखे को शाही पदवी प्रदान कर राजमहल की शाही वस्तुओं में शुमार व शामिल कर लिया ।

जापान में तत्पश्चात मयूर पंख से निर्मित पंखे जनसाधारण में लोकप्रिय होने लगे । फिर वहां यह परंपरा बन गयी कि घर आया मेहमान जब विदा होता है तो उसे मयूर पंखा भेंट किया जाता है । आज भी जापान में पंखा इतना लोकप्रिय है कि महिलाएं जब घर से कार्यालय तथा हाट बाज़ार के लिए या सफ़र में निकलती हैं तो पर्स तथा बैग के साथ हथबेना भी लेकर चलती हैं । यह उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरत की वस्तु बन गयी है ।

● जागृति श्रीवास्तव

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली–110006 से मुद्रित । फ़ोन : 011-26949430, 09818799223
संपादक : डॉ॰ मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है ।



अक़ायद व इबादात पर हमारी अहम पुस्तकें

आवागमनीय पुर्नजन्म	डॉ० मुहम्मद अहमद	50.000
अनेकेश्वरवाद की वास्तविकता	मौलाना अमीन अहसन इस्लाही	70.000
एकेश्वरवाद की वास्तविकता	मौलाना अमीन अहसन इस्लाही	35.000
एक ईश्वर की धारणा	मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ाँ	40.000
परलोक की छाया में	मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ाँ	90.000
पहेली जीवन की	मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ाँ	12.000
रिसालत	मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ाँ	45.000
लोगो: हिसाब का समय निकट आ चुका है	मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी	14.000
ख़ुदा की ग़ुलामी इंसान की बुलन्दी	मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी	18.000
जीवन मृत्यु के पश्चात्	मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी	12.000
बनाव और बिगाड़	मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी	12.000
शान्ति-मार्ग	मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी	15.000
सोचने की बातें	मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी	10.000
प्यारी माँ के नाम इस्लामी संदेश	मौलाना नसीम ग़ाज़ी फ़लाही	07.000
मानव जीवन और परलोक	शेख़ अहमद	22.000
मुक्ति-मार्ग	इम्तियाज़ रहमान ख़ाँ	10.000
मौत के बाद क्या?	डॉ० शहीद अली	10.000
मरने के बाद क्या होगा?	बिलाल इस्लाम	60.000
सत्य की खोज	मौलाना वहीदुद्दीन ख़ाँ	16.000
नबी करीम (सल्ल०) की दुआएँ (पॉकेट साइज़)	मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी	64.000
रमज़ान कैसे गुज़ारें?	ख़ुर्रम मुराद	22.000
रोज़ा और उसका असली मक़सद	मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी	10.000
इबादत	मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी	16.000
इस्लाम में पाकी और सफ़ाई	मौलाना नसीम ग़ाज़ी फ़लाही	20.000
नमाज़ में आप क्या पढ़ते हैं?	मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी	18.000
ईमान की कसौटी	मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी	08.000
ख़ुतबाते हरम	मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी	18.000
नमाज़	मौलाना नसीम ग़ाज़ी फ़लाही	12.000

MMI PUBLISHERS
D-307,Dawat Nagar,Abul Fazal Enclave,Jamia Nagar,New Delhi-110025
Phone: 26981652,26984347 Fax: 26987858
E-mail:mmipublishers@gmail.com Website: www.mmipublishers.net

Posted on 20-21 January 2017
February 2017
E-mail: kantihindimonthly@yahoo.com
Publishing Date: 18.01.2017
Total Pages-52 (With Covers)

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका
कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2015-2017
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2015-2017
Posted in the P.S.O. (Periodical Channel, New Delhi-1

स्वस्थ चेतना का वाहक हिन्दी साप्ताहिक अख़बार

कान्ति

स्वस्थ चेतना का वाहक हिन्दी साप्ताहिक अख़बार

पढ़िए और पढ़ाइए

जो केवल समाचार ही न दे

- बल्कि बताए समाचारों का मर्म और आगे-पीछे का हाल
- देश व समाज की उन्नति के लिए प्रस्तुत करे ठोस उपाय
- प्रस्तुत करे इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने वाले दुष्प्रचार का तोड़
- सामने लाए सही स्थिति और अवगत कराये वास्तविकताओं से
- रखे ध्यान नैतिक मूल्यों का और मार्गदर्शन करे भलाई व कल्याण की ओर

सहयोग राशि :-

✧ प्रति कॉपी 5/= ✧ छहमाही 125/= ✧ वार्षिक 250/=

एजेंसी और ग्राहक बनने के लिए सम्पर्क करें।

KANTI WEEKLY
D-314, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-25
Phone : 09818799223, 011-26949430
E-mail : kantiweekly@hotmail.com